रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224762
CG-DL-E-29012021-224762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
No. 38] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जाँच परिणाम

नई दिल्ली 28 जनवरी, 2021

मामला सं. एडीडी (ओआई) 02/2020

विषय: थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहाँ से भारत में निर्यातित "फेनोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच के अंतिम जाँच परिणाम।

फा. सं. 6/3/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली (जिसे आगे यहां "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मै० दीपक फेनोलिक्स लि., मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक्स कैमिकल्स लि. और मै. एसआई ग्रुप इंडिया प्रा.लि.(जिन्हें यहाँ आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ(पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी

शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से **"फेनोल"**(जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद", "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/3/2020-डीजीटीआर, दिनांक 25 फरवरी, 2020 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जाँच की शुरूआत की गई थी ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनराधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

3. इस अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने इसे अंतरिम शुल्क की सिफारिश करने के लिए उपयुक्त माना और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 20 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं.6/3/2020-डीजीटीआर के संदर्भ में आरंभिक जाँच परिणाम जारी किया। तथापि, दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 354/121/2020-टीआरयू के संदर्भ में, केन्द्र सरकार ने अनंतिम पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया।

ख. प्रक्रिया

4. जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जाँच की शुरूआत की कार्रवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 फरवरी,2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने 25 फरवरी, 2020 की जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी थी । हितबद्ध पक्षकारों से नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर निर्धारित तरीके और ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने और लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी ।

घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावासों के जरिए उनकी सरकार को आवदेन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध करायी थी।

ड. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों / निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध करने पर उत्तर तथा अनुरोध करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों हेतु समय सीमा बढ़ाई थी। दिनांक 4 अप्रैल, 2020 के पत्र द्वारा समय सीमा 24 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाई गई। दिनांक 23 अप्रैल, 2020 के पत्र के संदर्भ में समय सीमा 10 मई, 2020 तक बढ़ाई गई थी और 11 मई, 2020 के पत्र द्वारा समय सीमा 20 मई, 2020 तक बढ़ाई गई थी और दिनांक 11 मई, 2020 के पत्र के संदर्भ में यह समय सीमा आगे बढ़ाकर 20 मई, 2020 कर दी गई थी। उचित तिथि के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध पर सीमा तक विचार किया गया था, जिस सीमा तक उसे प्रारंभिक निर्धारण के

उद्देश्य से संगत और उपयुक्त माना गया था। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण के उद्देश्य से वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों पर विचार किया है।

छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं :

i. मै. एडवानासिक्स, यूएसए

ii. मै. डेकोटा ग्लासिफिकेशन कंपनी, यूएसए,

iii. मै. डॉ कैमिकल कं., यूएसए,

iv. मै. जार्जिया गल्फ, यूएसए

v. मै. इनिओस फिनोल, यूएसए

vi. मै. पीटीटी फेनोल, यूएसए

vii. मै. शैल कैमिकल्स, यूएसए

ज. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर और/या कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किया ।

i. मै. केमपार एनर्जी पीटीई लि. (केमपार), सिंगापुर

ii. मै. मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) पीटीई लिमिटेड (एमएपी), सिंगापुर,

iii. मै. मित्सुई एंड कंपनी लि. (एमबीके), जापान

iv. मै. पीटीटी फिनोल कंपनी लिमिटेड (पीपीसीएल), थाईलैंड

झ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:

i. मै. एक्रोन इंटरप्राइजेज

ii. मै. बलीच मार्केटिंग प्रा. लि.

iii. मै. सेन्ट्रम मेटालिक्स प्रा. लि.

iv. मै. सी.जे.शाह ऐंड कंपनी

v. मै. फार्मसंस फार्मास्युटिकल गुजरात लि.

vi. मै. हरेश कुमार ऐंड कं.

vii. मै. हाई पोलिमर्स लैब्स लि.

viii. मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लि.

ix. मै. कैलाश पोलिमर्स

x. मै. कांतिलाल मनिलाल ऐंड कं. प्रा. लि.

xi. मै. कारमेन इंटरनेशनल (प्रा) लि.

xii. मै. खेता ब्रादर्स

xiii. मै. कृष्णा आंटिआक्सीडेंट प्रा. लि.

xiv. मै. कुंदन राइस मिल्स लि.

xv. मै. मेघदूत इंटरप्राइजेज

xvi. मै. नाइकनवारे केमिकल्स लिमिटेड

xvii. मै. नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लि.

xviii. मै. एनजीपी इंडस्ट्रीज लि.

xix. मै. पारस डाईस ऐंड केमिकल्स

xx. मै. पीसीएल ऑयल ऐंड इंडस्ट्रीज

xxi. मै. रेनबो कलर्स ऐंड केमिकल्स

xxii. मै. रेसिन ऐंड प्लास्टिक लि.

xxiii. मै. सतगुरू इंटरनेशनल

xxiv. मै. शुभम डाईस ऐंड केमिकल्स लिमिटेड

xxv. मै. सिंह प्लास्टिसाइजर्स ऐंड रेसिन (आई) प्रा.

xxvi. मै. सोनकमल इंटरप्राइजेज

xxvii. मै. टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

xxviii. मै. यूनोटेड फोस्फोरेस लि.

xxix. मै. वंडर लैमिनेट्स प्रा. लि.

ञ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों या प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

i. मै. आइका लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ii. मै. अकिन केमिकल्स प्रा. लि.

iii. मै. अतुल लि.

iv. मै. क्लीन साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी प्रा. लि.

v. मै. ग्रीनलाम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

vi. मै. मेघमणि आर्गेनिक्स लि.

vii. मै. विग्रो लेमिनेट्स लि.

ट. निम्नलिखित आयातकों या प्रयोक्ताओं ने ज्ञात शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में विधिक अनुरोध दायर किए हैं/हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है।

i. मै. एग्रो एलायड वेंचर्स प्रा. लि.

ii. मै. अकिन केमिकल्स प्रा. लि.

iii. अतुल लिमिटेड

iv. मै. सेडार डेकोर प्रा. लि.

v. मै. सेंट प्लाई

vi मै. क्लीन साईंस ऐंड टेक प्रा. लि.

vii. मै. डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि.

viii. मै. गीतांजलि केमिकल्स प्रा. लि.

ix. मै. हरेशन पैट्रोकेम प्रा. लि.

x. मै. हवात्सी केमिकल प्रा. लि.

xi. मेघमनी आर्गेनिक्स लिमिटेड

xii. मै. सुप्रिया लाइफसाइंसेस लि.

xiii. मै. ट्रेडक्स कारपोरेशन

ठ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को जाँच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी ।

i. इंडियन लेमिनेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन(आईएलएमए)

ii. दि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमैन(आईआईएफ)

ड. उत्तर में, निम्नलिखित प्रयोक्ता संघों ने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. इंडियन लेमिनेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

ii. दि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमैन

iii. फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड ऐंड पैनल इंडस्ट्री

ढ. प्राधिकारी ने एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

ण. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाच अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (6 महीने) की है । क्षति जाँच अवधि पर 1 अप्रेल, 2016-31मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017-31 मार्च, 2018, 1 अप्रेल 2018-30 जून, 2019 और जाँच अवधि के रूप में विचार किया गया है ।

त. प्राधिकारी ने पीओआई सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु हेतु 14 बार आयात आंकड़ों को वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस)और डायरक्रेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट (डीजीएस) से प्राप्त किया और सौदों की आवश्यक जाँच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया।

थ. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और उसे बेचने के लिए तर्कसंगत लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

द. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त/पूरक सूचना उस सीमा तक मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना की पटल अध्ययन के माध्यम से आवश्यक सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई थी । आवश्यक सुधार, जहाँ लागू हो, सहित केवल ऐसी सूचना पर विचार किया गया है।

ध. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।

न. जहाँ कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जाँच प्रक्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जाँचमें काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राथमिक जाँच परिणाम रिकार्ड किए हैं।

प. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश 20 अगस्त, 2020 को जारी की गई प्रारंभिक जाँच परिणामों के संदर्भ में की गई थी। हालांकि अनंतिम पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था।

फ. जैसाकि प्रारंभिक जाँच परिणामों में विचार किया गया है, प्राधिकारी ने उसके संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित की और प्रारंभिक निर्धारण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है और उसकी चर्चा अंतिम जाँच परिणामों के उद्देश्य से संभव सीमा तक की गई है।

ब. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 9 अक्तूबर, 2020 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी दिया। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को लिखित अनुरोधों और उसके बाद प्रति उत्तरों, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया था।

भ. इस जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों जिनमें प्रारंभिक जाँच परिणाम के उत्तर में किए गए अनुरोध शामिल हैं, का निवारण जहाँ कहीं भी संगत पाया गया, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जाँच-परिणाम में किया गया है।

म. प्राधिकारी ने इस चरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है जिस सीमा तक उसका समर्थन साक्ष्य द्वारा किया गया है और वर्तमान जाँच से संगत माना गया है।

य. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस जाँच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 7 जनवरी, 2021 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, का निवारण इन अंतिम जाँच परिणामों में किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों की पुनरपावृत्ति मात्र है। हालांकि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जाँच इस अंतिम जाँच परिणाम में की जा रही है।

कक. इस अंतिम जाँच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाता है।

खख. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जाँच के लिए अपनाई गई विनिमयदर 1 यूएसडॉलर = 71.67 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जाँच शुरूआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था

''वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद फेनोल है । इस उत्पाद को दो रूपों अर्थात बल्क और पैक्ड में बेचा जाता है । बल्क पैक्ड बिक्रियां आम तौर पर खुले रूप में होती हैं जबकि बिक्रियां काफी छोटे कंटेनर भार में हो सकती हैं और उन्हें सामान्यत: ड्रम में पैक किया जाता है । फेनोल का प्रयोग फेनाल फार्मेल्डीहाइड रेजिन्स, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टीकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, एल्काइल फेनोल्स, भेषजों, डाईफिनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है'।

इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।''

6. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणाम में अनंतिम रूप से यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु इस नियमावली के नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पाद की समान वस्तु है।

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

क. फेनोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यत: सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को दो रूपों अर्थात बल्क और पैक्ड में बेचा जाता है। बल्क बिक्रियाँ आम तौर पर खुले रूप में होती हैं जबकि पैक्ड पारेषण काफी छोटे कंटेनर भार में हो सकती हैं और उन्हें सामान्यत: ड्रम में पैक किया जाता है। फेनोल का प्रयोग फेनाल फार्मेल्डीहाइड रेजिन्स, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टीकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, एल्काइल फेनोल्स, भेषजों, डाईफिनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है।

ख. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

ग. आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु हैं क्योंकि ये रासायनिक और तकनीकी विर्निदेशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिजियक रूप से प्रतिस्थापीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई और संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों ने आयातित उत्पाद की समान उत्पाद का उत्पाद न किया है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

9. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "फेनोल" है।

10. फेनोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यत: सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को दो रूपों अर्थात बल्क (खुले में) और पैक्ड में बेचा जाता है। बल्क बिक्रियाँ आम तौर पर खुले रूप में होती हैं जबकि पैक्ड पारेषण काफी छोटे कंटेनर भार में हो सकते हैं और उन्हें सामान्यत: ड्रम में पैक किया जाता है। फेनोल का प्रयोग फेनाल फार्मेल्डीहाइड रेजिन्स, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टीकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, एल्काइल फेनोल्स, भेषजों, डाईफिनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है

11. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँचके दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है

12. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और कर रहे हैं। आवेदक की दलील को किसी हितबद्ध पक्षकार ने विवादित नहीं ठहराया है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

क. आवेदकों अर्थात दीपक फेनोलिक लिमिटेड, हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और एस आई ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के पास भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है।

ख. आवेदकों ने संबद्ध देशों से पीओआई में संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है ।

ग. आवेदक संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं ।

घ. प्रतिवादियों के इस तर्क के उत्तर में कि एसआई ग्रुप ने दक्षिण अफ्रीका से आयात किया और इस कारण से उसे पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है, आवेदक ने यह अनुरोध किया कि दक्षिण अफ्रीका से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात वर्तमान मामले में संगत नहीं हैं। यदि वैसा है भी तब दक्षिण अफ्रीका से एसआई ग्रुप द्वारा आयात अपने निर्यात उत्पादों के लिए कम मात्राओं में अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किया गया था और यह बहुत अधिक नहीं था जिससे कि इसे पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के अधिकार से वंचित किया जा सके। एसीटोन और फिनोल की पूर्व जाँच परिणामों में, प्राधिकारी ने एसआई ग्रुप को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में तब माना है जब उन्होंने अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत पीयूसी का आयात किया था।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

क. एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग के एक घटक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका जो चल रही निर्णायक समीक्षा जाँच में एक संबद्ध देश है, का एक आयातक है। एसआई ग्रुप ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में कुल आयातों के संबंध में किए गए आयातों का हिस्सा उपलब्ध नहीं कराया है। यदि दक्षिण अफ्रीका से एसआई ग्रुप द्वारा किया गया पीयूसी का आयात भारत में इससे कुल आयातों के संबंध में बहुत अधिक हो, तब इसे घरेलू उद्योग के दायरे से अवश्य बाहर रखा जाना चाहिए। यदि पाटन का आरोप किसी देश के विरुद्ध हो और घरेलू उत्पादक ने उस देश से आयात किया हो तब उसे मान लिया गया है अथवा प्रमाणित कर लिया गया है, तब वह वे घरेलू उद्योग के भाग नहीं हो सकते हैं और उन्हें दायरे से अवश्य बाहर रखा जाना चाहिए।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

15. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

16. यह आवेदन दीपक फेनोलिक लिमिटेड, हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और एस आई ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है । आवेदकों के पास भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है क्योंकि आवेदकों के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है । आवेदकों ने दावा किया है कि न तो उन्होंने पी ओ आई में संबद्ध देशों से पीयूसी का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के आयातक से संबंधित हैं ।

17. प्राधिकारी ने दक्षिण अफ्रीका से एसआई ग्रुप जो आवेदक कंपनियों में से एक है, द्वारा उत्पाद के आयातों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह वर्तमान जाँच में संगत नहीं है क्योंकि ये आयात वर्तमान संबद्ध देशों से नहीं किए गए हैं। एसआई ग्रुप द्वारा आयातों की मात्रा बहुत कम है। आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए हैं जिसके लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत किए गए आयातों का उपयोग करते हुए निर्मित उन उत्पादों का निर्यात करने का दायित्व है। इस प्रकार से उत्पादित उत्पाद का उद्देश्य देश में खपत करना नहीं था। अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत होने के कारण, इन आयातों को पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। प्राधिकारी यह मानते हैं कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए ऐसे आयात घरेलू उद्योग को नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के अधिकार से वंचित नहीं करना

चाहिए। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि केवल इस कारण से घरेलू उद्योग के दायरे से एसआई ग्रुप को बाहर करना उपयुक्त नहीं होगा।

18. तद्नुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और यह भी मानते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

क. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्यथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के पीपीसीएल और एमबीके द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में गोपनीय होने का दावा किया गया है । इसके अलावा, निर्यातकों में प्राधिकारी की व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के प्रावधानों से अधिक अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है । एमबीके ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का भाग-IV प्रस्तुत नहीं किया है।

ख. प्रयोक्ताओं/आयातकों ने भी गोपनीयता के अपने दावे में प्राधिकारी के दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 की उपेक्षा की है।

ग. केवल उस सूचना को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय होने का दावा किया जा सकता है जबकि हितबद्ध पक्षकारों के दावे/अनुरोधों/तर्कों को गोपनीय होने के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि उन दावों के संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया हो तब उत्तर देने वाले निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों से यह देखा जाएगा।

घ. सामान्य मूल्य का कोई भी दावा निर्यातकों द्वारा निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय रूपांतर में नहीं दिया गया है और इस कारण से ऐसे दावे को अस्वीकार किया जाना अपेक्षित है।

ड. पीपीसीएल, एमएपी और एमबीके ने निर्यातक की अपनी प्रश्नावली के उत्तर में शेयर धारकों का ब्यौरा, कंपनी की संरचना, बेचे गए उत्पादों की सूची, उत्पादन सुविधाएं और प्रक्रिया, संबंधित पक्षकार की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, संविदागत संपर्क और संयुक्त उद्यमों आदि के बारे में सूचना को बहुत अधिक हद तक गोपनीय होने के रूप में दावा किया है।

च. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणाम में आईएलएमए और आईआईएफ के अनुरोधों पर सही तरीके से विचार नहीं किया है क्योंकि वे जाँच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में प्राधिकारी के निदेशों तथा दिनांक 13 मई, 2020 के मेल के माध्यम से उन्हें दिए गए विशिष्ट निदेशों का पालन नहीं किया है और उसे दिनांक 6 सितंबर, 2020 के ईमेल के माध्यम से विचार किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका में छुपा लिया गया था। आईएलएमए और आईआईएफ घरेलू उद्योग को अपने सभी अनुरोधों को देने में असफल रहा था और उसके माध्यम से घरेलू उद्योग का अपने हितों की रक्षा करने के अधिकारों का उल्लंघन किया गया था।

छ. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि प्रयोक्ताओं/आयातकों ने प्रयोक्ता/आयातक की अपनी प्रश्नावलियों में व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षाओं पर उचित रूप से विचार किए बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ज. निर्यातकों द्वारा और प्रयोक्तओं द्वारा दायर किए गए उत्तरों का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय के रूप में दावा की गई सूचना को सार्थक तरीके से समझने नहीं देता है।

झ. इन उत्तरों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और निर्यातकों को अलग-अलग बर्ताव न देकर असहयोगी के रूप में अवश्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग सूचीबद्ध सूचना के अभाव में भी टिप्पणियां देने तथा अपने हितों की रक्षा करने से मजबूर हैं और उसके द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

ञ. इस तर्क के उत्तर में कि घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के तर्कों पर ध्यान नहीं दिया गया है, आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम के अनुच्छेद 20 और 21 में उसका विश्लेषण किया गया है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के प्रावधानों में विहित दिशानिर्देशों को पूरा नहीं किया है।

ख. यदि आवेदकों ने आवेदन के गोपनीय अंश में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने संबंधी तर्क दिया है तो यह स्पष्ट रूप से गोपनीयता के प्रावधानों का उल्लंघन है। चूंकि उन्हें अगोपनीय अंश में नहीं दिया गया है। अगोपनीय अंश में तर्क प्रदान करने में आवेदकों की असमर्थता उन पर सार्थक टिप्पणी करने की हितबद्ध पक्षकारों की सक्षमता को बाधित करती है और उन्हें इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने हितों के संरक्षण में असमर्थ बनाती है।

ग. आवेदन का अगोपनीय रूपांतर उसमें निहित आरोपों को तर्कसंगत रूप से समझने नहीं देता है। आवेदन का अगोपनीय रूपांतर स्पष्ट रूप से इस नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है।

घ. प्रारंभिक जाँच परिणामों में प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के संदर्भ में निर्यातकों के तर्कों को उसके लिए बिना कोई कारण देते हुए सरसरी तौर पर खारिज किया है। प्राधिकारी को मामला दर मामला आधार पर गोपनीयता के दावे का आकलन करना चाहिए और उसके संबंध में कारण देना चाहिए कि क्यों गोपनीयता के संबंध में किसी खास पक्षकार की आपत्ति को अस्वीकार किया गया है। प्राधिकारी जैसे अर्ध-न्यायिक निकाय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ही होना चाहिए और इस कारण से प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए कारण अवश्य बताया जाना चाहिए।

ड. प्राधिकारी तर्कसंगत आदेश देने में असफल रहे और घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के निर्यातक के दावे को खारिज कर दिया जो व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन है।

च. निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तरों में गोपनीय के रूप में सूचना का दावा करने के लिए पर्याप्त कारण दिए हैं और प्रारंभिक जाँच परिणामों की टिप्पणियों के एक्जिबिट 3 में याचिकाकर्ताओं के दावे पर ध्यान दिया है।

छ. प्राधिकारी को उन तथ्यों और आधार के बारे में बताना है जिस पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और वास्तविक सामान्य मूल्य तथा सामान्य मूल्य के रूप में निर्यात कीमत पर भी विचार संदर्भ शुल्क के रूप के अंतर्गत एक बेंच मार्क के रूप में किया जा सकता है क्योंकि सभी अन्य गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को गोपनीय नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, आवेदक ने स्वयं संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी याचिका में प्रकट किया है। उसे भी सीमा शुल्क प्राधिकारियों को बताया जाना चाहिए ताकि पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण वास्तविक समय खेप-दर-खेप आधार पर किया जा सकता है।

ज. संस्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बिक्री का मूल्य, कर्मचारी, उत्पादकता प्रतिदिन, मालसूची, पीबीआईटी, एनआईपी, आदि के संबंध में सूचना व्यापार नोटिस द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार उपलब्ध नहीं करायी गयी है और न ही गोपनीयता के दावे के लिए किसी सही कारण को दर्शाया गया है।

झ. अगोपनीय रूपांतर नियमावली के नियम 7 और दिनांक 9 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना 1/2013 के अंतर्गत अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है। हितबद्ध पक्षकारों के रक्षा के अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग

नहीं किया जा सका। आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में बहुत अधिक आंकड़ों को सही तरीके से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। भाग-VI नहीं दिया गया है और इस कारण से यह आवेदन पूर्ण नहीं है। प्रपत्र ए-एल को गोपनीय रखा गया है जिसके लिए कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं दिया गया है। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को इन दस्तावेजों का सारांश उपलबध कराने तथा टिप्पणियों के लिए अगोपनीय रूपांतर में सूचीबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराने का निदेश देना चाहिए।

ञ. एनआईपी की गणना, सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन और अन्य आंकड़ों के बारे में भी बताया जाना चाहिए।

ट. प्रकट की गई सूचना और अन्य प्राधिकारों के साथ प्रस्तुत की गई सूचना अथवा आमतौर पर एक साधारण शेयर धारक को प्राप्त होने वाली सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

ठ. प्राधिकारी ने स्पष्ट नहीं किया है कि शुल्क का रूप क्या होगा और उसी के चयन के कारण क्या होंगे।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

21. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

22. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जाँच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे की अनुमति दी है । प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है (उदाहरणार्थ क्योंकि उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिल जाएगा या उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर या उस व्यक्ति पर जिससे सूचना प्राप्त की गई है, अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा) या इसे किसी जाँच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया है, उसका उचित कारण देने पर प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना को गोपनीय माना जाना चाहिए । ऐसी सूचना का उसे देने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकटन नहीं किया जा सकता है ।

23. प्राधिकारी ने आवेदकों और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को अनुमति दी है । प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को अनुरोध करने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा है ।

24. जहाँ तक शुल्कों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के तर्कों का आवेदन के अगोपनीय अंश में नहीं होने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत करने के बाद प्रस्तुत पत्रों के जरिए शुल्क को पूर्वव्यापी रूप में लागू करने का अनुरोध किया है । पत्रों के अगोपनीय अंश को आवेदकों द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया है ।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. विभिन्न मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए कानून के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों का वर्तमान मामले में पूरी तरह पालन हुआ है। इस देश में पाटन का एक लंबा इतिहास है जो 2002 से आयोजित की जा रही जांचों से स्पष्ट है। इसके अलावा, पाटन मार्जिन जाँच की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक है और इस प्रकार के पाटन के स्तर के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि मालसूची जमा हो गई है और लाभ, पीबीआईटी, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल में बहुत अधिक गिरावट हुई है। इस कारण से यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि (क) पूर्वव्यापी आधार पर एडीडी लागू करना, और (ख) जाँच के परिणाम के आने तक आयात का आकलन अनंतिम रूप से किया जाता है।

ख. चूंकि पीओआई के भीतर अत्यधिक गहन क्षति हुई है जो पीओआई के बाद और अधिक बढ़ गई है, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अत्यधिक क्षति के निवारण हेतु शुल्क के बैंच मार्क रूप को लागू करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। जाँच की अवधि के दौरान, यह देखा जा सकता है कि पाटित और अपाटित आयात मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में, शुल्क का बैंच मार्क रूप बहुत अधिक उपयुक्त है। देश में आयात हुए हैं जो क्षतिकारक हैं और जाँच की अवधि के दौरान क्षति रहित हैं। आयात की कीमतों में क्षति की अवधि और जाँच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। जाँच की अवधि के भीतर और उसी समय में क्षति की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव रहा है। प्राधिकारी का दिनांक 18 जून, 2019 का कार्यालय ज्ञापन यह कहता है कि संदर्भ कीमत प्रणाली की सिफारिश कीमत में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव की स्थितियों में की जा सकती है।

ग. विभिन्न देशों के विरुद्ध एक ही उत्पाद के लिए शुल्कों के अलग-अलग रूपों की सिफारिश करने के विरुद्ध डब्ल्यूटीओ करार अथवा नियमावली के अनुसार कोई प्रतिबंध नहीं है। पाटनरोधी शुल्क की मात्रा और रूप किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और यह अंतर बर्ताव के बराबर नहीं है।

घ. इस तथ्य के उत्तर में कि प्राधिकारी शुल्क के रूप के लिए कारण नहीं बताता है, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि विरोधी पक्षकारों को प्रारंभिक जाँच परिणाम पर टिप्पणी करने के लिए अवसर दिया जाता है।

ड. प्राधिकारी द्वारा जारी की गई व्यापार सूचनाओं तथा लागू वैश्विक परिपाटियों का घोर उल्लंघन करते हुए काफी संख्या में पक्षकारों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई तथ्यात्मक अनुरोध प्रस्तुत किए बिना मौखिक सुनवाई में भाग लिया और हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण किए बिना भी और किसी मामले में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किए बिना ही मौखिक सुनवाई में भाग लिया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों में यह भी मांग की जाती है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों का उपयोग समय सीमाओं के भीतर ही करता है। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे इसके संबंध में तर्कसंगत तरीके से निर्धारण को रिकॉर्ड करें।

च. जबकि नियम 2(ग) प्रयोक्ताओं के भाग लेने का प्रावधान नहीं करता है, नियम 6(5) यह कहता है कि प्रयोक्ता तब भाग ले सकते हैं जब पीयूसी की बिक्री खुदरा स्तर पर की जाती हो। इस कारण से प्रयोक्ता संघ जैसे आईएलएमए और एफआईपीपीआई भाग नहीं ले सकता है तथा इसके अलावा उन्होंने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इन अनुरोधों को सूचना के रूप में माना नहीं जा सकता है।

छ. कानून प्रयोक्ता संघों को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माने जाने के लिए अनुमति नहीं देता है। इस मामले में प्रयोक्ता संघों को असहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना पंजीकरण प्रमाणन, उप नियम और संघ का ज्ञापन, बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई है जिसमें संघ द्वारा इसके कुछ/सभी सदस्यों की ओर से पाटनरोधी उपयोग का विरोध करने के लिए समाधान किया गया था और सदस्यों की सूची जिन्होंने समर्थन किया और जो प्रयोग के संबंध में तटस्थ रहा, के विरुद्ध था।

ज. दिनांक 20 अगस्त, 2020 को प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए जाने के पूर्व, आईएलएमए ने जानबूझकर अपने अनुरोधों को सभी हितबद्ध पक्षकारों और जाँच दल को दिए जाने के लिए दिनांक 13 मई, 2020 के डीजीटीआर के निदेश का पालन नहीं किया। इसके बजाय, 6 सितंबर, 2020 को, आईएलएमए के कानूनी प्रतिनिधि ने यह उल्लेख करते हुए दिनांक 13 मई, 2020 के डीजीटीआर के ईमेल का जवाब दिया कि आईएलएमए और आईआईएफ के अनुरोधों को त्रुटिवश उनके दिनांक 13 मई, 2020 के ईमेल में शामिल नहीं किया गया था, जिसके द्वारा उन्होंने तीन अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को परिचालित किया था।

झ. यह देखा जाएगा कि न केवल केवल पीपीसीएल का संबंधित कच्चा माल आपूर्तिकर्ता है बल्कि संबंधित यूटिलिटी आपूर्तिकर्ता भी है। इस कारण से, कच्चे माल और यूटिलिटी की कीमतों, जैसाकि निर्यातकों द्वारा दावा किया गया है, को अस्वीकार किया जाना अपेक्षित है क्योंकि वे निष्पक्ष नहीं हैं।

ञ. निर्यातकों ने जानबूझकर प्राधिकारी द्वारा मांगी गई समुचित सूचना दिए जाने से अपने आप को अलग रखा है कि क्या उत्पादन के लिए कच्चे माल की खरीद संबंधित आपूर्तिकर्ता से की गई है अथवा कैप्टिव रूप से उसका उत्पादन किया गया है। यह सूचना कि क्या खरीदे गए कच्चे माल की कीमतें उचित बाजार कीमत को दर्शाती है अथवा उनका प्रतिनिधित्व है, वो भी गोपनीय रखा गया है।

ट. जबकि आयात की कीमत में गिरावट की प्रवृत्ति जारी है, कच्चे माल की कीमत उसी अवधि में गिरावट की अवधि को नहीं दर्शाया यह कि आयातों के कारण लगातार कीमत पर दबाव देखा गया, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य थे।

ठ. प्रारंभिक जाँच परिणामों में सूचीबद्ध पक्षकारों को छोड़कर अन्य पक्षकारों को हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि केवल उन्होंने समय-सीमा के भीतर सूचना प्रस्तुत की। ये पक्षकार पीटीटी फिनोल कंपनी, थाईलैंड, एमएपी, एमबीके, केमपार एनर्जी प्राइवेट लि., आइका लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्लीन साईंस ऐंड टेक प्रा. लि., मेघमनी आर्गेनिक्स लि., अकीन केमिकल्स लि., अतुल लि. और वर्गो लेमिनेट्स लि. हैं।

ड. प्रयोक्ता प्रश्नावली के रूप में संगत सूचना उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और इस कारण से केवल कथनों की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रस्तुत किए बिना किए गए किसी अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

ढ. वे पक्षकार, जिनका नियम 2(ग) के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, को प्राधिकारी से एक के रूप में माने जाने के लिए स्वतंत्रता की मांग करनी है और वैसा माना नहीं जा सकता है।

ण. सेन्चुरी प्लाई, हरेश पेट्रोकेम और गीतांजलि केमिकल्स प्रा. लि. को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने उत्तर अथवा अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं।

त. एक्जिम कोर्प को हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसने अपने आप को पंजीकृत नहीं किया और न ही इसने कोई सूचना, अनुरोध अथवा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

थ. व्यापार सूचना सं. 11/2018 और प्रचालन परिपाटियों का मैनुअल यह उल्लेख करता है कि यदि इन पक्षकारों ने अपने आप को न तो पंजीकृत किया है और न ही प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत किया है, उन्हें आगे जाँच में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती हे।

द. कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि अथवा गिरावट शुल्क के रूप पर विचार करने के लिए नहीं है। इसके अलावा, क्षति की अवधि अर्थात अप्रैल, 2016 से जून, 2020 के दौरान भारित औसत आयात कीमत 1068(सीआईएफ) है जो वास्तव में प्रारंभिक जाँच परिणामों में संदर्भ कीमत से अधिक है। इसके अलावा, निर्यात कीमत में अस्थिरता तथा घरेलू कीमत में बहुत अधिक अस्थिरता नहीं है।

ध. इस तर्क के उत्तर में कि कार्यालय ज्ञापन व्यापार सूचना नहीं है, मैनुअल में अस्वीकरण स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि इसका उद्देश्य व्यापार सूचना/परिपत्र/अनुदेश को प्रतिस्थापित करना नहीं है और कार्यालय ज्ञापन

अनुदेश है। यदि प्रतिवादियों के तर्क को स्वीकार किया जाता है तब कार्यालय ज्ञापन भी मैनुअल का हिस्सा है और इस कारण से स्थापित परिपाटी बनता है।

न. नियमावली का नियम 12 और पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 7 में यह प्रावधान है कि प्रारंभिक जाँच परिणामों को उपयुक्त मामलों में जारी किया जा सकता है और यह कि यूएस और ईयू जैसे देश नियम के तौर पर उसे जारी करें।

प. प्रतिवादियों के इस तर्क के उत्तर में कि डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का मामला संक्षिप्त जाँच की अवधि के संबंध में सामान्य नहीं था, यह सिद्ध नहीं किया गया है कि इस प्रकार से वह वर्तमान मामले में लागू नहीं है।

फ. इस तर्क के संबंध में कि आयातक को निर्यातकों द्वारा पाटन की कोई जानकारी नहीं थी, धारा 9क(3) के अंतर्गत कानूनी अपेक्षा या तो पाटन के इतिहास अथवा आयातक के बयान को सिद्ध करना है कि निर्यातक पाटन कर रहे हैं और न कि दोनों कर रहे हैं। संबद्ध देश के विरुद्ध शुल्क लगाना अपने आप में पाटन के इतिहास को सिद्ध करता है। इसके अलावा, जब कभी पाटनरोधी शुल्क एक देश समूह पर लगाया जाता है तब पाटन अन्य स्रोतों की ओर परिवर्तित होता है। यह दर्शाता है कि आयातक को पूरी जानकारी नहीं है।

ब. इस तर्क के उत्तर में कि विरल और असाधारण स्थितियां अवश्य मौजूद हो, यह तर्क कानूनी रूप से सही नहीं है और पक्षकार अतिरिक्त शर्तों को लगाने का प्रयास कर रहे हैं जो कानून के द्वारा अपेक्षित नहीं है।

भ. प्राधिकारी की एनआईपी की गणना भारतीय रुपए में करने की स्थापित परिपाटी है। हालांकि, जब उसकी तुलना विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत से की जा रही हो तब उसे यूएस डॉलर में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।

म. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य क्षति को समाप्त करना और खुली एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित करना है। यह किसी भी रूप में संबद्ध देशों से आयातों अथवा उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

य. इस तर्क के संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोध पर भी भूतलक्षी प्रभाव से लेवी की सिफारिश नहीं की है, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्य मामलों में शुल्क नहीं लगाना घरेलू उद्योग के दावे को अस्वीकार करने के लिए आधार नहीं है।

कक. पाटनरोधी शुल्क संरक्षण का प्रकार नहीं है और इसके बजाय अनुचित कीमत निर्धारण पर ध्यान देता है। केवल सतत् पाटन पाटन के कारण विस्तार की मांग की गई है और पूर्व की सभी जांचों में प्राधिकारी ने इसे लगाए जाने के पूर्व विस्तृत जाँच की है जैसा कि जाँच की शुरुआत के पूर्व वर्तमान मामले में भी किया गया है। इसके अलावा, निर्यातक आदतन पाटन कर रहे हैं और यद्यपि घरेलू उद्योग मौजूदा को मांग को पूरा कर सकता है, इसे वैसा करने से रोका गया है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने कोई उदाहरण नहीं दिए हैं कि किस प्रकार से घरेलू उद्योग कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है।

खख. इस तर्क के उत्तर में कि प्राधकारी ने पूर्व की जांचों में सक्रिय रूप से छह महीने की जाँच की अवधि की अनुमति नहीं दी है, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अनेक मामलों जैसे एक्रिलिक फाइबर, ड्राई बैटरीज, विस्कोस स्टेपल फाइबर, पेनिसिलिन जी पोटेशियम6 एपीए, जापान, कोरिया, चीन और बांग्लादेश, से लीड बैटरी आदि में, प्राधिकारी ने छह महीने की जाँच की अवधि की अनुमति दी है।

गग. प्रतिवादियों के इस तर्क के उत्तर में कि जाँच की अवधि के बाद के बाद के आंकड़ों पर विचार किया जाना है, यह अनुरोध किया जाता है कि नई जाँच में, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने एसबीआर में जारी की गई जाँच परिणामों का संदर्भ लिया है जिसमें प्राधिकारी ने इस परिणाम के बावजूद जाँच को समाप्त करने से इंकार किया कि एकमात्र घरेलू उत्पादक ने यह कहते हुए जाँच की अवधि के बाद उत्पादन स्थगित किया था कि वह जाँच की अवधि के बाहर था। जाँच की अवधि के दौरान आयातों की कीमत प्रवृत्तियां शुल्क निर्धारण की मात्रा के लिए और न कि जाँच की अवधि के बाद के लिए संगत है। इसके अलावा, कोविड-19 के प्रभाव का कोई महत्व नहीं है।

घघ. इस तर्क के उत्तर में कि आईआईएफ और आईएलएमए ने निर्धारित प्रपत्रों का पालन किया है, यह अनुरोध किया जाता है कि सार्वजनिक फाइल में संघ अथवा इसके सदस्यों की ऐसी सूचना शामिल नहीं है।

ड.ड. इस तर्क के उत्तर में कि आयातों की पहुंच कीमत कच्चे माल में गिरावट के कारण कम हुई, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है।

चच. विसंगतियों के संबंध में प्रतिवादी के तर्क के बारे में, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि दोनों समेकित अवधि (अप्रैल 18-जून 19) तथा दो भाग में विभाजित अवधि (2018-19 और अप्रैल-जून, 2019) में यह सूचना प्रस्तुत की गई है।

छछ. एसिटोन की ट्रिगर कीमत का संदर्भ लेते हुए प्रतिवादियों के इस तर्क के संबंध में कि आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वह एक एसएसआर मामला है जिसमें जाँच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जाँच संभावना के लिए की गई थी। वह वर्तमान मामले में संगत नहीं है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. विभिन्न मुद्दों के बारे में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. आवेदकों ने आवेदन में पूर्वव्यापी एडीडी लागू करने के अनुरोध के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है । सार्वजनिक फाइल में भी इस तर्क संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है ।

ख. एडीडी को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की कोई जरूरत नहीं है । कराधान कानून का मूल सिद्धांत करदाता के लिए निश्चितता और पूर्वानुमेयता होता है और इसलिए कर और शुल्क भावी प्रकृति के होते हैं । पूर्वव्यापी रूप से लागू करना एडीडी के मानकों के भी विरूद्ध है । इससे उचित आयातक और प्रयोक्ता के विरूद्ध पक्षपात होता है । अधिनियम की धारा 9क(3) में केवल दुलर्भ और असाधारण स्थितियां की दशाओं सहित अपवादों की वयाख्या है, (क) पाटन का इतिहास और (ख) अल्प अवधि में भारी पाटन । आवेदकों द्वारा अपने दावे का सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं लिया गया है । पाटन का इतिहास उस देश के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिसके विरूद्ध जाँच चल रही है । अनेक जाँचों में घरेलू उद्योग द्वारा पूर्वव्यापी शुल्क का अनुरोध किया गया है । तथापि, प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई शुल्क लगाया नहीं गया था जो स्पष्टत: दर्शाता है कि यह ऐसा प्रावधान है जिसमें असाधारण परिस्थितियों का मौजूद होना और उनका प्रयोग किया जाना अधिदेशित है। घरेलू उद्योग ने असाधारण परिस्थितियां सिद्ध नहीं की हैं। प्राधिकारी को शुल्क पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाने की सिफारिश करने से पहले अपेक्षित दशाओं का पूरा होना सुनिश्चित करना होगा । स्थितियां मौजूद हैं यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदकों का है और अगोपनीय याचिका में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है ।

ग. घरेलू उद्योग यह सिद्ध करने में विफल हुए हैं कि क्या आयातकों को निर्यातकों द्वारा पाटन की कथित परिपाटियों के संबंध में कोई जानकारी थी। आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा दिनांक 30 मई, 2020 को किए गए अनुरोधों का संदर्भ लिया गया है जहां उन्होंने कथित पाटन के निर्यातकों की जागरुकता का व विरोध किया।

घ. प्राधिकारी ने इतनी कम पीओआई अपनाने का कोई कारण नहीं बताया है और इसलिए जाँच शुरूआत संबंधी सूचना नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है। प्राधिकारी ने पूर्व में अनेक जाँचों में कम पीओआई को निरंतर अस्वीकार किया है और आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पीओआई से अधिक पीओआई पर जाँच की शुरूआत की है। फिनोल जैसे वस्तु उत्पाद के लिए 6 महीने की जाँच की अवधि बहुत अधिक त्रुटिपूर्ण है और उसके कारण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर प्रारंभिक जाँच परिणामों को हानि पहुंचाई गई है।

ड. मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड अवश्य शुरूआती दिक्कतों और तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा होगा । संयंत्र भी आंतरिक कारणों की वजह से बंद हुआ था।

च. घरेलू उद्योग निरंतर रूप से भारत में उपलब्ध विभिन्न व्यापार उपचारों के माध्यम से अत्यधिक संरक्षण के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करता रहा है। फेनोल के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति या वास्तविक क्षति के खतरे का आकलन करने के लिए एक और पाटनरोधी जाँच करने की कोई जरूरत नहीं है।

प्राधिकारी ने पिछले 17 वर्षों में फेनोल और एसीटोन के संबंध में 14 पाटनरोधी जाँच/निर्णायक समीक्षाएं की हैं। वर्ष 2019 में मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड ने फेनोल पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी से संपर्क किया था जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया था । मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड ने आयातों की प्रतिबंधित सूची में फेनोल उत्पाद को शामिल करने के लिए आवेदन किया था तथापि, रसायन मंत्रालय ने उस अस्वीकृत कर दिया था ।

छ. प्रयोक्ता उद्योग आयातों पर निर्भर हैं क्योंकि भारत में फेनोल के लिए मांग-आपूर्ति अंतर है ।

ज. आवेदक मासिक विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी को कोई अनिवार्य कारण बताने में विफल रहे हैं । डीजीटीआर नियम पुस्तिका में उन परिदृश्यों का उल्लेख है जिनमें ऐसा विश्लेषण किया जा सकता हो जिनमें कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पादन लागत में व्यापक अंतर होना शामिल है । जैसा स्वीकार किया गया है, कच्ची सामग्री की कीमतों में मामूली गिरावट आई है । मासिक पाटन आकलन के लिए मासिक लागत आंकड़ों को मंगाना होगा, जो एक भारी भरकम प्रक्रिया है । प्राधिकारी एक सरकारी अधिसूचना जारी करें और इसलिए ऐसी सूचना के लिए समय प्रदान करें।

झ. यदि फिनोल के आयातों पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब आयात की कीमत प्रतिटन यूएस डॉलर 550-600 से बढ़कर यूएस डॉलर 950 प्रति किलोग्राम हो जाएगी जिससे कीमत में बहुत अधिक अंतर हो जाएगा और घरेलू बाजार में फिनोल की कीमतों में वृद्धि होगी और उसके साथ ही निर्यात की कीमत में भी वृद्धि होगी जो कच्चे माल के रूप में फिनोल का उपयोग करते हैं।

ञ. प्रारंभिक जाँच परिणामों ने पाटनरोधी शुल्क की अनअपेक्षित और अतर्कसंगत मात्रा की सिफारिश की है। प्रारंभिक जाँच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ रूप से फलस्वरूप भारत में फिनोल के उपयोगकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति होगी। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उपयोगकर्ता अर्थात घरेलू एमएसएमई बर्बाद हो जाएंगे जो महामारी की स्थिति के बावजूद वर्तमान में राजस्व और रोजगार दे रहे हैं।

ट. संदर्भ कीमत के रूप में भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं के लिए शुल्क बहुत अधिक हद तक दंडात्मक है। प्रारंभिक जाँच परिणामों में संदर्भ कीमत के आधार पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश इस प्राथमिक कारण से उपयोगकर्ताओं के वैध हित के पूर्णतया विरुद्ध है कि आयातों की पहुंच कीमत प्रमुख कच्चे माल की कीमत जो एक क्रूड आधारित उत्पाद, में कमी के कारण वर्तमान अवधि के दौरान बहुत अधिक सीमा तक कम हो गई है। विचाराधीन उत्पाद अर्थात बेंजिन और प्रोपिलीन के कच्चे माल की कीमतों में पिछले तीन महीनों में तेजी से गिरावट आई है, जिसका शुल्क के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है जिस पर प्रारंभिक जाँच परिणामों में ध्यान नहीं दिया गया है।

ठ. कुछ मानदंडों को प्राधिकारी द्वारा संगत के रूप में माना गया है जबकि यह निर्धारण करते समय यह माना गया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश संदर्भ कीमत के रूप में की जानी चाहिए अथवा नहीं। इनके से कुछ कारकों का सारांश नीचे दिया गया है:

i. संदर्भ कीमत को और अधिक उपयुक्त माना जाता है जब प्राधिकारी इस बात से विश्वस्त हों कि डाउनस्ट्रीम उद्योग के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

ii. संदर्भ कीमत तब भी उपयुक्त हो सकती है जब प्रयोक्ता उद्योग पीयूसी के विशिष्ट श्रेणियों का आयात करते हों जो इस देश में उपलबध नहीं हो अथवा घरेलू उद्योग केवल वस्तुओं की कुछ कीमत रेंज का निर्माण कर रहा हो लेकिन उसे एक पृथक उत्पाद के रूप में अलग नहीं किया जा सकता है।

iii. संदर्भ कीमत वांछनीय नहीं है जहां प्रमुख कच्चे माल में बहुत अधिक कीमत में उतार-चढ़ाव हो सकता है – यदि प्रमुख कच्चे माल की कीमत में गिरावट आई हो तब घरेलू उद्योग को अतिरिक्त संरक्षण मिलता है और निर्यातक/आयातक अनावश्यक रूप से दंडित हो जाते हैं यद्यपि वे पाटन में शामिल नहीं हों अथवा क्षति नहीं पहुंचा रहे हों; और

iv. संदर्भ कीमत बढ़ते हुए बाजार में अप्रभावी और गिरते हुए बाजार में बहुत अधिक संरक्षणात्मक और दंडात्मक हो जाता है।

उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर, संदर्भ कीमत विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध बाजार के संबंध में वाणिज्यिक कारकों के आलोक में शुल्क का उपयुक्त नहीं होगा। ऐसा विशेष रूप से इस कारण से है कि वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में जाँच की अवधि के बाद की अवधि में गिरावट आई है। इसके अलावा कीमत में गिरावट के साथ-साथ कच्चे माल की लागतों में भी गिरावट होती है।

ड. अन्य देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क निर्धारित शुल्कों के रूप में है। अलग-अलग संबद्ध देश समूहों के बीच अलग-अलग शुल्क रूपों के फलस्वरूप आयातकों की अंतिम लागत में अंतर होगा और व्यावहारिक रूप से वर्तमान संबद्ध देशों को डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों की तुलना में अनुचित अंतर बर्ताव के कारण भारत को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने से रोकेगी। आयात के अन्य सभी स्रोतों के संबंध में दो देशों को अलग-अलग रूप से मानना सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

ढ. वर्तमान जाँच में प्राधिकारी किसी तथ्यों अथवा स्थितियों, जो संबद्ध वस्तुओं के संबंध में जाँचों में निर्धारित शुल्क लागू करने की उसकी पिछली परिपाटी से अलग हटकर शुल्क का संदर्भ कीमत रूप को लागू करने को सही ठहराता हो, के संबंध में कोई कारण अथवा तथ्य उपलब्ध कराने के असफल हुआ है। शुल्क की संदर्भ कीमत की सिफारिश करने के लिए प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी कारण के न होने पर, प्रारंभिक जाँच परिणाम भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

ण. जब कोई उत्पाद कीमत में अस्थिरता का सामना करता है और/अथवा उसके संबंध में यह जाना जाता है कि उसे बाजार में अस्थिरता का अनुभव है, प्राधिकारी द्वारा शुल्क के संदर्भ कीमत रूप की सिफारिश की जाती है। इस प्रकार से, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे दिनांक 18 जून, 2019 के कार्यालय ज्ञापन को निरस्त करें क्योंकि यह सुझाव कि शुल्क की संदर्भ कीमत रूप की सिफारिश कीमत में बहुत अधिक अस्थिरता की स्थितियों में की जानी चाहिए, वास्तव में सांविधिक नियमों का उल्लंघन होगा। यह विचार कि शुल्क के एक रूप में संदर्भ कीमत उन उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं है जो कीमत में अस्थिरता का सामना करते हैं, को भी अन्य पाटनरोधी अधिकारियों द्वारा माना जाता है।

त. फिनोल और एसीटोन संयुक्त उत्पाद हैं और इन दो उत्पादों की लागत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, यद्यपि यह कीमत मांग और आपूर्ति का एक कारक है।

थ. एसीटोन की बैंच मार्क कीमत यह दर्शाती है कि फिनोल शुल्क अवास्तविक तरीके से अधिक है।

द. आवेदन में विचार की गई क्षति की अवधि विशेषकर जाँच की शुरुआत के बाद अद्यतित क्षति संबंधी सूचना और प्रारंभिक जाँच परिणाम में बहुत अधिक अंतर है। जाँच की शुरुआत के लिए एक निर्धारित क्षति अवधि और जाँच की अवधि थी जो 2016-17, 2017-18, अप्रैल 2018-जून 2019 (वार्षिकीकृत), जाँच की अवधि- जुलाई से दिसंबर, 2019 (वार्षिकीकृत) के रूप में है और इसे प्रारंभिक जाँच परिणामों में भी लिया गया है। हालांकि, जाँच की शुरुआत के बाद आवेदकों द्वारा दी गई पाटन और क्षति की अद्यतित सूचना में अवधि 2016-17, 2017-18, 2018-19, अप्रैल 2018-जून 2019 (वार्षिकीकृत), जाँच की अवधि- जुलाई से दिसंबर, 2019 (वार्षिकीकृत) शामिल है जो जाँच की शुरुआत के अनुरूप नहीं है।

ध. जाँच की अवधि के पूर्व क्षति के विश्लेषण की अवधि उद्देश्यपरक विश्लेषण करने के उद्देश्य से एकसमान होने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, 18 महीने की एक बहुत अधिक असामान्य समय सीमा को क्षति के विश्लेषण की अवधि के भीतर मान लिया गया है। मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग का यह तर्क कि इस अवधि के दौरान कोई पाटन नहीं हुआ था, को अस्वीकार किया जाना है।

न. छह महीने की जाँच की अवधि आयातों का और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की स्पष्ट तस्वीर नहीं देगी। वार्षिकीकृत आंकड़ों में फेरबदल किया गया है और सूचकांक भी भ्रामक हो सकते हैं। पिछली जांचों में, प्राधिकारी ने छह महीने की जाँच की अवधि को सक्रिय रूप से अनुमति नहीं दी है।

प. यह तर्क कि अप्रैल-जून, 2019 में आयात की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक थीं और इस कारण से पाटन नहीं रहा होगा, गलत है और इसे सीधे तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वह एक केवल वक्तव्य है जिसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

फ. प्रारंभिक जाँच परिणाम घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई किसी वास्तविक क्षति को नहीं दर्शाता है जिसके लिए अंतरिम संरक्षण आवश्यक है।

ब. कोविड-19 ने प्रयोक्ता उद्योग को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई है। इस चरण में पाटनरोधी शुल्क अनेक प्रयोक्ता इकाईयों को बंद होने के लिए विवश कर सकता है। ये शुल्क जनहित के विरुद्ध हैं।

भ. प्राधिकारी ने आईआईएफ और आईएलएमए द्वारा किए गए अनुरोधों का संज्ञान नहीं लिया और प्रारंभिक जाँच परिणामों ने यह रिकॉर्ड किया कि कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

म. प्रारंभिक जाँच परिणामों में, प्राधिकारी ने पीपीसीएल के नाम को उन पक्षकारों जिन्होंने कानूनी अनुरोध किए हैं, में से एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया है, यद्यपि पीपीसीएल द्वारा कानूनी अनुरोधों में उठाए गए कुछ मुद्दों को प्रारंभिक जाँच परिणामों में शामिल किया गया।

य. प्रारंभिक जाँच परिणामों ने पीपीसीएल द्वारा अपने कानूनी अनुरोधों में उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है:

i. अत्यधिक गोपनीयता।

ii. पाटन की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली त्रुटिपूर्ण पद्धति।

iii. आवेदकों को कोई वास्तविक क्षति नहीं उठानी पड़ी है।

iv. एचओसीएल के लिए क्षति संबंधी आंकड़ों का न समझने योग्य समायोजन किया गया।

v. क्षति रहित कीमत आयातों को छोड़कर क्षति मार्जिन के संबंध में निर्धारण

vi. आवेदकों ने अन्य आर्थिक मापदंडों के संबंध में सुधार किया है।

vii. आवेदक को वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं उठाना पड़ता है।

कक. प्राधिकारी ने गलत तरीके से जाँच की अवधि के लिए मूल्य और अलग-अलग डेटा प्वाइंट्स के लिए वार्षिकीकृत जाँच की अवधि को सूचीबद्ध किया है जिसके कारण क्षति के आकलन की भ्रामक तस्वीर बनी है।

खख. प्राधिकारी को अपने प्रारंभिक जाँच परिणामों में उन तथ्यों अथवा परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसे यह अनंतिम शुल्क लगाने के लिए प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी करने के लिए उपयुक्त मानते थे। इस नियमावली में इन परिस्थितियों का आवश्यक होना अपेक्षित है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 7.1 के बारे में उल्लेख किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि अनंतिम शुल्क जाँच के दौरान हुई क्षति को रोकने के लिए तभी सिफारिश की जानी है, जब यह आवश्यक हो।

गग. प्रारंभिक जाँच परिणामों में, प्राधिकारी वे कारण उपलब्ध नहीं करा पाए हैं कि क्यों यह मानते हैं कि संभावित मांग-आपूर्ति अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों जिसके कारण क्षति होती हो, के विरुद्ध निवारण प्राप्त करने से वंचित करने के लिए एक कारण नहीं हो सकता। अपनी जाँच परिणामों के लिए कारण उपलब्ध कराने में असफल होकर, प्राधिकारी ने, एक अर्ध-न्यायिक निकाय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया।

घघ. पीयूसी की कीमत और कच्चे माल की कीमत दोनों को कीमत में बहुत अधिक हद तक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। घरेलू उद्योग द्वारा जो अनुरोध किया गया है, उसके विपरीत, पीयूसी की कीमतों में गिरावट के साथ-साथ कच्चे माल की लागतों में भी गिरावट आई है और वास्तव में कच्चे माल की कीमत में सदृश्य गिरावट आई है।

ड.ड. कुछ पक्षकारों द्वारा भाग लेने के संबंध में आवेदकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों में कोई कानूनी मौखिक वास्तविक तथ्य नहीं है और पक्षकार यहां स्पष्ट रूप से हितबद्ध पक्षकार हैं। आईएलएमए लैमिनेट निर्माताओं

का एक संघ है जो भारत में फिनोल का उपयोग करता है और यहां दर्शायी जा रही अन्य कंपनियां इस उत्पाद का आयातक/उपयोगकर्ता है जो आईएलएमए के सदस्य भी हैं। फिनोल का प्रयोक्ताओं की लागत में लगभग 20-25 प्रतिशत हिस्सा है जो लेमिनेट निर्माता हैं और प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वे इस जाँच की प्रक्रिया में ऐसे प्रयोगकर्ताओं के दृष्टिकोणों पर विचार करें।

चच. घरेलू उद्योग इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि क्या आयातकों को निर्यातकों द्वारा पाटन की कथित परिपाटियों के संबंध में कोई जानकारी थी। आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा दिनांक 30 मई, 2020 को किए गए अनुरोधों का संदर्भ लिया गया है जहां उन्होंने कथित पाटन के निर्यातकों की जागरुकता का विरोध किया।

छछ. संबद्ध देशों के अलग-अलग समूहों के बीच शुल्क का अलग-अलग रूप होने के फलस्वरूप डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों की तुलना में अनुचित अंतर बर्ताव के कारण भारत को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने से वर्तमान संबद्ध देशों को व्यावहारिक रूप से रोकते हुए, आयातकों की अंतिम लागत में अंतर होगा।

जज. वर्तमान जाँच में प्राधिकारी किसी तथ्यों अथवा परिस्थितियों जो निर्धारित शुल्क लागू करने की अपनी विगत परिपाटी से अलग हटकर शुल्क के संदर्भ कीमत रूप के प्रयोग को सही ठहराते हों, उपलब्ध कराने के असफल रहे हैं और इस कारण से वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों विरुद्ध है।

झझ. कार्यालय ज्ञापन व्यापार सूचना नहीं होता है। अत: दिनांक 18 जून, 2019 का कार्यालय ज्ञापन डीजीटीआर के मैनुअल को अधिक्रमित नहीं करता है। प्रतिवादियों ने मैनुअल में अस्वीकरण का संदर्भ लिया है जिसमें यह उल्लेख था कि व्यापार सूचना और परिपत्र मैनुअल की तुलना में महत्वपूर्ण होंगे। कार्यालय ज्ञापन की भाषा अनिवार्य नहीं है और यह केवल सिफारिश के रूप में है। यह प्राधिकारी को उस स्थिति में शुल्क के संदर्भ रूप की सिफारिश करने के लिए बाध्य नहीं करता है जहां पीसीएन की वृहत संख्या और बहुत अधिक उतार-चढ़ाव वाला विकेन्द्रित उत्पाद है।

ञञ. फिनोल को कीमत में बहुत अधिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है और इसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहां यह शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक हो।

टट. भूतलक्षी प्रभाव से लेवी के लिए घरेलू उद्योग का दावा पूर्व जाँच की अवधि और न कि वास्तविक जाँच की अवधि पर आधारित है और दिनांक 17 अप्रैल, 2020 का अद्यतित आंकड़ा आगे उसकी आवश्यकता को कम करता है। पाटन मार्जिन 0-10 प्रतिशत तक है। प्राधिकारी ने उन मामलों में भूतलक्षी लेवी अस्वीकार किया है जहां पाटन मार्जिन 40 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक था।

ठठ. धारा 9क(3) यह कहता है कि विरल और असाधारण स्थितियां मौजूद हैं और वर्तमान वास्तविक स्थितियां भूतलक्षी लेवी को सही नहीं ठहराती हैं और घरेलू उद्योग द्वारा कथित क्षति को दूर नहीं करेगा।

डड. घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी की गणना भारतीय रुपए में की जानी है क्योंकि समान वस्तु का उत्पादन, बिक्री और आयातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रविष्टि का बिल भारतीय रुपए में है और इसका कारण से, उस पर विनिमय दर में अस्थिरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ढढ. प्रयोक्ता उद्योग अधिकांशत: एमएसएमई हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद केवल 31 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के विरुद्ध रोजगार और वैश्विक स्तर पर क्रमश: दो तिहाई होता है। ऐसे इनपुट्स की बढ़ी हुई लागतों से आर्थिक सुधार और रोजगार की तुलना में क्षमताओं में वृद्धि पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। फिनोल की गिरती हुई कीमतें पिछले वर्ष अक्तूबर से आरंभ हुई मंदी के कारण है। कोविड-19 का प्रभाव और तीन से पांच वर्षों तक एमएसएमई पर पड़ना जारी रहेगा। पाटनरोधी शुल्क ने अपने अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और इस कारण से शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध है।

णण. प्रारंभिक जाँच परिणाम के अनुसार संदर्भ कीमत यूएस डॉलर 989 से यूएस डॉलर 1,007 प्रति मी.टन है। यूएस और थाईलैंड से फिनोल की मौजूदा आयात कीमत यूएस डॉलर 650-750 प्रति मी.टन के दायरे में होती है। कीमत में ऐसा परिवर्तन बाजार से प्रभावित होता है और वह कच्चे माल में कीमतों के उतार-चढ़ाव पर आधारित है। इस प्रकार, आयातकों से यह अपेक्षित है कि वे फिनोल के आयातों पर लगभग यूएस डॉलर 250 प्रति मी.टन - यूएस डॉलर 350 मी.टन पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करें, जो पाटन मार्जिन से अधिक है और

इस कारण से इस अधिनियम की धारा 9क(1), पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.3 और इस नियमावली के नियम 13 के अनुरूप नहीं है।

तत. जाँच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार वर्तमान मामले में किया जाना चाहिए।

थथ. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो आयात की कीमत में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप घरेलू बाजार में फिनोल की कीमतों में वृद्धि होगी। उनके 2, 4-डी सीरीज हर्बिसाइड्स की निर्यात कीमत में वृद्धि होगी। एसीटोन (2, 4-डी सीरीज का उप उत्पाद) स्क्रैप अथवा अपशिष्ट सामग्री नहीं है, जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा मौखिक सुनवाई में बताया गया है। एसीटोन का बाजार में प्राप्ति मूल्य है। घरेलू उद्योग का यह तर्क कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों की कोई साख नहीं है अथवा अनुरोध आईआईएफ पर लागू नहीं हैं। फाउंड्री उद्योग इंजीनियरिंग निर्यातों में योगदान करता है। फिनोल इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए कास्टिंग बनाने में उपयोग किए जाने वाले फिनोरिक रेसिंस के लिए प्रमुख कच्चा माल है और उसका लागत में 60-65 प्रतिशत हिस्सा है। पाटनरोधी शुल्क का ऐसे प्रयोक्ताओं की लागत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। फिनोल का लेमिनेट निर्माताओं की लागत में 20-25 प्रतिशत हिस्सा है और इस कारण से इन दृष्टिकोणों पर विचार किया जाना है।

ददद. आईआईएफ और आईएलएमए ने निर्धारित प्रपत्रों में संभव सीमा तक उत्तर प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी "हितबद्ध पक्षकारों" के दृष्टिकोणों को शामिल करने में समाहितकर्ता रहे हैं।

धघ. प्रतिवादियों ने अनुरोध किया है कि प्रारंभिक जाँच परिणामों को वापस लिया जाए और एक नई प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी की जाये क्योंकि प्रयोक्ता पर अनुचित शुल्क मात्रा लाद दिया गया है और ये शुल्क प्रयोक्ताओं के वैध हितों के विरुद्ध हैं क्योंकि आयातों की पहुंच कीमत कच्ची कीमत में गिरावट के कारण निर्धारित कच्चे माल की कीमत में कमी के कारण घटकर यूएस डॉलर 600 प्रति मी.टन हो गया।

ननन. शुल्क का रूप निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को समापत कर देगा और प्रयोक्ता अपने प्रचालन को बंद करने के लिए बाध्य होंगे क्योंकि वे ऐसी उच्च लागत वाले अंतिम उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं।

पप. जाँच की शुरुआत के समय और प्रारंभिक जाँच परिणाम में आयातों में 16 प्रतिशत का अंतर के फलस्वरूप वर्तमान मामले समाप्त हो जाएंगे।

फफ. प्रारंभिक जाँच परिणाम इस बात पर ध्यान देने के असफल रहा कि कच्चे माल की कीमतों में कोविड-19 के कारण कच्चे गल्ट के परिणामस्वरूप पिछले तीन महीनों में गिरावट आई है।

बब. प्रारंभिक जाँच परिणाम/अंतरिम शुल्क की सिफारिश वर्तमान मामले में की गई जब आयात आधार वर्ष में 110,557 मी.टन थे, गिरकर जाँच की अवधि में वार्षिकीकृत रूप में 87,410 मी.टन हो गया जो लगभग 21 प्रतिशत की गिरावट है, लेकिन विडंबना यह है कि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों की सिफारिश करने के लिए वर्तमान मामले को एक उपयुक्त मामले के रूप में पाया।

भभ. कोविड-19 का प्रभाव संपूर्ण वैश्विक मैट्रिक्स पर पड़ा है और एक पाटनरोधी उपाय जिसे "व्यापार सामान्य प्रक्रिया में) लागू किया गया, को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में व्यापार न किए जाने वाले वस्तुओं पर लागू नहीं किया जा सकता है।

मम. इस जाँच को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदकों ने सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक फाइलिंग में बहुत अधिक लाभ रिपोर्ट किया है।

यय. प्राधिकारी आवेदकों के लाभ के लिए उपभोक्ताओं की लागत पर अपने अधिकारों और अनुमति से अधिक कार्रवाई करते हैं। व्यापार उपचारात्मक उपायों का प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट व्यापार की आड़ में निजी निहित हितों को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है और उसके द्वारा विकास में उचित हिस्से की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन हो रहा है।

ककक. किसी अर्ध-न्यायिक कार्रवाई में निहित मौलक सिद्धांत यह है कि सभी तथ्य और साक्ष्य "व्यक्तिगत सुनवाई" का अवसर तथा कारण बताओ नोटिस के रूप में प्रभावित पक्षकारों को उपलब्ध है। श्री गोविंद मिश्रा उफ मिसिर बनाम श्री ज्योतिष चन्द्र राय का संदर्भ लिया गया है, जहां यह माना गया था कि आवेदन की प्रति नोटिस के

साथ अवश्य दी जानी चाहिए। बारानसिंह बोलवरी बनाम तुरा निगम बोर्ड का भी संदर्भ लिया गया था, जिसमें यह माना गया था कि उन व्यक्तियों जिनके अधिकार प्रतिकूल रूप से और हानिकारक रूप से प्रभावित हुए हैं, को कार्यवाही की प्रकृति पर विचार किए बिना निर्णय के पूर्व नोटिस देने का हक है।

खखख. अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारण से संबंधित अनेक देशों से और बिना किसी भेदभाव के उपभोक्ताओं को स्वतंत्र रूप से उपलबध वस्तुओं के आयात को पाटन अथवा अनुचित व्यापार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

गगग. भारतीय क्षमता संतोषजनक नहीं है और पाटनरोधी शुल्क एमएसएमई को समाप्त करने का प्रयास है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

27. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के मतों पर निम्नानुसार विचार किया है :

क. पीओआई के रूप में छह महीने के चयन के संबध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि छह महीने को पीओआई के रूप में अपनाया जाना नियमावली से असंगत नहीं है बशर्ते कि आवेदक ऐसी समयावधि की आवश्यकता को सत्य सिद्ध करें और प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकृत किया जाए । इस मामले में आवेदकों ने कारण बताते हुए छह महीने की जाँच अवधि पर विचार करने की जरूरत को साक्ष्यांकित किया है कि इस अवधि में पाटन शुरू हुआ है और पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि हुई है । आवेदकों ने दावा किया है कि इस तथ्य के मद्देनजर छह महीने की पीओआई की चीन जन.गण. ने मई, 2019 में संबद्ध देशों पर एडीडी लगाया था जिसके कारण भारत को संबद्ध देशों से आयात कीमतों में भारी गिरावट आई थी। इस उत्पाद का निर्यात अप्रैल और मई, 2019 महीने में काफी अधिक कीमत पर हुआ था । अप्रैल और मई, 2019 को शामिल करने का अर्थ ''पाटन नहीं हाने की अवधि''को शामिल करना होता । ऐसी अवधि को निर्धारित करना उचित नहीं होगा जिसमें पाटन का कोई आरोप न हो ।

ख. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत तर्क की प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी जाँच का उद्देश्य इस बात की जाँच करना है कि क्या उत्पाद का पाटन हुआ है और क्या ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली में अधिसूचना सं. 9/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित की गई है जिसमें नियम 2(घ क)और नियम 22 के स्पष्टीकरण को निम्नलिखित उपबंधों सहित शामिल किया गया है :

'' जाँच की अवधि –

(i) जाँच की शुरूआत की तारीख के अनुसार 6 महीने से अधिक पहले की नहीं होगी''

(ii) 12 महीने की अवधि होगी और ऐसे कारण जो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज किए जाएंगे, से 6 महीने की न्यूनतम या 18 महीने की अधिकतम अवधि पर विचार किया जा सकता है ''।

ग. आवेदकों के तर्कों की जाँच करने के बाद प्राधिकारी ने ऊपर यथाउलिखित आवेदकों द्वारा प्रदत्त औचित्य के अनुसार पीओआई के रूप में 6 महीने के चयन को उचित समझा है क्योंकि ऐसी अवधि निर्धारित करना उचित नहीं होगा जिसमें पाटन का कोई आरोप न हो।

घ. पिछली अवधि के रूप में 15 महीने पर विचार करने के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पिछली अवधि के रूप में 15 महीने पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है।

ड. मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड द्वारा शुरूआती लागत और तकनीकी समस्याओं का सामना करने संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड ने अपनी आरंभिक लागत का पूर्णत: पूंजीकरण किया है और उसे क्षति संबंधी आंकड़ों में शामिल किया गया है । इसके अलावा, कंपनी को 2018-19 में भी उत्तम क्षमता उपयोग प्राप्त हुआ है और इसलिए कंपनी की उत्पादन लागत नई उत्पादन सुविधाओं के संभावित अल्प उपयोग के कारण अधिक नहीं हो सकती है ।

च. घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न मंचों से संपर्क करने और राहत की मांग करने संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि औद्योगिक उद्यम का यह विशेषाधिकार है कि वह विभिन्न सांविधिक या विनियामक उपबंधों के अंतर्गत राहत की मांग करे।

छ. मांग-आपूर्ति में अंतर संबंधी तर्क के संदर्भ में प्राधिकारी मानते हैं कि संभावित मांग आपूर्ति अंतर क्षति पहुंचाने वाले पाटित आयातों के विरूद्ध राहत की मांग से घरेलू उद्योग को वंचित करने का कारण नहीं हो सकता है ।

ज. शुल्क के रूप के बारे में इन पक्षकारों के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी का अधिदेश कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करना तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, यदि उसे लगाया गया तो घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करना है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क के रूप का निर्धारण वर्तमान जाँच के लिए संगत सभी तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद किया जाता है और शुल्क का रूप ऐसे तथ्यिों पर निर्भर करेगा। शुल्क का रूप किसी शुल्क के अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए संगत है और प्रयोक्ताओं की आशंकाओं की जाँच इसी पृष्ठभूमि में की गई है। शुल्क का रूप प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखते हुए निर्धारित किया गया है और कुछ अन्य जाँच में अपनाए गए शुल्क का रूप वर्तमान जाँच के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। तद्नुसार, पाटनरोधी शुल्क के रूप की उपयुक्तता के बारे में निर्णय मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद लिया जाता है।

झ. क्षति विश्लेषण वार्षिकीकृत आंकड़ों की तुलना द्वारा क्षति अवधि के लिए किया गया है और न कि मासिक आधार पर किया गया है। क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन और कीमत कटौती का निर्धारण पूरी जाँच अवधि तथा समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए किया गया है।

ञ. मौखिक सुनवाई में उन पक्षकारों जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत नहीं किया था और/अथवा अनुरोध नहीं किया था, के भाग लेने और हितबद्ध पक्षकारों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दिनांक 10 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 11/2018 के अनुसार यदि किसी पक्षकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत नहीं किया है और/अथवा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा कानूनी अनुरोध नहीं किया है तब प्राधिकारी के पास किसी अन्य कंपनी को हितबद्ध पक्षकार के रूप में शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि यह किसी भी रूप में जाँच परिणाम को प्रभावित करने वाले जाँच के व्यापक हित में हो।

ट. जहाँ तक आवेदकों के इस दावे का प्रश्न है कि कुछ पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में पहली बार हितबद्ध पक्षकारों के रूप में अपने आप को पंजीकृत किए बिना भाग लिया है और मौखिक सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक तथ्यात्मक अनुरोध किया तब प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन पक्षकारों के अनुरोध जो मौखिक सुनवाई के अनुसरण में किए गए, पर विचार वर्तमान जाँच के उद्देश्य से किया गया है और आवेदकों को इन अनुरोधों के संबंध में प्रति उत्तर, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया है और उस पर भी विचार प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

ठ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जाँच परिणाम ने दिनांक 13 मई, 2020 के प्राधिकारी के निदेश के उत्तर में किए गए सभी अनुरोधों का संज्ञान लिया।

ड. जहाँ तक प्रारंभिक जाँच परिणामों में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं करने का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध देने के लिए एक स्पष्ट निदेश जारी किया गया था। यह नोट किया जाता है कि उन निदेशों के बावजूद, अनुरोध प्रारंभिक जाँच परिणाम के पूर्व कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा परिचालन किए गए थे। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर अब विचार किया है।

ढ. जहाँ तक आईएलएमए और आईआईएफ का उन्हें हितबद्ध पक्षकार के रूप में मानने के लिए आवश्यकता के बारे में तर्क का प्रश्न है, प्राधिकारी आईएलएमए के अनुरोधों से नोट करते हैं कि आईएलएमए भारत में फिनोल के प्रयोक्ताओं के एक समूह के हित का प्रतिनिधित्व करता है और उस सीमा तक, संघ और इसके सदस्यों के तर्कों पर विचार किया गया है और उस पर ध्यान दिया गया है।

ण. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क आवश्यक नहीं है और व्यापक तौर पर प्रयोक्ताओं को प्रभावित करेगा, जब मांग और आपूर्ति में अंतर हो, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क

पाटन के कारण हुई क्षति को समापत करने के सीमित उद्देश्य से लगाया जाता है और किसी भी प्रकार से इसका उद्देश्य ऐसे आयातों को रोकना नहीं है। ये तथ्य ये भी दर्शाते हैं कि मांग-आपूर्ति में अंतर काफी हद तक कम हुआ है और उचित कीमत पर आयात को रोका नहीं जाएगा।

त. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का प्रश्न है कि वर्तमान मामले में प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी करना आवश्यक नहीं है, प्राधिकारी ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए हैं।

थ. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि जाँच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया जाना है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नई जाँच में जाँच की अवधि के बाद के आंकड़े पर विचार करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। परिपाटी के रूप में, प्राधिकारी नई जांचों में जाँच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं करते हैं।

द. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रयोक्ता संघों द्वारा किए दावों की पुष्टि पर्याप्त ठोस साक्ष्य से नहीं की गई है जिससे कि उनके सदस्यों पर शुल्कों के प्रभाव की मात्रा बताई जा सके। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य देश में आयातों को रोकना नहीं है बल्कि अनुचित परिपाटियों के कारण व्यापार में हुए परिवर्तन पर ध्यान देना है और इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करना है। इस कारण से, पाटनरोधी शुल्क लगाने से किसी भी प्रकार से आयातों को हानि नहीं पहुंचेगी और न ही यह उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। बल्कि पाटनरोधी शुल्क उचित और खुली प्रतिस्पर्धा को फिर से स्थापित करता है।

ध. जहाँ तक एनआईपी की गणना का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्धारण निर्धारित नियमावली और प्राधिकारी की प्रचलित परिपाटी के अनुसार किया गया है।

न. आवेदकों ने वर्तमान जाँच में इस आधार पर शुल्कों को भूतलक्षी प्रभाव से लगाए जाने का अनुरोध किया है कि पीयूसी को वर्तमान मामले में संबद्ध देशों के द्वारा पाटित किया जा रहा है और संबद्ध देशों के द्वारा उसे पाटित भी किया गया है तथा पीयूसी के पाटन का एक लंबा इतिहास है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों से आयातों में काफी हद तक वृद्धि हुई है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, पाटन एक स्रोत से दूसरे स्रोत की ओर परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा, आवेदकों ने छह महीने की लघु अवधि के भीतर बहुत अधिक पाटन का भी तर्क दिया है। घरेलू उद्योग ने यह भी आरोप लगाया है कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आवेदकों और प्रतिवादियों के द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लगाए जाने की आवश्यकता का पर्याप्त साक्ष्य और औचित्य नहीं है।

प. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि शुल्क की संदर्भ कीमत की सिफारिश संबद्ध वस्तुओं पर निर्धारित शुल्क लगाने की पिछली परिपाटी से एक विचलन है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए सबसे पहले सिफारिश संदर्भ कीमत के रूप में थी जिसमें प्राधिकारी ने दिनांक 13 फरवरी, 2003 के अंतिम जाँच परिणाम सं. 14/04/2002- डीजीएडी जारी किया था और सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने दिनांक 24 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 47/2003 को जारी किया था।

फ. प्राधिकारी ने फिनोल और एसीटोन को संयुक्त उत्पादों के रूप में माना है और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परिपाटी के अनुरूप संबंधित कारोबार के आधार पर दो उत्पादों के बीच अलग किए जाने की सीमा तक संयुक्त रूप से हुई लागत को अलग किया है।

ब. इस तर्क के संबंध में कि भारतीय क्षमताएं संतोषजनक नहीं हैं और वैश्विक मैट्रिक्स पर कोविड-19 का प्रभाव पड़ रहा है, यह नोट किया जाता है कि वह भारत में इस उत्पाद के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है।

भ. जहाँ तक सभी हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्यों और तथ्यों को उपलब्ध कराने के संबंध में तर्क का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि जाँच के दौरान प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को ईमेल करने का उनसे अनुरोध करते हुए एक ईमेल भेजा था क्योंकि

सार्वजनिक फाइल चल रही वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों के ईमेल पते सभी को उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा, सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उनके ईमेल पते के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जहां तक व्यक्तिगत सुनवाई का प्रश्न है, उसे अनुरोध के आधार पर मंजूर किया जाता है जो वर्तमान मामले में किसी भी हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि, इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 9 अक्तूबर, 2020 को आयोजित सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को लिखित अनुरोधों, और उसके बाद प्रति उत्तरों, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया गया था।

म. पाटन के इस तथ्य को सूचना के उचित सत्यापन के बाद इन जाँच परिणामों के संगत पैराओं में पहले ही सिद्ध किया जा चुका है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटिन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए आवेदकों ने थाईलैंड के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और यूएसए के लिए यूएस गल्फ में मासिक कीमतों के लिए आईसीआईएस बुलेटिन को माना है। एक्स-फैक्टरी कीमतों का निर्धारण करने के लिए सीएफआर कीमतों में संगत समायोजन किए गए हैं।

ख. आवेदकों ने निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भ्राड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पोट खर्च और अंतर्देशीय भाड़े के लिए सीआईएफ कीमत का समायेाजन किया है।

ग. पाटन मार्जिन दोनों संबद्ध देशों के लिए सकारात्मक और बहुत अधिक है।

घ. उत्तर देने वाले निर्यातक ने अपने लिखित अनुरोधों में "विशेष बाजार स्थिति" अथवा "सामान्य मूल्य के किसी अन्य पहलुओं के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है।

ड. पीटीटी फिनोल कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर में कमियां हैं। मित्सुई इंडिया प्रा. लि., प्रारंभिक जाँच परिणामों में यथा-उल्लिखित एक संबंधित आयातक है, ने प्रश्नावली के उत्तर भाग IV का अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत नहीं किया है और नही इसने कोई अलग उत्तर प्रस्तुत किया है। असंबधित कंपनियों नामत: एफजेडई(ट्रेडकेम) और रिवरऐज इंटरनेशनल प्रा. लि; (रिवरेज) ने प्रश्नावली के उत्तरों को प्रस्तुत नहीं किया है। प्रचालन आदि पद्धतियों के मैनुअल के अनुच्छेद 12.17, 12.18, 12.20,12.20(ii) और (iv) पर विचार करने के बाद निर्यातक के उत्तर को अस्वीकार किया ही जाना चाहिए क्योंकि असंबंधित व्यापार कंपनियों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। असंबंधित निर्यातकों के निर्यातों के हिस्से की जाँच की जानी है और यदि उनका हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक होता है तब उत्तर देने वाले निर्यातक को असहयोगी माना जाना है।

च. समय अवधि के साथ अलग-अलग निर्यात लेन-देन की कीमतों में बहुत अधिक अंतर है और यह उपयुक्त नहीं होगा कि भारित औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाए और उसकी तुलना भारित औसत निर्यात कीमत से की जाए। सामान्य मूल्य के मामले के विपरीत निर्यात कीमत में कोई अनुरूप पैटर्न नहीं है। इस कारण से, भारित औसत निर्यात कीमत से भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना काफी हद तक पाटन मार्जिन में परिवर्तन करेगा। अत: भारित औसत औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण करना और अलग-अलग (लेनदेन/लेनदेन आधार) निर्यात कीमत से तुलना करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा।

छ. उत्तर देने वाले निर्यातक के कच्चे माल की कीमत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बाजार में वास्तविक कीमत को नहीं दर्शाता है। निर्यातक ने जानबूझकर इस संबंध में पर्याप्त सूचना देने से अपने आप को अलग रखा है कि क्या उत्पादन के लिए कच्चे माल की खरीद संबंधित आपूर्तिकर्ता से की गई है अथवा गुप्त रूप से उसका उत्पादन किया गया है। यह सूचना कि क्या खरीदे गए कच्चे माल की कीमतें उचित बाजार कीमतों का सूचक है और प्रतिनिधिक है, को भी गोपनीय रखा गया है। घरेलू उद्योग ने उसी व्यापक को शामिल करते

हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड से आयात किए गए फिनोल की पाटनरोधी जाँच के संबंध में चीन जनतांत्रिक गणतंत्र के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया गया है जिसमें यह पाया गया है कि कंपनी की संबंधित खरीद कीमत बाजार औसत कीमत से कम थी, इस कारण से यह विश्वसनीय नहीं है और दक्षिण पूर्व एशिया की खुली बाजार कीमत पर विचार संबंधित कीमत के रूप में की गई थी।

ज. कीमत तुलनीयता के संबंध में समायोजनों को प्रश्नावली के उत्तरों में निर्यात द्वारा गोपनीय रखा गया है।

झ. कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए विचार किया जाना है। प्राधिकारी अगोपनीय रूपांतर में कच्चे माल के मूल्यांकन के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तर देने वाले वाले निर्यातक को निदेश दे सकते हैं जिसके उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया जाना है।

ञ. यूएसए के किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है और उस कारण से प्रारंभिक जाँच परिणाम में परिकलित सामान्य मूल्य की पुष्टि की जानी है। यूएसए के लिए सामान्य मूल्य पर विचार चीन के प्राधिकारी के जाँच परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाना है क्योंकि यूएसए में निर्यातक ने उस जाँच का उत्तर नहीं दिया है।

ट. उत्तर देने वाले थाई के निर्यातक के सामान्य मूल्य पर विचार थाईलैंड में प्रचलित कीमत के आधार पर की जानी है।

ठ. आईसीआईएस की रिपोर्ट सामान्य मूल्य के लिए स्वीकार्य, वास्तविक और विश्वसनीय है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संदर्भित सेस्टैट के मामले वर्तमान मामले में संगत नहीं है क्योंकि उक्त मामले में इन कीमतों को अस्वीकार किया गया था क्योंकि यह एक लेख में उल्लिखित एक संबंधित उत्पादक के एक आंकड़े पर आधारित था। आईसीआईएस एलओआर एक मासिक रिपोर्ट है और उस पर विश्वास प्रथम दृष्टया पाटन का मौजूद होना सिद्ध करने के लिए किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए विगत में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कीमतों पर बार-बार विश्वास किया है।

ड. निर्यात कीमत में कीमत समायोजन प्राधिकारी के अनुभव, अपरिवर्तनशील अनुमानों और स्थापित कार्य-पद्धति के अनुसार किया गया है। घरेलू उद्योग ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना दी है।

ढ. पाटन मार्जिन का परिकलन माह-वार और फॉक एवं पैक की हुई सामग्री के लिए पृथक रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ण. चीन ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का चीन में आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। ये उत्पादक न केवल भारत में बल्कि देशों में भी पाटन कर रहे हैं। निर्यातक के उत्तरों के आधार पर चीन के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन अधिक है। वर्तमान मामले में यद्यपि यूएस के किसी उत्पादक ने उत्तर प्रसतुत नहीं किया है, फिर भी चीन के पाटन मार्जिन की तुलना में यह पाटन मार्जिन (10-20 प्रतिशत) अभी भी कम है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. थाइलैंड से भारत को निर्यात केवल बल्क रूप में हैं परंतु, घरेलू बिक्री बल्क और पैक्ड दोनों रूप में है । प्राधिकारी से उचित तुलना हेतु आवश्यक समायोजन करने का अनुरोध किया है ।

ख. आवेदक थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य ज्ञात करते समय किए गए समायोजनों का कोई वैध परिकलन या औचित्य बताने में विफल रहे हैं ।

ग. आवेदकों ने आईसीआईएस रिपोर्ट से सामान्य मूल्य के लिए कारखाना द्वार कीमत निर्धारित करने हेतु कोई समायोजन विनिर्दिष्ट नहीं किया है । भरोसा की गई आईसीआईएस रिपोर्ट की वैधता अस्पष्ट है । यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आईसीआईएस रिपोर्ट संबद्ध देशों से घरेलू बाजार में कीमतों का परिकलन करती है । यदि आईसीआईएस रिपोर्ट स्थानीय कीमत, घरेलू कीमतविनिर्दिष्ट करती है तो आवेदकों ने गणना हेतु समुद्री भाड़े

को गलत ढंग से समायोजित किया है । यदि आईसीआईएस रिपोर्ट में स्थानीय कीमतें विनिर्दिष्ट नहीं हैं तो प्राधिकारी ऐसे आधार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ।

घ. कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत की गणना हेतु समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा के संबंध में समायोजनों की मांग की गई है। तथापि, आवेदक निर्यात कीमत में किए गए समायोजनों के बारे में पर्याप्त सूचना और औचित्य बताने में विफल रहे हैं और इस कारण से दर्शाया गया पाटन सही नहीं है।

ड. मूल आवेदन में पैक्ड फेनोल की निर्यात कीमत को बल्क फेनोल की निर्यात कीमत से कम गलत ढंग से दर्शाया गया है जबकि अद्यतन याचिका में अलग कीमतों का उल्लेख नहीं है । गणनाओं और साक्ष्यों की सत्यता और विश्वसनीयता की इस कारणवश प्राधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए ।

च. बल्क और पैक्ड फेनोल के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन परिकलित किए गए हैं। तथापि, कोई अलग सामान्य मूल्य परिकलित नहीं हुआ है । इसके अलावा, केवल मूल जाँच में अलग निर्यात कीमत परिकलित की गई है । यह अस्पष्ट है कि ऐसा अलग पाटन मार्जिन कैसे परिकलित हुआ । प्राधिकारी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पाटन का अलग-अलग मार्जिन कृपया निर्धारित करें।

छ. दक्षिण पूर्व एशिया की कीमतों को थाईलैंड के लिए लिया गया है जो मान्य नहीं हैं क्योंकि सामान्य मूल्य देश विशिष्ट है और सामान्य कीमतों का उद्देश्य समग्र क्षेत्र में प्रचलित है जिसमें अनेक अन्य देश शामिल हैं, को किसी विशिष्ट देश के सामान्य मूल्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। उसी प्रकार से यूएस गल्फ में प्रचलित कीमतों को यूएसए के लिए विशिष्ट सामान्य मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। डाई स्टफ मैन्युफैक्चरर्स एसोएिशन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार में निर्णय पर विश्वास किया गया है जिसमें यह माना गया था कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार्य तथ्यों को संबद्ध देश और जाँच की अवधि के लिए प्रमाणिक और संगत होना है।

ज. प्रकाशनों में कीमतें सामान्य मूल्य तय करने के लिए आधार नहीं बन सकता है क्योंकि वे हमेशा कुछ मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित हैं और उन्हें संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों की वास्तविक कीमतों को सही तरीके से दर्शाने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

झ. निर्यातक ने किसी भी समय प्राधिकारी से यह अनुरोध नहीं किया कि वह सामान्य मूल्य की गणना के लिए अपनी घरेलू कीमत की उपेक्षा करें।

ञ. भारत में संबंधित आयातक के मुद्दे पर, पीपीसीएल ने अनुरोध किया है कि मित्सुई इंडिया को की गई बिक्री जाँच की अवधि के दौरान भारत को की गई बिक्री का केवल *** प्रतिशत है। इसके अलावा, यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि वह कीमत, जिस पर इन वस्तुओं को संबंधित आयातक को बेची गई थी, उस कीमत के *** प्रतिशत दायरे के भीतर है, जिस पर विभिन्न असबंधित आयातकों को वस्तुओं की बिक्री की गई थी, जिसके द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कीमत अविश्वसनीय है। किसी भी हालत में प्राधिकारी ने संबंधित आयातक के माध्यम से चैनल को असहयोगी माना है और निम्नतम प्रतिनिधिक निर्यात कीमत को असहयोगी चैनल की पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए विचार किया गया है। उपर्युक्त को देखते हुए, घरेलू उद्योग के आरोपों को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि मित्सुई इंडिया के भाग नहीं लेने का निर्यातकों के लिए कोई लाभकारी प्रभाव नहीं पड़ा है और मित्सुई इंडिया से असहयोग के उपयुक्त प्रतिकूल प्रभावों को पाटन मार्जिन की गणना में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

ट. जहाँ तक असंबंधित निर्यातकों का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि पीपीसीएल के अधिकांश असंबंधित निर्यातकों ने भाग लिया है।

ठ. उत्तर देने वाले उत्पादक पीपीसीएल ने प्रश्नावली के उत्तर के गोपनीय रूपांतर में प्राधिकारी को कच्चे माल की कीमतों के संबंध में सभी संगत ब्यौरा उपलब्ध कराया है और प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में किसी अनुवर्ती प्रश्ना के संबंध में प्राधिकारी के साथ सहयोग भी किया है।

ड. घरेलू उद्योग इस नियमावली के अनुबंध-I और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4.2 में उल्लिखित दोहरे मानदंडों को पूरा नहीं कर पाया है जो इस बात की अनुमति देता है कि भारित औसत आधार पर स्थापित

सामान्य मूल्य की तुलना अलग-अलग निर्यात लेन-देन कीमतों से की जा सकती है। भारित औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण करने और अलग-अलग निर्यात कीमत इसकी तुलना करने के घरेलू उद्योग के सुझाव को तभी माना जा सकता है जब:

i. अधिकारी यह पाते हैं कि निर्यात कीमतों का पैटर्न अलग-अलग खरीददारों, क्षेत्रों और समय अवधियों में बहुत हद तक अलग-अलग होता है।

ii. इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस प्रकार के अंतरों को भारित औसत से भारित औसत अथवा लेन-देन से लेन-देन की तुलना का उपयोग करते हुए उपयुक्त रूप से विचार नहीं किया जा सकता है।

ढ. पाटन मार्जिन की गणना माहवार और थोक एवं पैक की हुई वस्तुओं के लिए पृथक रूप से की जानी है, यदि ऐसा कीमत में कटौती के लिए किया गया है।

ण. थाईलैंड में आयात पर प्रतिबंध अथवा अनुचित व्यापार प्रतिबंध नहीं है। लाइसेंस प्रतिबंध केवल पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है।

त. पाटन की गणना करने के लिए उपयोग की गई पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार नहीं किया गया है।

थ. सामान्य मूल्य को निर्यातक की मुद्रा में प्रकाशित की जानी चाहिए क्योंकि यह निर्यातक के लिए विशिष्ट है तथा निर्यातक के गृह बाजार के देश के लिए विशिष्ट है।

द. जाँच की अवधि के दौरान "स्थापित पाटन मार्जिन" को शामिल किए बिना सिफारिश की अधिसूचना स्थापित पाटन मार्जिन की सीमा तक शुल्क के संकलन को प्रतिबंधित करने के लिए दायित्वों का उल्लंघन है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

30. अधिनियम की धारा 9क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

31. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई थी । निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के विहित उत्तर प्रस्तुत करके इस जाँच में सहयोग किया है :

i. पीटीटी फेनोल कंपनी लिमिटेड (पीपीसीएल), थाइलैंड;

ii. मै. मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) पीटीई. लि. (एमएपी), सिंगापुर;

iii. मै. मित्सुई एंड कं. लि. (एमबीके) जापान;

iv. मै. केमपार एनर्जी पीटीई. लि. (केमपार) सिंगापुर;

32. यह नोट किया जाता है कि पीपीसीएल थाइलैंड में आधारित एक उत्पादक और निर्यातक है। पीओआई के दौरान पीपीसीएल ने भारत में अपने उपभोक्ताओं और इन सभी तीन पक्षों को अपने उत्पाद बेचे हैं जो व्यापारी कंपनियां है और जिन्होंने भारत में ग्राहकों को उत्पाद बेचा है। एमएपी, एमबीके और कैमपार थाइलैंड बाजार में पीयूसी की घरेलू बिक्री में शामिल नहीं थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीपीसीएल और घरेलू उद्योग ने फेनोल के बल्क और पैक्ड रूपों में अंतर के कारण आवश्यक समायोजनों का अनुरोध किया है। प्रारंभिक जाँच परिणामों के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने जाँच की प्रक्रिया के दौरान आगे जाँच लंबित रहने तक थोक/खुदरे रूप में पीपीसीएल की सभी घरेलू बिक्रियों पर विचार किया था। तदनंतर, की गई स्वीकार्योक्तियों और डेस्क सत्यापन को देखते हुए, अंतिम निर्धारण के लिए मार्जिन की तुलना क्षति और पाटन मार्जिन दोनों के लिए थोक से थोक आधार पर की गई है क्योंकि भारत को सभी निर्यात थोक आधार पर किए गए थे।

33. यूएसए से किसी उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। तद्नुसार, संबद्ध देशों से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है :

34. सामान्य मूल्य के निर्यातक विशिष्ट होने के बारे में दिए गए तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य की गणना प्रारंभिक जाँच परिणामों में की गई है, के ब्यौरे संबंधित निर्यातकों से साझा किए गए थे और उसके बाद प्राप्त टिप्पणियों को प्रकटन विवरण में शामिल किया गया है।

छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण

थाइलैंड

पीपीसीएल, थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

35. थाइलैंड से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक अर्थात पीपीसीएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान घरेलू बिक्रियां असंबद्ध ग्राहकों को की गई हैं। प्रश्नावली के उत्तर की जाँच की गई है और यह नोट किया गया है कि प्रतिवादी ने अनिवार्य परीक्षण हेतु उचित लागत आंकड़ों सहित संबधित परिशिष्टों में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू बिक्री कीमत संबंधी ब्यौरे प्रदान किए हैं। सामान्य मूल्य के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि *** यूएस.डा./एमटी की कीमत पर घरेलू बाजार में *** एमटी की बिक्री की गई थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में निर्यातों की मात्रा की तुलना में घरेलू बिक्रियों की मात्रा पर्याप्त है। इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदों के लाभप्रदत होने के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है । यदि लाभ वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार करते हैं जहां लाभप्रद सौद 80 प्रतिशत से कम होते हैं, वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियां पर विचार किया जाता है । व्यापार के सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु लाभप्रदत घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्रियां मात्रा के अनुसार 80 प्रतिशत से कम थीं। इसके अलावा, पीपीसीएल ने कारखाना द्वार व्यय के रूप में अंतरदेशीय भाड़े, भंडारण लागत, ऋण लागत, सर्वेक्षण लागत और अन्य संबंधित समायोजनों का दावा किया है। पीपीसीएल द्वारा किए गए दावे की जाँच की गई है और डेस्क सत्यापन के बाद, प्रस्तुत किए गए उत्तर को स्वीकार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि पीपीसीएल ने थोक और पैक की गई सामग्री के बीच अंतर होने के कारण अपने सामान्य मूल्य में समायोजन का भी दावा किया था जिसे प्रारंभिक जाँच परिणाम में अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। हालांकि, चूंकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की तुलना अब केवल थोक उत्पादों के लिए की गई है अत: प्राधिकारी ने इस समायोजन को सामान्य मूल्य की गणना से हटा दिया है। संबंधित पक्षकारों से कच्चे माल की खरीद के संबंध में पीपीसीएल के विरुद्ध किए गए दावे के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीपीसीएल ने कच्चे माल के सभी पक्षकार की खरीदों और प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 6 और 11 में उल्लिखित यूटिलिटी सहित सभी संगत सूचना बताई है।

36. इस प्रकार से निर्धारित पीपीसीएल के सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है:

थाइलैंड में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाइलैंड से किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है । डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात सूचना के पठन से यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के सभी आयात बल्क/खुले रूप में ही हुए थे और इसलिए पैक्ड/ ड्रम फेनोल हेतु अलग सामान्य मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है । थाइलैंड में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं और उसे निम्नांकित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है ।

यूएसए में सभी उतपादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूएसए से किसी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जाँच में प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । यह नोट किया जाए कि आवेदक ने आईसीआईएस रिपोर्ट के आधार पर यूएसए में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यूएसए में सामान्य मूल्य संबंधी कोई सूचना नहीं दी है और यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि यह सबूत उचित नहीं है । डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात सूचना के पठन से यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के सभी आयात बल्क/खुले रूप में ही हुए थे और इसलिए पैक्ड/ ड्रम फेनोल हेतु अलग सामान्य मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। अत: यू एस के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों अर्थात आईसीआईएस रिपोर्ट में दी गई कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है । इस प्रकार, निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.5 निर्यात कीमत का निर्धारण

पीपीसीएल, थाइलैंड के लिए निर्यात कीमत

39. अपने प्रश्नावली के उत्तर में, पीपीसीएल ने यह घोषणा की है कि कंपनी ने भारत में प्रत्यक्ष रूप से तथा अपनी असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों अर्थात मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड (''एमबीके''), मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) पीटीई लि. (''एमएपी''), केमपार एनजी पीटीई लि. (''केमपार''), ट्रेडकैम इंटरनेशनल एफजैडई (''ट्रेडकैम'') और रीवरएज इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड (''रीवरएज'') के माध्यम से इस उत्पाद का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ निर्यात एमएपी द्वारा एक संबंधित आयातक अर्थात मित्सुई एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया गया है जिन्होंने प्रश्नावली का अलग उत्तर नहीं दिया है । पीपीसीएल द्वारा एमएपी, एमबीके और केमपार द्वारा बेची गई संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत और वह कीमत जिस पर एमएपी, एमबीके और कैमपार ने भारत को निर्यात किया है, की जाँच, एमएपी, एमबीके और कैमपार द्वारा वहन किए गए संबंधित व्ययों पर विचार करने के बाद की गई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीपीसीएल ने भारत को पीओआई के द्वारा ***एम.टी पीयूसी का निर्यात किया है और उसमें से ***एम.टी, ***एम.टी का भारत को व्यापार की सहयोगी श्रृंखला के जरिए निर्यात किया गया है ।

40. यह नोट किया जाता है कि एमएपी, एमबीके और कैमपार ने उनके द्वारा किए गए व्यय पर विचार करने के बाद लागत से अधिक कीमत पर उत्पाद का निर्यात किया है । किसी क्षतिपूर्ति करार या किसी अन्य कारण का कोई साक्ष्य नहीं है जिससे उत्पादक की कीमत को अस्वीकृत करने और व्यापारी की कीमत अपनाने का कोई औचित्य हो । भारत को निर्यात की सभी व्यापार श्रृंखलाएं लाभप्रदत पाई गई हैं, इसलिए प्राधिकारी ने पीपीसीएल अर्थात उत्पादक की कीमतों पर कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु विचार किया है । इसके अलावा, उत्पादक ने भारत को निर्यात के लिए कारखाना द्वार व्यय के रूप में पोत परिवहन लागत, सर्वेक्षण लागत, संभलाई प्रभार, भंडारण लागत, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभार का दावा किया है । पीपीसीएल द्वारा किए गए दावे को प्रस्तुत की गई सूचना की जाँच करने के बाद तथा डेस्क सत्यापन करने के बाद स्वीकार किया गया है।

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दो व्यापारियों अर्थात ट्रेड कैम इंटरनेशनल एफजैडई और रीवर ऐज ने पीओआई के दौरान भारत को निर्यातित उक्त ***एम.टी मात्रा हेतु अपेक्षित सूचना वाला निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (6क) और उपधारा(1) के स्पष्टीकरण (ख) तथा नियमावली के नियम 6(8) के उपबंधों के अनुसार ***एम.टी के लिए निर्यात कीमत जिसके

संबंध में अपेक्षित आवश्यक सूचना वाला उत्तर पूर्ण श्रृंखला के साथ प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। पीपीसीएल हेतु निर्यात कीमत ऊपर यथाउल्लिखित समस्त निर्यात श्रृंखलाओं (सहयोगी तथा असहयोगी) पर विचार करने के बाद भारित औसत आधार पर निर्धारित की गई है और भारित औसत निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है।

थाइलैंड से असहयोगी निर्यातक

42. थाइलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातिकों के लिए निर्यात कीमत प्रतिवादी निर्यातकों के निर्यात सौदों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

यूएसए के लिए निर्यात कीमत

43. यूएसए से किसी निर्यातक/उत्पादक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। असहयोग के कारण प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस में दर्ज आयातों और नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार समायोजनों के आधार पर यूएसए से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है।

छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

44. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु हेतु पाटन मार्जिन नीचे दिए गए अनुसार प्रस्ताव किया गया है:-

उत्पादक	सामान्य मूल्य/ सीएनवी	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
	(यूएस.डा./मी.ट.)	(यूएस.डा./मी.ट.)	(यूएस.डा./मी.ट.)	(%)	रेंज)
पीपीसीएल, थाइलैंड	***	***	***	***	10-20
थाइलैंड से अन्य निर्यातक	***	***	***	***	20-30
यूएसए से सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच

ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

45. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. चीन द्वारा पाटनरोधी शुल्क लागू करने के कारण देशों ने अपने निर्यात भारत की ओर मोड़ दिए हैं।

ख. इस तथ्य के मद्देनजर कि कच्ची सामग्री के कारण लागत में किसी गिरावट के बिना या मामूली गिरावट के बावजूद प्रस्तावित पीओआई के दौरान फेनोल की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से पीओआई के दौरान माह-वार विश्लेषण का अनुरोध किया जाता है।

ग. पीयूसी के लिए मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

घ. संबद्ध देशों से आयात पहले समग्र रूप से तथा उत्पादन और मांग की दृष्टि से कम हुए हैं और बाद में जाँच की अवधि में बढ़े हैं।

ड. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है।

च. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग में मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन की शुरूआत से वृद्धि हुई है।

छ. घरेलू उद्योग की मालसूची बढ़ती जा रही है।

ज. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट आई है और पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग घाटे में था।

झ. जाँच की अवधि के दौरान पीबीआईटी और आरओसीई नगण्य थे।

ञ. आयातों के कारण पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित हुई है।

ट. संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है ।

ठ. संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास अत्यधिक और मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं हैं तथा निर्यातक उच्च निर्यात उन्मुखीकरण भी बनाए रखते हैं और उत्पादक अपनी कंपनियों के कारोबार और राजस्व को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए निर्यातों पर निर्भर हैं। दक्षिण अफ्रीका, चीन जन.गण. और थाईलैंड में विस्तार क्षमताओं के साथ क्षमताओं की वैश्विक आधिक्य है।

ड. थाइलैंड ने पीयूसी के आयातों पर प्रतिबंध लगाए हैं और इस प्रकार, वैश्विक निर्यातों के लिए अपने बाजार को बंद कर दिया है, जिससे भारत एक लाभप्रदत बाजार बन गया है ।

ढ. पाटन से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है ।

ण. पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती हो रही है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में गिरावट आई है ।

त. पर्याप्त मांग की मौजूदगी के बावजूद आवेदकों को घाटे में निर्यात करना पड़ा है ।

थ. आवेदक ने अनुरोध किया कि यह विचार किया जाना चाहिए कि वर्तमान में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दीपक फिनोलिक्स ने उत्पादन शुरु किया है और उसके माध्यम से घरेलू बाजार में बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराई है। लगभग 80,000-100,000 मी.टन का आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किया जा रहा है जिसे उपभोक्ताओं द्वारा जारी रखा जाएगा। अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात को पाटनरोधी शुल्क और मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाती है। निवल मांग 2.5-2.6 लाख है जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

द. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आयात की कीमत में गिरावट की प्रवृत्ति के सदृश्य नहीं है। यह क्षति इतनी अधिक थी कि एक आवेदक परिवर्तनशील लागत से कम पर भी आयात करने के लिए बाध्य था। कीमतों में गिरावट कच्चे माल की लागतों से भी कम हो गया है। घरेलू उद्योग आयातों द्वारा कीमत पर लगातार दबाव के कारण अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य था।

ध. चूंकि एचओसीएल को पाटित आयातों के अलावा, अन्य कारकों के कारण 2016-17 और 2017-18 में क्षति हुई अत: उस नियमावली जिसमें ऐसी क्षति को अलग करने का प्रावधान है, को देखते हुए, आवेदकों ने 80 प्रतिशत पर क्षमता के उपयोग पर विचार कर 2016-17 और 2017-18 में एचओसीएल के निवेश पर उत्पादन की इकाई लागत , लाभ/हानि, नकद प्रवाह और प्रतिफल पर विचार किया। हालांकि, पूर्णता के वास्ते, घरेलू उद्योग ने संबंधित अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए वास्तविक लाभ/हानि के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। दो वर्षों के दौरान एचओसीएल के खर्च को मानने की पद्धति, आंशिक रूप से संयंत्र बंद करने की अवधि पर भी विचार किया जाना है।

न. आवेदकों ने अनुरोध किया कि कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण आयात संबंधी लेनदेन जिसका आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और एनआईपी से कम है, पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए। यह चिंता क्षतिकारक आयातों के विरुद्ध है और न कि क्षति रहित आयातों के विरुद्ध है। ब्राजील से मेलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स पर पाटनरोधी शुल्क – यूरोपीय समुदायों में विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट पर आवेदकों द्वारा उसके लिए विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। कोठारी शुगर्स और केमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी का भी संदर्भ लिया गया है जिसमें एनआईपी से अधिक लेनदेन की अनुमति क्षति मार्जिन की गणना के लिए की गई थी।

प. प्रतिभागियों के इस तर्क के उत्तर में कि प्राधिकारी को क्षति का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग के समायोजित न किए गए आंकड़ों पर अवश्य विश्वास करना चाहिए, आवेदकों ने अनुरोध किया कि उन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे का खंडन करने के लिए क्षति का निर्धारण करने के वास्ते समायोजित न किए गए आंकड़ों पर विश्वास करने तथा एसओसीएल के कारण हुई क्षति को अलग करने में आपत्ति है।

फ. इस तर्क के उत्तर में कि अलग-अलग क्षति मार्जिन का निर्धारण थोक और पैक किए हुए फिनोल के लिए किया जाना है और इस कारण से, घरेलू उद्योग एनआईपी का पृथक रूप से निर्धारण करने के लिए आवश्यक लागत सूचना उपलब्ध कराएगा, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि थोक और पैक किए हुए फिनोल के लिए लागत संबंधी सूचना सहित पृथक सूचना उपलब्ध कराई गई है।

ब. इस तर्क के उत्तर में कि प्रारंभिक जाँच परिणामों में आंकड़े गलत तरीके से सूचीबद्ध किए गए हैं, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि यह अनुक्रमण प्राधिकारी की स्थापित कार्य-पद्धति के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया कि उन्होंने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकों के संबंध में क्षति का दावा नहीं किया है।

भ. इस तर्क के उत्तर में कि घरेलू उद्योग को मात्रा के मामले में कोई क्षति नहीं हुई है और यह कि इसकी क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई, आवेदकों ने अनुरोध किया कि चूंकि दीपक फिनोलिक्स ने जाँच की अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया, इन मानदंडों में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग अपनी मात्रा को बनाए रखने और बाजार में टिके रहने के लिए आदर्शतम से कम कीमतों पर इस उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं।

म. इस तर्क के संबंध में कि उत्पादन और मांग की तुलना में आयात में गिरावट आई, आवेदक ने यह अनुरोध किया कि चूंकि दीपक फिनोलिक्स द्वारा एक नए बड़े स्तर पर सुविधा स्थापित की गई है अत: अत्यधिक सामग्री बाजार में उपलब्ध कराई गई है जिसके कारण आयातों में कुछ गिरावट हुई जो इसका स्वाभाविक परिणाम है जबकि पूर्व रूप में आयात इस देश में मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण आवश्यक हो गए थे। हालांकि संबद्ध देशों से आयातों में कुल आयातों की तुलना में वृद्धि हुई है।

य. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध देशों से आयात की कीमतों में वृद्धि हुई और घरेलू कीमतों में बिक्री की लागत से अधिक गिरावट आई, आवेदक ने अनुरोध किया कि आयातों की पहुंच कीमत 2016-17 और 2017-18 में उत्पादन की लागत से कम थी जबकि वह अप्रैल, 2018-जून, 2019 में उत्पादन की लागत से बहुत अधिक थी। हालांकि, आयातों की पहुंच कीमत में जाँच की अवधि में उत्पादन की लागत से कम तक गिरावट आई। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम थी जिसने इसे लागत में गिरावट से अधिक कीमतों को कम करने के लिए बाध्य किया और इसके फलस्वरूप कीमत न्यूनीकरण हुआ।

कक. इस तर्क के उत्तर में कि पाटन को छोड़कर अन्य कारकों के कारण क्षति हो रही है और यह कि प्राधिकारी ने गैर-कारण संबंध कारकों की अनदेखी की है, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि कानूनी आवश्यकता "किसी" कारणात्मक संबंध के लिए है और न कि पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के लिए है।

खख. इस तर्क के उत्तर में कि दीपक फिनोलिक्स को 14 दिन तक संयंत्र बंद रखने के कारण क्षति हुई, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि योजनाबद्ध शटडाऊन व्यापार क्रियाकलाप का हिस्सा था और चूंकि ग्राहकों ने पाटित आयातों को अधिक पसंद किया, डीपीएल पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण पहले शटडाऊन करने के लिए बाध्य था। इसके अलावा, 14 दिन से संयंत्र को बंद करना जाँच की समग्र अवधि के लिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के दावे का खंडन नहीं कर सकता है।

गग. पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण एचओसीएल को हुई क्षति के संबंध में तर्कों के उत्तर में आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि दावा की गई क्षति जाँच की अवधि के लिए है जबकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संदर्भित रिपोर्ट 2018-19 की रिपोर्ट है। यह जाँच परिणाम 2016-17 के आंकड़ों पर आधारित है।

घघ. भारत में फीड स्टॉक की कीमतें अधिक होने के तर्क के संबंध में, आवेदकों ने मै. निप्पन जीओन कं. लि., जापान और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर विश्वास किया है जिसमें माननीय सेस्टैट ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाते समय इस स्थिति पर विचार किया जाना है कि वह आदर्श स्थितियों के संबंध में नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में है।

ङङ. जहां तक संयंत्र को बंद करने और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट का प्रश्न है, यह अनुरोध किया गया था कि किसी क्षति का दावा उत्पादन में गिरावट के कारण हुई क्षति के संबंध में नहीं किया गया था। इसके

अलावा, कंपनी जाँच की अवधि में किसी ऐसे मुद्दों का सामना नहीं कर रही है, जैसाकि जाँच की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रतिवादियों के इस तर्क के उत्तर में कि जाँच की अवधि में ऑटोमोटिव क्षेत्र का डाउनटर्न के फलस्वरूप फाउंड्री रेसिन के लिए मांग में गिरावट आई और यह कि मांग-आपूर्ति में अस्थिरताओं के कारण हुई क्षति के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि जाँच की अवधि के दौरान मांग में गिरावट में घरेलू उद्योग को जोखिम की स्थिति में ला दिया है। पाटित कीमतों पर संबद्ध देश से आयात ने पहले से ही जोखिमपूर्ण घरेलू उद्योग की क्षति को बढ़ा दिया है।

चच. इस तर्क के उत्तर में कि याचिकाकर्ता कंपनियों के कार्य-निष्पादन में 2018-19 और जाँच की अवधि में सुधार हुआ है, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वार्षिक रिपोर्ट में विवरण पाटनरोधी मामले की क्षति की अवधि के दौरान निष्पादन में गिरावट के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं देता है क्योंकि उसका उपयोग हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य कारकों के कारण क्षति को दर्शाने के लिए किया जा रहा है और उस समय कोई क्षति नहीं हुई है। वार्षिक रिपोर्ट में आम विवरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलता है कि इस उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान किया है।

छछ. प्रतिवादियों के इन तर्कों के उत्तर में कि क्षति रहित लेनदेन को बाहर नहीं रखा जा सकता है, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि विरोधी पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की व्याख्या पर आपत्ति नहीं की है और इसकी बजाय यह माना कि यह कीमत में कटौती के प्रभाव का आकलन करने के लिए पद्धतियों में से एक पद्धति थी।

जज. इस तर्क के उत्तर में कि 22 प्रतिशत आरओसीई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी की सभी स्थितियों में 22 प्रतिशत प्रतिफल की अनुमति देने की परिपाटी है और इस कारण से समान मांग के सिद्धांत को सभी स्थितियों में लागू किया जाता है।

झझ. इस तर्क के उत्तर में कि संबद्ध देशों से आयात की कीमतें अन्य देशों से अधिक हैं, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्य देशों से आयात पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहा है अथवा वह न्यूनतम स्तरों पर है अथवा उच्चतर कीमतों पर है। सऊदी अरब से आयातों के संबंध में, क्षति की अवधि के दौरान आयातों का पैटर्न और प्रस्तावित जाँच की अवधि दर्शाती है कि (क) आयातों में बहुत अधिक गिरावट हुई है (ख) जाँच की अवधि के दौरान आयात केवल एक महीने में हुआ। इस कारण से यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयातों के कारण भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

ञञ. संबद्ध देशों से आयात भारतीय बाजार में कम कीमत पर हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप कीमत न्यूनीकरण हुआ है और लाभप्रदत्ता के संबंध में, घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण कीमत में हुई गिरावट की वजह से जाँच की अवधि में घाटा उठाना पड़ रहा है। जबकि ब्याज और अवमूल्यन में नई स्थापित डीपीएल संयंत्र के कारण वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग डीपीएल को बाहर किए जाने पर निवेश पर उचित प्रतिफल अर्जित करने में सक्षम नहीं है।

टट. कुल आयातों के संबंध में आयातों की मात्रा की जाँच प्राधिकारी द्वारा अपने सभी जाँच -परिणामों में निरंतर रूप से किया गया है।

ठठ. इस तर्क के उत्तर में कि पूर्व में घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया रक्षोपाय आवेदन लाभप्रदत्ता के मानदंडों पर विरोधाभासी है, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि जाँच की अवधि अलग-अलग है और वर्तमान मामले में 2018-19 को पाटित आयातों के नहीं होने के कारण शामिल नहीं किया गया है। रक्षोपाय जाँच में, आवेदक ने सभी स्रोतों से आयातों में वृद्धि का दावा किया जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। यूएस और थाईलैंड से पाटित आयातों और सभी स्रोतों से आयातों में वृद्धि घरेलू उद्योग को अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है।

डड. इस तर्क के उत्तर में कि घरेलू उद्योग के आयातों और लाभप्रदत्ता में वृद्धि के बीच कोई कारणात्मक संबध नहीं है, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि यह स्थिति कम कीमत पर आयातों के कारण हुई है और इसके कारण कीमत न्यूनीकरण हुआ है और फलस्वरूप हानि एवं निवेशों पर कम प्रतिफल मिला है।

ढढ. लाभप्रदत्ता पर दिए गए तर्क के उत्तर में, आवेदकों ने अनुरोध किया कि 2017-18 में लाभ में गिरावट आई क्योंकि आयातों की पहुंच कीमत लागत से कम थी। लाभ में वृद्धि हुई क्योंकि क्षति की समग्र अवधि में, आयातों की पहुंच कीमत अप्रैल 18-जून 19 की अवधि में ही लागत से अधिक थी। आयातों की पहुंच कीमत में पुन: गिरावट आई और यह जाँच की अवधि में लागत से कम हो गई और इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि हुई।

ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :

46. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. अप्रैल से मई, 2019 में आयात की गई 12,009 मी. टन वस्तुओं, जो जाँच की अवधि में स्टॉक में पड़ी हुई थी, के दावे के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग ने भारत में फिनोल के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय जाँच में आयात की मात्रा के संबंध में अस्पष्ट और गलत अनुरोध किए हैं।

ग. रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्य यह प्रकट करते हैं कि आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए आयातों को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत किया है और जानबूझकर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है। घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई कथित रूप से किसी क्षति संबद्ध देशों से आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के द्वारा पहुंचाई गई है। मौखिक सुनवाई के दौरान, घरेलू उद्योग ने इस तथ्य को माना था कि एचओसीएल को क्षति के विश्लेषण की अवधि के दौरान प्रचालन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जिसके लिए पाटन जिम्मेदार नहीं था और यह अनुरोध किया गया था कि ऐसी क्षति का समायोजन भारत में घरेलू उद्योग को क्षति की जाँच करते समय किया जाना था।

घ. निर्दिष्ट प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए किसी देश से सभी आयात सौदों को शामिल करने की है न कि केवल सकारात्मक सौंदों के लिए ही है। घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार यहां तक कि यदि एक एकल सकारात्मक कटौती का सौदा है तो यह निर्धारण सौदों के आधार पर सकारात्मक होना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यूरोपीय समुदाय – ब्राजील से मैलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग के मामले में दिनांक 14 नवंबर, 2001 की डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग का यह दावा गलत है। यूरोपीय संघ (ईयू) ने कीमत कटौती के निर्धारण के लिए आयात के सौदों में कटौती पर ही भरोसा नहीं किया। उन्होंने बिना कटौती वाली बिक्री के परिणामों की गणना की। दोनों गणनाओं के बीच का अंतर मामूली था और उससे निर्धारण पर प्रभाव पर्याप्त नहीं था। यह वर्तमान जाँच में नहीं हो सकता और इसके अत्यधिक खराब परिणाम होंगे।

ड. घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि क्षति मार्जिन का निर्धारण भी केवल ऐसे क्षतिकारी सौदों को शामिल करके ही किया जाना चाहिए अर्थात जहाँपर पहुंच मूल्य एनआईपी से कम है। घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि यूरोपीय संघ, जो कम शुल्क नियम के सिद्धांत का भी अनुसरण करता है, गैर क्षतिकारी निर्यात सौदों को निकालने के बाद क्षति मार्जिन निर्धारित करता है। चूंकि इस प्रथा को डब्ल्यू टी ओ में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए प्राधिकारी को केवल ऐसे सौदों पर भी विचार करना चाहिए जो एन आई पी से कम है। घरेलू उद्योग ने कोठारी सूगर्स एंड केमिकल्स लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का हवाला दिया है। केवल इस कारण की वजह से कि इस प्रथा को अभी तक डब्ल्यू टी ओ में चुनौती नहीं दी गई है, यह प्रथा स्वत: वैध नहीं हो जाती। पाटनरोधी शुल्क क्षति मार्जिन के आधार पर केवल तभी लगाया जा सकता है जब क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन से कम हो। यदि घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार भी कर लिया जाए तो ऐसे कोई मामले नहीं होने चाहिए जहाँ क्षति मार्जिन निर्यातक के लिए शून्य शुल्क लगाकर नकारात्मक हो। क्षति मार्जिन से किसी भी अवांछित सौदे को अलग किए जाने से पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा। यूरोपीय संघ ने यह स्पष्ट किया था कि गैर क्षतिकारी आयातों को अलग करके निर्धारित किया गया कटौती का मार्जिन, कीमत कटौती के प्रभाव का आकलन करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धतियों में से भी था। घरेलू उद्योग ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोठारी सूगर्स एंड केमिकल्स लि० बनाम

निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय पर गलत भरोसा किया है। माननीय न्यायाधिकरण ने इस मामले में ऐसा कोई व्यापक कानूनी कथन अथवा नियम निर्धारित नहीं किया है कि ऐसे आयात सौदे जो एनआईपी से अधिक हों, क्षति मार्जिन की गणना के प्रयोजन के लिए अलग किए जाने चाहिए।

च. संबद्ध देशों से आयातों में निरपेक्ष अर्थों में अथवा भारत में खपत अथवा उत्पादन के लिए सापेक्ष रूप में आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में भारी वृद्धि किए जाने को देखते हुए, संबद्ध आयात महत्वपूर्ण प्रकृति के नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि यू एस ए, यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, जापान और थाईलैंड ने चीन जन.गण. द्वारा मई, 2019 में एक अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद अपने निर्यातों को चीन जन. गण. से हटाकर भारत की ओर रुख किया है। तथापि, आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि आयातों में मई, 2019 के बाद कमी आई है। चीन. जन. गण. द्वारा एक अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत में आ रहे आयातों को स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं किया है। इसके अलावा, चीन के जाँच प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्धारण अलग-अलग जाँच की अवधि से संबंधित है और इस कारण से उस पर विश्वास वर्तमान जाँच में कोई निर्धारण करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

छ. संबद्ध आयातों से कीमत में कटौती अप्रैल, 2018 से जून 19 (वार्षिकीकृत) और जाँच की अवधि (वार्षिकीकृत) के लिए यूएसए से आयातों के मामले में नकारात्मक थी, जो कीमत प्रभाव पर किसी भी दावे को नकारता है। इसके अलावा, आयात कीमतों में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत के अनुरूप परिवर्तन आया है।

ज. घरेलू बिक्री कीमतों में बिक्रियों की लागत में बदलाव के साथ उसके अनुरूप परिवर्तन हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में कीमतों में प्रतिबंध अथवा दबाव का कोई दावा नहीं किया जा सकता।

झ. संगत आर्थिक पैरामीटर का एक विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, और बिक्री सहित लगभग सभी संगत आर्थिक पैरामीटरों में निष्पादन में सुधार दर्शाया है जैसा कि अद्यतन आवेदन और वार्षिक रिपोर्ट और प्रारंभिक जाँच परिणामों से देखा जा सकता है।

ञ. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि होने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान अपने बाजार अंश में तेजी से वृद्धि कर रहा है।

ट. अकेले दीपक फिनोलिक्स लि० के पास ही बाजार में करीब 55 प्रतिशत हिस्सा है। यह स्पष्ट है कि बाजार में संबद्ध आयातों का हिस्सा महत्वपूर्ण प्रकृति का नहीं होगा।

ठ. घरेलू उद्योग के समक्ष कर्मचारियों, मजूदरी, और प्रति व्यक्ति उत्पादकता के संदर्भ में कोई हानि नहीं आई है।

ड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जाँच की अवधि में घरेलू बिक्रियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन उसके द्वारा व्यय की गई अधिक व्याज और मूल्यह्रास लागतों से प्रभाव पड़ा है।

ढ. दीपक फिनोलिक्स लि० को यदि कोई क्षति हुई है, तो वह स्टार्ट-अप की समस्याओं के कारण से है, जो वाणिज्यिक उत्पादन और अनुचित कीमत नीति शुरू होने में विलंब होने के कारण से है।

ण. दीपक फिनोलिक्स लि. द्वारा अपने निवेशक पत्राचार में प्रस्तुत रिपोर्ट में 'पाटित आयातों' का कोई उल्लेख नहीं है।

त. घरेलू उद्योग की आयात की मात्रा और लाभ संबंधी मापदंडों के बीच सह संबंध न होना यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं हैं।

थ. यह विश्वास करने के लिए सशक्त प्रथमदृष्ट्या कारण है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा को बैलेंस शीट के संदर्भ में प्रकाशित अंतिम लेखों के वास्तविक आंकड़ों के साथ मान्य नहीं किया गया है जिससे कि एन आई पी, क्षति और कथित पाटन के दावे को मान्य किया जा सके।

द. भारत में उत्पादकों में एक उत्पादक के बारे में यह जानकारी है कि वह अपने फिनोल का निर्यात हाल के समय में 750 यू एस डॉलर से भी कम कीमत पर कर रहा है और अभी भी बुनियादी सीमा शुल्क के संरक्षण के साथ तुलनीय अथवा जोड़ी गई समान कीमतों पर भारत में आयातों से क्षति होने का दावा करता है।

ध. कम से कम एक प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत अर्थात बेनेजेन की कीमत के आधार पर एन आई पी का एक पारदर्शी निर्धारण होना चाहिए। आवेदकों द्वारा अपनाई गई वर्तमान कार्य पद्धति घरेलू उत्पादकों के पक्ष में एन आई पी को दर्शाती है और उपभोक्ता उद्योगों का नुकसान करती है। बेनजीन की और पोलिप्रोपाइलीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें परिवर्तनीय हैं और हर समय न्यून स्तरों पर गिरती हैं।

न. प्राधिकारी द्वारा यू एस डॉलर में परिवर्तित करके एक संदर्भ कीमत अथवा एक निर्धारित पाटनरोधी शुल्क लगाकर अपनाई गई कार्य पद्धति नियम 17 (1) (ख) को अनुचित रूप से तोड़ मरोड़कर अपनाई गई है।

प. आवेदक ने निर्यातक देशों में फ्री डिस्पोजेबल क्षमताओं के संबंध में समर्थन में साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं।

फ. मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० की वार्षिक रिपोर्ट में कारणात्मक संबंध के रूप में उच्च ब्याज, मूल्यह्रास और कर्मचारी मजदूरी लागतों को दर्शाया गया है। रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि कंपनी ने फिनोल के लिए रिकार्ड उत्पादन हासिल किया है और यह कि भारत में फीडस्टॉक की कीमतें अन्य निर्यातक देशों की तुलना में अधिक हैं और भारतीय उत्पादन अधिक ओवरहेड लागतों के कारण प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नुकसान में है।

ब. प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार पर्याप्त क्षति संबंधी दावों की आशंका के लिए जाँच की अवधि के प्रश्चात के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना है। तथापि, मै० दीपक फिनोलिक्स लि० की अद्यतन सूचना में पर्याप्त क्षति होने की कोई आशंका नहीं है। मै० दीपक नाइट्राइट लि० की लेखा परीक्षित वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही के परिणामों मेंपीबीआईटी में 40.5 करोड़ से 63.60 करोड़ रूपए की 33 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है। वर्ष दर वर्ष तुलना यह दर्शाती है कि पीबीआईटी और राजस्व 2018-2019 की तुलना में 2019-20 में लगभग दोगुना हो गए हैं। मै० दीपक फिनोलिक्स लि० के लिए कंपनी के समग्र बिक्री राजस्व में दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही में 23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और समग्र लाभ में दूसरी तिमाही से चौथी तिमाही में काफी वृद्धि हुई है, जो पर्याप्त क्षति की आशंका को नहीं दर्शाता । हाल के आयात संबंधी डाटा भी अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक के वार्षिक आंकड़ों की तुलना में 2018-19 के लिए आयात की मात्रा में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त क्षति/संभावित क्षति की निष्कर्षत: आशंका के प्रयोजन के लिए परिकलित सभी कारकों की मौजूदगी पर विचार किया जाए।

भ. आवेदकों द्वारा, मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० की 80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग होने को देखते हुए क्षति के संबंध में समायोजन की पद्धति प्रदान की गई है, जो अपारदर्शी है और जो जानबूझकर अस्पष्ट दशाई गई प्रतीत होती है ताकि हितबद्ध पक्षकारों को सार्थक टिप्पणी करने से रोका जा सके।

म. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० के समक्ष जापान और थाईलैंड से एसिटीन के आयातों पर पाटनरोधी जाँच में कच्ची सामग्री की उपलब्धता के संबंध में समस्या आई है।

य. यदि एकमात्र शेष घरेलू उद्योग का सदस्य दीपक फिनोलिक्स लि. है तब इसने वास्तविक क्षति के बजाय वास्तविक मंदी का आरोप लगाना चाहिए था।

कक. समग्र क्षति अवधि की तुलना में केवल 2016-17 और 2017-18 के लिए डाटा के समायोजन के लिए कोई भी कारण प्रदान नहीं किए गए हैं। क्षति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए आवेदकों ने मिले-जुले आंकड़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और 2016-17 को आधार वर्ष के रूप में लिया है, जबकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अन्य घरेलू उद्योग के सदस्यों के समक्ष हुई क्षति असंगत कारकों के संबंध में है।

खख. जबकि थाईलैंड से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, क्योंकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी गिरावट आई है। थाईलैंड से आयातों की मात्रा का आवेदकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

गग. सशक्त बिक्री और लाभप्रदता के निष्पादन के चलते इन्वेन्ट्री के संबंध में दावे पर्याप्त नहीं हैं।

घघ. सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एक अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन की आवश्यकता भविष्य में बढ़ते आयातों के संबंध में एक निवारक के रूप में कार्य करेगी।

ड.ड. आवेदकों ने अप्रैल-जून, 2019 में लाभप्रदता में अपनी सबसे अधिक गिरावट देखी है, यह ऐसी अवधि है, जिसमें थाईलैंड के लिए कीमत कटौती नकारात्मक थी। इस प्रकार से, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे थाईलैंड से कीमत कटौती होने को आवेदकों के लाभों में महत्वपूर्ण गिरावट होने से जोड़ा जा सके।

चच. प्राधिकारी को मैसर्स हिन्दुस्तान ऑगेनिक्स कैमिकल्स लिमिटेड के खराब निष्पादन की जाँच करनी चाहिए और यह देख्रा चाहिए कि मैसर्स हिन्दुस्तान ऑगेनिक्स कैमिकल्स लिमिटेड को हुई कोई कथित क्षति उनकी अपनी अक्षमताएं जारी रहने के कारण से है न कि इसका कारण संबद्ध आयातों का होना है ।

छछ. कथित कटौती और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कारणात्मक संबंध में एक बाधा है। साथ ही आवेदक केवल इस प्रकार की अटकलबाजी के अलावा कोई तर्क देने में विफल रहे हैं कि थाईलैंड से आयात प्रतिबंधों से भारत में अधिक आयात हो रहे हैं।

जज. शुल्क लागू रहने के बावजूद भारतीय उद्योग को निरंतर क्षति होते रहना यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को हुई कोई भी क्षति बाह्य कारकों की वजह से है।

झझ. संबद्ध देशों से 2016 से 2019 के दौरान आयतों में वृद्धि का कारण पाटन नहीं है बल्कि भारतीय बाजार के विकास के लिए डाउनस्ट्रीम उद्योग का विकास आवश्यक है।

ञञ. मामले के तथ्य जो प्रारंभिक जाँच परिणाम में सामने आये थे, दर्शाते हैं कि इस मामले में कोई शुल्क अपेक्षित नहीं था क्योंकि एनआईपी और पहुंच कीमत के बीच अंतर बहुत कम है और कोई वास्तविक क्षति पूर्ण रूप से नदारद रही है। बल्कि प्राधिकारी ने बैंच मार्क शुल्क का विकल्प लिया ताकि आयात के समय फिनोल की कीमत बहुत उच्च स्तर पर निर्धारित की जा सके जो अत्यधिक एकपक्षीय है और वह मांग और आपूर्ति के निष्पक्ष बाजार सिद्धांतों के विरुद्ध हुआ है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रारंभिक जाँच परिणामों में अपनाए गए शुल्क के रूप की समीक्षा करें। प्रयोक्ता अभी भी विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए विवश हैं क्योंकि भारत में क्षमता मांग से बहुत कम है और ऐसे परिदृश्य में बेंच मार्क शुल्क बहुत अधिक अनुपयुक्त है।

टट. डीपीएल भारत में अब फिनोल का प्रमुख उत्पादक है यद्यपि कंपनी ने पिछले वर्ष फिनोल का उत्पादन शुरू किया, यह पहले ही लाभ के उच्च स्तर पर पहुंच गया। एचओसीएल को ऐतिहासिक रूप से अपने अंतर्निहित मुद्दों के लिए हानि होती रही थी और वर्तमान मामले में इसने कुछ खराब वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए उसमें वृद्धि की जो भारत में फिनोल उद्योग की सही स्थिति नहीं है। इस प्रकार, क्षति का कोई भी मानदंड यह नहीं दर्शाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति हुई है।

ठठ. घरेलू उद्योग की एनआई पर भारतीय रुपए में अवश्य विचार किया जाना चाहिए और यदि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश संदर्भ कीमत आधार पर की जाती तब एनआईपी, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत अवश्य बताया जाना चाहिए। यदि घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत को यूएस डॉलर में माना जाता है तब इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां भारतीय आयातक द्वारा आज भुगतान योग्य पाटनरोधी शुल्क विनिमय दर, जिसे जाँच की अवधि के लिए 71.67 भारतीय रुपए प्रति यूएस डॉलर माना गया था, के आधार पर गणना की गई क्षति रहित कीमत से अधिक होगी। भारतीय मुद्रा में क्षति रहित कीमत को उपयुक्त पाटनरोधी शुल्क का सही आकलन करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारी को समर्थ बनाने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

डड. एनआईपी का निर्धारण कानून द्वारा यथा-अपेक्षित आवेदकों द्वारा वास्तविक रूप से वहन की गई लागतों का उचित सत्यापन अथवा वैधकरण के बिना किया गया है।

ढढ. कारणात्मक संबंध सही नहीं है क्योंकि घरेलू उत्पादक लाभप्रद कीमतों पर अपने समग्र उत्पाद की आसानी से बिक्री करने में सक्षम हैं।

णण. पाटित आयातों के मात्रा संबंधी प्रभाव का आकलन करते समय, यह माना जाता है कि प्राधिकारी इस पर विचार करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की मात्रा में "बहुत अधिक" वृद्धि हुई है। स्वतंत्र रूप में और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि मात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव मौजूद है। उसी प्रकार से, कीमत मानदंडों के संबंध में भी, कीमत में कटौती बहुत अधिक होने की आवश्यकता है और विकल्प के रूप में, यह अवश्य ही दर्शाया जाना चाहिए कि आयातों की कीमतों का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।

तत. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यूएसए और थाईलैंड पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, इन देशों ने अपने निर्यातों को भारत की ओर परिवर्तित कर दिए हैं। हालांकि वृद्धि की बजाय संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट हुई है।

थथ. न तो प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक जाँच परिणामों में और न ही घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है क्यों अथवा किस प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों के कारण और न कि अन्य देशों से आयातों के कारण कीमतों पर दबाव पड़ा था और कीमतें कम हुई थीं जब अन्य देशों से इस देश में आयात उन कीमतों पर हो रहे थे जो संबद्ध देशों से बहुत अधिक हद तक कम था।

दद. प्रारंभिक जाँच परिणामों में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति के बारे में यह निष्कर्ष निकाला कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में कुल आयातों के संबंध में वृद्धि हुई है। हालांकि, कुल आयातों की तुलना में आयातों की मात्रा में वृद्धि एक संगत आर्थिक कारक नहीं है जिसका संबंध घरेलू उद्योग की स्थिति से हो और इन दोनों के बीच कोई भी सह-संबंध नहीं है।

धध. प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया है कि इस प्रकार से अन्य देशों से आयात जो संबद्ध आयातों से कमतर कीमतों पर हुए थे, कथित कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का कारण नहीं था और न ही संबद्ध आयातों के प्रभाव से इस प्रकार के अन्य आयातों के द्वारा पहुंचाई गई क्षति को अलग किया गया है।

नन. घरेलू उद्योग द्वारा आयातों की गणना के लिए अपनाई गई "समायोजन" की पद्धति अस्पष्ट, अपारदर्शी है और इसके फलस्वरूप दो बार गिनती हुई है। पद्धति के अनुसार, आयातों में जाँच की अवधि के दौरान कमी होनी चाहिए थी लेकिन इसके बजाय उसमें काफी हद तक वृद्धि हुई। प्राधिकारी की सतत् कार्य-पद्धति व्यापार उपचार जांचों में डीजीसीआईऐंडएस और डीजीएस के आंकड़ों पर विश्वास करना है। यदि समायोजन के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तब यह समस्या प्रत्येक जाँच में उत्पन्न होगी।

पप. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों जिनके कारण उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, की जाँच करें और इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान जाँच में, प्राधिकारी ने संबद्ध आयातों को उत्तरदायी ठहराए जाने से एचओसीएल को ऐसी क्षति को बाहर रखने की बजाए लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में जाँच की अवधि में प्राप्त किए गए क्षमता उपयोग पर विचार कर एचओसीएल के कार्य-निष्पादन मानदंडों में संशोधन करने के लिए कहा है। यह वह नहीं है जिसे कानून के अंतर्गत निर्धारित किया गया हो। प्राधिकारी जाँच की अवधि में प्राप्त किए गए क्षमता के उपयोग के सतर पर विचार करते हुए एचओसीएल के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने का विकल्प नहीं ले सकते हैं। इस तथ्य को छोड़कर कि यह घरेलू उद्योग को क्षति संबंधी मानदंडों में तेज गिरावट को दर्शाने में मदद करता है, ऐसे समायोजन को न्यायोचित ठहराने का कोई कारण नहीं है।

फफ. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आंकड़ों में किसी समायोजन करने के लिए अपने कारणों का भी उल्लेख नहीं कर पाए हैं और एचओसीएल के लिए समायोजन के संबंध में अपनाई गई पद्धति का उल्लेख करने में भी असफल रहे हैं। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे सबसे पहले क्षति के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग के असमायोजित आंकड़ों पर विश्वास करें। या तो असमायोजित आंकड़ों पर विश्वास किया जाना है अथवा स्टीक पद्धति के बारे में स्पष्ट किया जाना है। प्रतिवादियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और

अन्य का संदर्भ लिया है जिसमें यह माना गया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तर्क का न होना, अपील के अधिकार को प्रभावित करता है।

बब. प्राधिकारी ने पीपीसीएल की सभी घरेलू बिक्री को प्रारंभिक जाँच परिणामों में यथाउल्लिखित फिनोल के थोक/खुदरे रूप में माना है। यह अनुरोध किया जाता है कि पीपीसीएल द्वारा की गई विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री थोक और पैक किए हुए रूप दोनों में है। इस संबंध में, पीपीसीएल यह स्पष्ट करना चाहता है कि परिशिष्ट 4क में बिक्री के रूप कॉलम के अंतर्गत "ट्रक" के रूप में दर्शाए गए लेनदेन वास्तव में "पैक किया हुआ" फिनोल की बिक्री है जबकि "पाइप लाईन" के रूप में उल्लेख किया गया लेनदेन वास्तव में "थोक/खुदरा" फिनोल बिक्री है। थोक और पैक किए हुए फिनोल के बीच कीमतों में अंतर को देखते हुए, प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि भारत को निर्यात कीमतों के साथ संबद्ध देशों की घरेलू कीमतों की उचित तुलना किए जाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समायोजन करें। निर्यातकों ने पहले ही उपयुक्त समायोजन उपलब्ध कराए हैं जिसके संबंध में यह प्रतीत होता है कि उस पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

भभ. निर्यातक यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी की पिछली परिपाटी के अनुरूप थोक और पैक की हुई बिक्री के लिए अलग क्षति और पाटन मार्जिन निर्धारित गया है। रिकॉर्ड पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि आवेदकों ने कीमतों में अंतरों को मान लेने के बावजूद थोक और पैक की हुई फिनोल के लिए उनकी लागत संबंधी सूचना पृथक रूप से प्रस्तुत नहीं की है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे घरेलू उद्योग को पीयूसी के थोक और पैक की हुई बिक्री के लिए पृथक रूप से एनआईपी का निर्धारण करने के लिए संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए और थोक एवं पैक किए हुए बिक्री के लिए अलग-अलग एनआईपी की गणना करने के लिए घरेलू उद्योग को निदेश दें।

मम. संबंद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि स्पष्ट रूप से देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग से अधिक हुई है जो घरेलू उद्योग को मात्रात्मक क्षति के अभाव को दर्शाता है। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा के कारण कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति अधिकांशत: आयात कीमतों के अनुरूप है जो संबद्ध देशों से आयातों के द्वारा कीमत में कटौती नहीं किए जाने को दर्शाता है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण न तो कीमतों पर दबाव पड़ा है और न ही वे कम हुई हैं।

यय. प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जाँच परिणामों में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों को छोड़कर उन कारकों, जिनका घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति, यदि कोई हो, में योगदान हुआ होगा, पर व्यापक रूप से विचार किए बिना क्षति का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रतीत होता है कि निर्यातकों द्वारा अपने प्रारंभिक अनुरोधों में दर्शाए गए गैर-उत्तरदायी कारकों की प्राधिकारी द्वारा अनदेखी की गई है।

ककक. एचओसीएल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह माना है कि फीड स्टॉक कीमतें अन्य निर्यातक देशों की तुलना में भारत में अधिक है और भारतीय उत्पादकों को इस प्रकार के उच्चतर ऊपरी शीर्ष लागतों के कारण प्रतिस्पर्धी हानि पर होती है। अपेक्षाकृत अधिक कच्चे माल की कीमतों के साथ कीमत ह्रास/न्यूनीकरण तथा क्षति रहित कीमत की गणना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना लाजिमी है। इस कारण से, उपर्युक्त उद्धरण एचओसीएल द्वारा असावधानीवश मान लिया गया है कि कीमत क्षति ऊपरी शीर्ष लागतों को नियंत्रित करने के लिए आयातों के कारण नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता जैसे अन्तर्निहित समस्याओं के कारण है।

खखख. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे एचओसीएल के खराब प्रदर्शन की जाँच करें और यह पता लगाएं कि एचओसीएल द्वारा उठाई गई कथित क्षति की अपनी लगातार अक्षमताओं का परिणाम है और न कि उसका कारण संबद्ध आयात है।

गगग. एसआई ग्रुप के वित्तीय विवरणों का आकलन ने यह दर्शाया कि क्षति की अवधि के दौरान फिनोल के राजस्व में वृद्धि हुई।

घघघ. संबद्ध आयातों के कारण कीमत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

ड़ड़ड़. क्षति-रहित लेनदेन का अपवर्जन प्राधिकारी की विगत कार्यपद्धतियों का विरोधाभासी है। प्रतिवादियों ने जापान और कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच का उल्लेख किया है जिसमें इस तर्क को उस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि कीमत में कटौती की गणना डीजीसीआईऐंडएस के आंकड़ों और न कि चयनित लेनदेन पर विचार करते हुए, किया जाना है। आगे इस पर विचार करना उचित नहीं है और यह पाटनरोधी करार का उल्लंघन है, जैसाकि ईसी-बेड लिनन में डब्ल्यूटीओ निकाय द्वारा माना गया है।

चचच. क्षति के विश्लेषण के संदर्भ में, प्रारंभिक जाँच परिणामों में दिए गए आंकड़े आवेदकों द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को दायर की गई अद्यतित याचिका में दिए गए समायोजित अथवा असमायोजित आंकड़ों के सदृश्य नहीं है। यह स्पष्ट है क्योंकि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों के अनुच्छेद 51 में यथा उल्लिखित जाँच की अवधि में प्राप्त किए गए क्षमता उपयोग को स्वीकार्य रूप से माना है।

छछछ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में क्षति मार्जिन, सुधार और वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए क्षति रहित कीमत आयातों के अपवर्जन से संबंधित तर्कों पर विचार नहीं किया है।

जजज. प्रारंभिक जाँच परिणामों में जाँच की अवधि और जाँच की अवधि (वार्षिकीकृत) के लिए आंकड़ों को सही तरीके से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जाँच की अवधि और जाँच की अवधि (वार्षिकीकृत) के लिए सूचीबद्ध मूल्य रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के लिए वही है। लाभप्रदत्ता, नकद लाभ और आरओसीई को भी गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है।

झझझ. घरेलू उद्योग को मात्रा के मामले में कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री में जाँच की अवधि (वार्षिकीकृत) में 472 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि विचाराधीन उत्पाद की मांग में केवल 14 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों में 21 सूचकांकों और 27 सूचकांकों तक गिरावट आई, जब उसकी तुलना अप्रैल 18-जून-19 (वार्षिकीकृत) के पिछले वर्ष से की गई है। घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री में बहुत अधिक तक वृद्धि हुई है।

ञञञ. उत्पादन और मांग की तुलना में आयात में क्रमश: 220 प्रतिशत और 12 प्रतिशत तक गिरावट आई है।

टटट. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति आयात कीमतों के अनुरूप है। यूएसए के लिए 72,085 मी.टन की पहुंच कीमत के साथ नकारात्मक कीमत कटौती और थाईलैंड के लिए 69,574 मी.टन की पहुंच कीमत के साथ सकारात्मक कीमत और कीमत में अंतर केवल 3.5 प्रतिशत है, घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती को थाईलैंड से आयातों के लिए बहुत कम माना जा सकता है।

ठठठ. संबद्ध देशों से आयात की कीमतों में 8 सूचकांक तक वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की कीमतों में 13 अंक तक कमी आई है, जबकि कीमतों की लागत में केवल 4 अंकों की कमी आई है। आयातों के कारण और न कि कुछ अन्य कारणों, शायद इनकी अपनी नीतियों और कीमत निर्धारण तंत्र के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

डडड. दीपक फिनोलिक्स को वित्तीय वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के लिए निवेशक के पत्र में यथा उल्लिखित 14 दिनों तक संयंत्र के अस्थाई रूप से बंद होने के कारण क्षति हुई जिसके कारण राजस्व और ईबीआईटीडीए में गिरावट आई थी।

ढढढ. एचओसीएल को कीमत क्षति अंतर्निहित समस्याओं जैसे प्रतिस्पर्धी कीमत पर कच्ची सामग्री की उपलब्धता, ऊपरी शीर्ष लागतों को नियंत्रित करने में अक्षमता और सुविधाओं के आधुनिकीकरण का न होने के कारण हुई है। एचओसीएल की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि कंपनी को लगातार हानि के कारण कार्यशील पूंजी की कमी और कार्यशील पूंजी वित्त की अनुपलब्धता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि 48 दिनों तक बंद रहने के कारण और बेनजिन कमी के कारण 8 दिन और 7 दिन का लॉकडाउन के कारण उत्पादन में कमी आई थी। घरेलू उद्योग को यह दर्शाना चाहिए कि वह इस प्रकार से वार्षिक रिपोर्टों में इन मुद्दों पर जाँच की अवधि में विचार किया है।

णणण. एचओसीएल को रुग्ण इकाई घोषित किया गया और रसायनी यूनिट 2013 से बंद कर दी गई। कोच्चि यूनिट में उत्पादन कार्यशील पूंजी की समस्याओं के कारण वर्ष 2015 के मध्य से रोक दिया गया।

ततत. वर्ष 2018-19 और एचओसीएल तथा डीपीएल के संदर्भ में जाँच की अवधि में सुधार वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया था। एसआई ग्रुप के वित्तीय विवरण 2018-19 में छह अंकों तक क्षति की अवधि के दौरान फिनोल के राजस्व में वृद्धि दर्शाते हैं।

थथथ. वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है क्योंकि संबद्ध देशों से आयातों में कमी आई है और उसके बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में क्षमताओं और मालसूचियों का कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया, घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती और प्रदर्शन के बीच कारणात्मक संबंध में विच्छेद है और घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया है कि थाईलैंड से आयात प्रतिबंधों के कारण भारत में आयात में वृद्धि होगी।

ददद. तर्कसंगत आरओसीई के रूप में 22 प्रतिशत की मान्यता न्यायोचित नहीं है।

धधध. उस समय जब ब्याज की बैंक दर (पीएलआर) 18 प्रतिशत था तब 22 प्रतिशत आरओसीई अपनाया गया था लेकिन यह अब काफी हद तक कम है (7-10 प्रतिशत)। पूर्व निर्धारित और तय की गई 22 प्रतिशत पाटनरोधी करार के अनुसार अब "उचित" नहीं है। वर्तमान मामले में, इन निधियों को 2.5 प्रतिशत एलआईबीओआर पर विदेश से ऋण लिया जाता है, भारत में बैंक से ऋण लेना 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर होता है। मुद्रा में अस्थिरता का लाभ उठाया जाता है और ह्रास का दावा किया जाता है। इसके संबंध में निर्णय किसी भी व्यापार में निवेश और बिट की वास्तविक लागतों पर विचार करते हुए मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए।

ननन. प्राधिकारी को इस बात का आकलन अवश्य करना चाहिए कि क्या 15 आर्थिक कारक वास्तविक अथवा संभावित गिरावट दर्शाते हैं। इसके अलावा, पैरा (ii) में मौजूद स्थितियों के बिना पैरा (iv) में आर्थिक मानदंडों में गिरावट मात्र से क्षति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

पपप. प्रारंभिक जाँच परिणामों में किए गए उल्लेख के विपरीत, घरेलू उद्योग की क्षमता की मात्रा के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कानून के अंतर्गत आवश्यकता नहीं है। कुल आयातों में संबद्ध आयातों की मात्रा उस प्रभाव को नहीं दर्शा सकता है जो मात्रा के संबंध में है क्योंकि इसका घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

फफफ. आवेदकों ने आयातों की वेयर हाउसिंग पर अपने दावे के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। यदि यह थोड़ा भी सही है तब जाँच की अवधि में आयातों को भी वेयर हाउस में रखा जाएगा और न कि उसकी खपत की जाएगी। अत: इस पद्धति को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

बबब. संबद्ध देशों की आयात कीमत अन्य देशों से आयातों चाहे उस पर पाटनरोधी शुल्क लगता हो अथवा नहीं, से अधिक है। अन्य देशों के आयात जो भारत में कुल आयातों का 31.48 प्रतिशत है, उन कीमतों पर हो रहे हैं जो काफी हद तक संबद्ध देशों से कमतर हैं। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि क्यों कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण संबद्ध आयातों और न कि अन्य आयातों के कारण है।

भभभ. यदि लेनदेन से लेनदेनवार आयात कीमतों पर विचार कीमत में कटौती का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाना है, तब घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर भी लेनदेन से लेनदेन आधार पर अवश्य किया जाना चाहिए जो आयातों की तुलना किए जाने के समय समान है। उचित तुलना सुनिश्चित की जानी है।

ममम. वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने इस संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य उपलब्ध नहीं कराया है कि किस प्रकार से निकट समय में कीमत में कटौती के अलग-अलग लेनदेन में संपूर्ण रूप से बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता थी। कोठारी शुगर्स ऐंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सेस्टैट का निर्णय अविश्वसनीय है क्योंकि कोरिया-न्यूमेटिक वाल्वस पर विचार नहीं किया गया।

ययय. जाँच की अवधि में लाभप्रदत्ता संबद्ध देशों से आयातों के कीमत ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभावों के बजाए वहन की गई ह्रास कीमतों के द्वारा प्रभावित हुई थी। लाभप्रदत्ता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के लिए कम कीमत पर किए गए अन्य आयातों को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है।

ककक. कुल आयातों की तुलना में आयातों की मात्रा में वृद्धि घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंधित एक संगत आर्थिक कारक नहीं है और इन दोनों के बीच कोई सहसंबद्ध नहीं है।

खखखख. प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के कीमत निर्धारण पर क्रैक स्प्रैड के प्रभाव की जाँच करें।

गगगग. उसी आवेदकों द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2019 को दायर किया गया रक्षोपाय आवेदन लाभप्रदत्ता से संबंधित मानदंडों पर पाटनरोधी आवेदन का विरोधाभासी है।

घघघघ. लाभ के मामले में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन और आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि 2018-19 में आयातों की मात्रा सबसे अधिक अर्थात् 123,727 मी.टन थी और घरेलू उद्योग ने 2018-19 में सबसे अधिक लाभ अर्जित किया। आयात की मात्रा भी 2018-19 में आयात की मात्रा की तुलना में जाँच की अवधि (वार्षिकीकृत) में कम थी और घरेलू उद्योग की पीबीआईटी में गिरावट आई थी। आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता के बीच कोई संयोग नहीं है। कोट न किए गए कॉपी पेपर के संबंध में रक्षोपाय जाँच का संदर्भ लिया गया है।

ड़ड़ड़ड़. लाभ में सुधार पाटनरोधी शुल्कों के कारण नहीं हुआ है और छह महीने के दौरान गिरावट पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने के लिए उचित आधार नहीं है।

चचचच. एनआईपी और पहुंच कीमत के बीच अंतर नगण्य है और वास्तविक क्षति नदारद है।

छछछछछ. प्रारंभिक जाँच परिणाम यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता पिछले वर्ष में 100 से बढ़कर 567 हो गया और जाँच की अवधि में उसमें -61 तक गिरावट आई जबकि यह याचिका दर्शाती है कि पिछले वर्ष में लाभप्रदत्ता 100 से बढ़कर 245 हो गई है और जाँच की अवधि में वह घटकर -61 हो गई और इस प्रकार उसमें बहुत अधिक अस्थिरता देखी गई है।

जजजज. थाईलैंड के लिए क्षति मार्जिन बहुत कम (0-10 प्रतिशत) है।

झझझझझ. प्राधिकारी को अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों से संबंधित आंकड़े और ऐसे आयातों के लिए शुल्क जिनका भुगतान प्रयोक्ताओं द्वारा नहीं किया जाना है, मंगाना चाहिए।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

47. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से किया गया क्षति के संबंध में यह विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का निपटान करता है।

ज.3.1 संचयी मूल्यांकन

48. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से कोई उत्पाद आयात किया जाता है, उनकी भी पाटनरोधी जाँच की जाती है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि:-

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक है, जिसे निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया गया है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तो साझा आयात समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक होता है, और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयात की गई वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है।

49. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :-

क. संबद्ध वस्तुएं भारत में संबद्ध देशों से पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देशों से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है, क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात में न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा होती है बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा होती है। यह नोट किया जाता है कि ऐसे उपभोक्ता, जो घरेलू उद्योग से खरीद कर रहे हैं, वे संबद्ध देशों में से भी आयात कर रहे हैं।

50. जहाँ तक नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के मामले का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात अनुबंध-II के पैरा (iii) के मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करते हैं। अत: संचयी मूल्यांकन के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह मत सही नहीं है।

51. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त समझा है।

52. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकती है,".....पाटित आयातों की मात्रा सहित सभी संगत तथ्यों, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव को ध्यान में रखते हुए.....।" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जाँच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आायातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों को अन्यथा मंद करने के लिए है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, इन्वेन्ट्री, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि जैसे उद्योग की स्थिति से संबंध रखने वाले सूचकांकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II के अनुसार विचार किया गया है।

53. आयात की मात्रा और कीमतों के संबंध में, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस की आयात संबंधी सूचना और थाईलैंड से सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर भरोसा किया है।

54. प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार, कीमत कटौती का निर्धारण करेन के लिए और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सभी आयात संबंधी सौदों को शामिल किया गया है।

55. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० का वर्ष 2016-17 और 2017-18 में बहुत ही कम उत्पादन था। कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि इसका कारण कंपनी के समक्ष आई महत्वपूर्ण कार्यशील पूंजी की समस्याएं आना था। प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कम उत्पादन करने के कारण देश में पाटन होना नहीं था और ये "अन्य कारकों" के कारण था। अत: प्राधिकारी ने जाँच की अवधि में हासिल की गई क्षमता के उपयोग को देखते हुए लाभ, नकदी लाभ और निवेशों पर प्रतिफल के संबंध में हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० के निष्पादन का मूल्यांकन किया है।

56. इस उठाए गए मुद्दे के संबंध में कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत डाटा को बैलेंस शीट के संदर्भ में प्रकाशित अंतिम लेखों पर वास्तविक आंकड़ों के साथ मान्य नहीं किया गया है और इसे एनआईपी, क्षति और कथित पाटन पर दावे को मान्य नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जाँच की है जिसे सत्यापित और स्वीकार किया गया है तथा सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के लिए उत्पादकों और उत्पादकों तथा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का भी सत्यापन किया गया है और उसे स्वीकार किया गया है। यह जोड़ा जा सकता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का डेस्क सत्यापन कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के कारण किया गया है।

57. इस तर्क के संबंध में कि एनआईपी की गणना भारतीय रुपए में की जानी अपेक्षित है, यह नोट किया जाता है कि भारतीय रुपए में एनआईपी की गणना करने की प्राधिकारी की सतत परिपाटी है। हालांकि, पहुंच कीमत के साथ इसकी तुलना करते समय, एनआईपी को यूस डालर में परवर्तित किया जाता है। पिग आयरन मैन्यु. एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय के मामले में माननीय सेस्टैट के आदेश के अनुरूप है जिसमें सेस्टैट ने यह माना कि पाटनरोधी शुल्क डॉलर में निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि संरक्षण की मात्रा में कमी विनिमय दर में परिवर्तनों के कारण नहीं होता हो।

58. इस तर्क के संबंध में कि आयातों की गणना के लिए घरेलू उद्योगों द्वारा अपनाई गई 'समायोजन' की पद्धति अस्पष्ट, अपारदर्शी है और इससे दोहरी गणना हुई है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और इसकी कीमतों को डीजीसीआई एंड एस डाटा और संबद्ध देशों से उत्पादक तथा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से निर्धारित किया गया है।

59. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग को कथित क्षति होने के कारणों में अन्य कारण हैं और घरेलू उद्योग के संघटकों की वार्षिक रिपोर्ट में दिए विवरणों के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यहां किया गया क्षति विश्लेषण यह प्रमाणित करने के लिए स्वत: स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

60. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में कि लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल स्वीकार्य नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूर्व में की गई सभी जांचों में प्राधिकारी की इस प्रकार की सतत परिपाटी है।

61. क्षति विश्लेषण के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के सभी अन्य अनुरोधों को निम्नलिखित पैरा में शामिल किया गया है।

ज.3.2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) **मांग का मूल्यांकन**

62. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजन से भारत में उत्पादन की मांग को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों को मिलाकर विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		जाँच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्रिया	मी.टन	42,604	53,129	193,675	154,940	121,821	243,642
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	364	364	572	572
संबद्ध आयात	मी.टन	110,557	108,800	146,446	117,157	43,705	87,410
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	106	106	79	79
पाटनरोधी शुल्क लगने वाला आयात	मी.टन	98,657	105,275	68,332	54,665	17,283	34,566
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	55	55	35	35
अन्य देशों से आयात	मी.टन	72,660	74,011	57,028	45,623	2,825	5,650
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	63	63	8	8
कुल मांग	मी.टन	324,477	341,215	465,481	372,385	185,634	371,268
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	115	115	114	114

63. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में क्षति की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है, जो कि जाँच की अवधि में एक मामूली गिरावट के साथ है। संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग में जाँच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

64. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष अर्थों में अथवा उत्पादन के संबंध में अथवा भारत में खपत के संबंध में वृद्धि हुई है :-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		जाँच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश	मी.टन	1,10,557	1,08,800	1,46,446	1,17,157	43,705	87,410
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	106	106	79	79
थाईलैंड	मी.टन	57,688	87,568	96,022	76,818	30,749	61,498
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	152	133	133	107	107
यूएसए	मी.टन	52,869	21,232	50,424	40,339	12,956	25,912
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	76	76	49	49
पाटनरोधी शुल्क वाले देश	मी.टन	98,657	1,05,275	68,332	54,665	17,283	34,566
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	55	55	35	35
अन्य	मी.टन	72,660	74,011	57,028	45,623	2,825	5,650
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	63	63	8	8
कुल आयात	मी.टन	2,81,874	2,88,087	2,71,806	2,17,445	63,813	1,27,626
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	77	77	45	45
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात							
कुल आयात	%	39	38	54	54	68	68
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	137	137	175	175
भारतीय उत्पादन	%	254	203	72	72	34	34
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	28	28	13	13
भारतीय मांग	मी.टन	34	32	31	31	24	24
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	92	69	69

65. निम्नलिखित पाया गया है कि :-

क. आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध आयातों की समग्र मात्रा में निरपेक्ष दृष्टि से और जाँच की अवधि में देश में उत्पादन और खपत के संबंध में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि आयातों में यह गिरावट भारतीय मांग की 54 प्रतिशत तक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के सामान्य परिणामों के कारण थी। प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि समग्र आयातों में गिरावट देश में क्षमताओं में ऐसी महत्वपूर्ण वृद्धि होने के सामान्य परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति में थी कि जहाँ देश में एक बहुत महत्वपूर्ण मांग आपूर्ति अंतराल था। वर्तमान जाँच की अवधि के दौरान 3.71 लाख मी. टन की स्थापित मांग की तुलना में दीपक फिनोलिक्स लि० द्वारा उत्पादन की शुरूआत किए जाने से पूर्व देश में संस्थापित क्षमता केवल 76,750 मी. टन थी।

ख. भारत में कुल आयातों के संबंध में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। जबकि संबद्ध आयात 2016-17 और 2017-18 में भारत में कुल आयातों के 40 प्रतिशत से कम थे, उसके हिस्से में अप्रैल, 2018 से जून,2019 की अवधि में 54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और उसके बाद वर्तमान जाँच की अवधि में 68 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारत में अधिकांश आयात में संबद्ध देशों से आयात शामिल हैं।

ग. तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में देश में उत्पादन और खपत के संबंध में गिरावट आई है।

ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

66. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा मंद करने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो सामान्य स्थिति में अन्यथा होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमतों पर प्रतिबंध और कीमतों में मंदी, यदि कोई हो, के संदर्भ में जाँच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) और एन आई पी की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) **कीमत कटौती**

67. कीमत कटौती विश्लेषण करने के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है:

विवरण	**यूनिट**	**2016-17**	**2017-18**	**अप्रैल, 2018-जून, 2019**		**जाँच की अवधि**	
संबद्ध देश				**वास्तविक**	**वार्षिकीकृत**	**वास्तविक**	**वार्षिकीकृत**
निवल बिक्री वसूली	रू./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
पहुंच कीमत	रू./मी. टन	65,223	72,599	99,262	99,262	70,318	70,318
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	152	152	108	108
कीमत कटौती	रू./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	20-30	20-30	(10)-0	(10)-0	0-10	0-10
थाईलैंड							
निवल बिक्री वसूली	रू./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
पहुंच कीमत	रू./मी. टन	69,264	73,139	1,01,345	1,01,345	69,574	69,574
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	146	146	100	100
कीमत कटौती	रू./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***	***

कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	20-30	(10)-0	(10)-10	0-10	0-10
यूएसए							
निवल बिक्री वसूली	रू./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
पहुंच कीमत	रू./मी. टन	60,813	70,371	95,295	95,295	72,085	72,085
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	157	157	119	119
कीमत कटौती	रू./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	30-40	20-30	(10)-0	(10)-0	(10)-0	(10)-0

68. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ख) कीमत न्यूनीकरण और ह्रास

69. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में मंदी आ रही है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का कारण महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का दमन करना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना, जो सामान्य स्थिति में अन्यथा नहीं होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन को रोकना है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है :-

विवरण	**यूनिट**	**2016-17**	**2017-18**	**अप्रैल, 2018-जून, 2019**		**जाँच की अवधि**	
				वास्तविक	**वार्षिकीकृत**	**वास्तविक**	**वार्षिकीकृत**
बिक्रियों की लागत	रू./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	113	113	96	96
बिक्री कीमत	रू./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
पहुंच कीमत	रू./मी. टन	65,223	72,599	99,262	99,262	70,318	70,318
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	152	152	108	108

70. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत तथा आयातों की पहुंच कीमत में अप्रैल, 2018 – जून, 2019 तक वृद्धि हुई, उसके बाद उसमें गिरावट आई है। तथापि, आयातों की बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में गिरावट बिक्रियों की लागत में गिरावट से काफी अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप कीमत का दमन हुआ। यह भी नोट किया जाता है कि एक ओर जहाँ आयातों की पहुंच कीमत 2016-17 और 2017-18 में उत्पादन की लागत से कम थी, यह अप्रैल, 2018 – जून, 2019 में उत्पादन की लागत से काफी अधिक थी। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत में जाँच की अवधि में उत्पादन की लागत से कम गिरावट रही। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों के चलते बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी आ रही है।

ग) कम कीमत पर बिक्री

71. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग के समक्ष कम कीमत पर बिक्री की समस्या आने की भी जाँचकी है। इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के लिए औसत एनआईपी के आधार पर निर्धारित गैर-क्षति कीमत (एन आई पी) की डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों से प्राप्त आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

72. यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की गैर क्षति कीमत से कम थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण जाँचकी अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री का सामना किया है।

विवरण	थाईलैंड		यूएसए	
	रू./ मी. टन	यूएसडा. मी.टन	रू./ मी. टन	यूएसडा./ मी.टन
पहुंच मूल्य	69,577.95	970.81	72,089.27	1,005.85
एनआईपी	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री मार्जिन	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	***		***	
कम कीमत पर बिक्री (% रेंज)	0-10		(10)-0	

ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

73. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में सभी संगत आर्थिक कारकों एवं सूचकांकों का एक उद्देश्यपरक और भेदभाव रहित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनका उद्योग की स्थिति से कोई संबंध हो, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, व्यय क्षमता, क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्रियों, रोजगार मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंड नीचे दिए गए हैं :-

74. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की उद्देश्यपरक जाँच की है।

i. **उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां**

75. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन बिक्रियां और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		जाँच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
क्षमता	मी.टन	76,750	76,750	3,45,938	2,76,750	2,76,750	2,76,750
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	361	361	361	361
उत्पादन	मी.टन	43,524	53,490	2,02,461	1,61,969	1,29,280	2,58,560
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	372	372	594	594
क्षमता उपयोग	%	57	70	88	88	93	93

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	156	156	165	165
घरेलू बिक्री	मी.टन	42,604	53,129	193,675	154,940	121,821	243,642
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	364	364	572	572

76. घरेलू उद्योग के पास संस्थापित क्षमता में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह फिनोल के लिए 2,00,000 मी. टन की एक संस्थापित क्षमता और दीपक फिनोलिक्स द्वारा 1,20,000 मी. टन की संस्थापित क्षमता के साथ 1200 करोड़ रूपए के सकल निवेश पर एक नए संयंत्र की स्थापना होने के कारण से है। संयंत्र ने नवम्बर, 2018 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। देश में संस्थापित क्षमता 76,750 मी. टन थी, जबकि मांग 3 लाख से अधिक की थी। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह निवेश देश में उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग – आपूर्ति अंतराल पर विचार करते हुए न्यायोचित था।

77. घरेलू उद्योग की महत्वपूर्ण नई क्षमता की स्थापना के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की उत्पादन और बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

78. घरेलू उद्योग के बाजार अंश को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	**यूनिट**	**2016-17**	**2017-18**	**अप्रैल, 2018-जून, 2019**		**जाँच की अवधि**	
				वास्तविक	**वार्षिकीकृत**	**वास्तविक**	**वार्षिकीकृत**
घरेलू उद्योग	%	13.13	15.57	41.61	41.61	65.62	65.62
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	317	317	500	500
संबद्ध देश	%	34.07	31.89	31.46	31.46	23.54	23.54
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	92	69	69
पाटनरोधी शुल्क वाले देश	%	30.40	30.85	14.68	14.68	9.31	9.31
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	48	48	31	31
अन्य देश	%	22.39	21.69	12.25	12.25	1.52	1.52
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	55	55	7	7
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

79. यह नोट किया जाता है कि :-

क. घरेलू उद्योग का बाजार में पहले बहुत ही कम हिस्सा था। ऐसा देश में उत्पादन क्षमताएं न होने और हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० द्वारा कार्यशील पूंजी की कमी के चलते उत्पादन में कमी किए जाने के कारण से था।

ख. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि० द्वारा एक तर्कसंगत स्तर तक पुन: उत्पादन शुरू किए जाने और दीपक फिनोलिक्स लि० द्वारा अपने नए संयंत्र में उत्पादन आरंभ किए जाने के साथ ही घरेलू उद्योग की बिक्री में काफी वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. जबकि विभिन्न स्रोतों से आयातों के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई, जहां तक संबद्ध देशों का संबंध है, अप्रैल-जून, 2019 में बाजार अंश में गिरावट आई है और उसके बाद जाँच की अवधि में वृद्धि हुई है।

घ. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि बाजार अंश में वृद्धि को नई क्षमताओं में वृद्धि होने की सच्चाई के साथ-साथ भी देखा जाना चाहिए और जिस कीमत पर घरेलू उद्योग उत्पाद की बिक्री कर रहा है, उसे भी देखा जाना चाहिए।

iii. माल सूचियां

80. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास वस्तु सूचियों (इन्वेंट्री) की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है :-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		जाँच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
शुरूआत में	मी. टन	***	***	***	***	***	***
अंत में	मी. टन	***	***	***	***	***	***
औसत	मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	340	340	556	556
दिनों के उत्पादन के रूप में इन्वेंटरी		***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	91	91	94	94
दिनों की बिक्री के रूप में इन्वेंटरी		***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	93	93	91	91

81. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत इन्वेंट्री में क्षति अवधि के बाद पर्याप्त वृद्धि हुई है।

iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल नीचे तालिका में दर्शाई है :-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		जाँच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री की लागत	रू/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	113	113	96	96
बिक्री कीमत	रू/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
प्रति यूनिट लाभ	रू/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	120	120	(8)	(8)
कुल लाभ/(हानि)	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	567	567	(61)	(61)

नकद लाभ	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	776	621	127	127
ब्याज पूर्व लाभ	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	450	360	159	159
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	25	25	13	13

83. यह देखा गया है कि :-

क. घरेलू उद्योग अप्रैल, 2018 से जून, 2019 तक लाभ अर्जित कर रहा था। जबकि अप्रैल, 2018 से जून, 2019 तक प्रति इकाई लाभ में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद उसमें इतनी गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को जाँच की अवधि में वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा।

ख. नकदी लाभ, ब्याज से पूर्व लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में भी लाभ की तरह की प्रवृत्ति रही। अप्रैल, 2018 से जून, 2019 तक नकदी लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि हुई और उसके बाद जाँच की अवधि तक गिरावट रही।

ग. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट पूरी जाँच की अवधि के दौरान जारी रही। यह नोट किया जाता है कि लाभ, नकदी लाभ और निवेशों पर प्रतिफल में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट रही है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

84. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	**यूनिट**	**2016-17**	**2017-18**	**अप्रैल, 2018-जून, 2019**		**जाँच की अवधि**	
				वास्तविक	**वार्षिकीकृत**	**वास्तविक**	**वार्षिकीकृत**
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	173	173	183	183
वेतन और मजदूरी	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	188	188	223	223
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/ प्रतिदिन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	372	372	594	594

85. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सुधार आया है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि ये मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव को दर्शाने के लिए संगत नहीं हैं।

vi. विकास

86. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, इन्वेंट्री, लाभ, नकदी लाभ और निवेशों पर प्रतिफल के संदर्भ में विकास नीचे तालिका में दिया गया है :-

विवरण	यूनिट	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019 (वार्षिकृत)	जाँच की अवधि
उत्पादन	वाई/ वाई	23	203	60
घरेलू बिक्रियां	वाई/ वाई	25	192	57
क्षमता उपयोग	वाई/ वाई	23	27	6
औसत मालसूची	वाई/ वाई	10	210	64
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	वाई/ वाई	19	167	58
लाभ/हानि	वाई/ वाई	(10)	526	(111)
नकद लाभ	वाई/ वाई	(12)	606	(79)
पीबीआईटी	वाई/ वाई	(3)	273	(56)
लगाई गई पूंजी पर आय	वाई/ वाई	(20)	(68)	(51)

87. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का विकास मात्रा संबंधी मापदंडों (उत्पादन और बिक्रियों) के संबंध में सकारात्मक रहा और कीमत संबंधी मापदंडों (बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत, लाभ और निवेश पर प्रतिफल) के संबंध में सकारात्मक रहा।

vii. **पाटन मार्जिन की मात्रा**

88. पाटन का मार्जिन भारत में पाटित किए जा रहे आयातों को देखते हुए एक संकेतक है। जाँच में यह दर्शाया गया है कि जाँच की अवधि के पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

viii. **पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता**

89. विचाराधीन उत्पाद में हाल ही में महत्वपूर्ण निवेश किया गया था। घरेलू उद्योग जाँच की अवधि में वित्तीय हानि का सामना कर रहा है। घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही प्रतिस्पर्धा के साथ, जो कि पाटित आयातों के कारण से है। उद्योग का प्रचालन प्रभावित हुआ है, जिससे पूंजी निवेश जुटाने की इसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसीलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को केवल उत्पाद के निष्पादन के आधार पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

ix. **घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

90. आयात की कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत न केवल इसकी निवल बिक्री कीमत से कम है बल्कि घरेलू उद्योग की एन आई पी से भी कम है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी आई है जिससे वित्तीय घाटा हुआ है। तीसरे देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से या तो पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित है या न्यूनतम है या अधिक कीमतों पर है। पाटित आयातों से बाजार में उत्पाद की कीमतों पर प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात आना है।

ज.3.4. क्षति मार्जिन

91. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षति कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की गैर क्षति कीमत का

निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ें अपनाए गए हैं और इन्हें जाँच की अवधि के लिए पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए गैर क्षति कीमत पर विचार किया गया है। यूटिलिटी के साथ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग किए जाने पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण अथवा गैर-आवृत्ति व्यय शामिल नहीं किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात औसतन निवल निर्धारित परिसम्पत्तियां और औसतन कार्यशली पूंजी) पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (22 प्रतिशत की दर से पूर्व कर) की अनुमति पूर्व कर लाभ के रूप में दी गई थी ताकि नियमावली के अनुलग्नक - III में यथा निर्धारित गैर क्षति कीमत निकाली जा सके और इसका अनुसरण किया जा रहा है।

92. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

93. पहुंच कीमत और एनआईपी जिसका निर्धारण ऊपर में किया गया है, के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है :-

देश	उत्पादकों/निर्यातकों का नाम	क्षति रहित कीमत (यूएस डॉलर/मी. टन)	पहुंच मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % (रेंज)
थाईलैंड	पीटीटी फिनोल कंपनी लि०	***	***	***	***	0-10
थाईलैंड	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	0-10
यूएसए	सभी उत्पादक और निर्यातक	***	1,005.85	***	***	(10)-0

ज.3.5 क्षति का समग्र आकलन

94. घरेलू उद्योग के संबंद्ध उत्पाद के आयातों और निष्पादन की जाँच यह दर्शाती है कि :-

क. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में कुल आयातों के संबंध में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है।

ग. यद्यपि बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत दोनों में ही जाँचकी अवधि के दौरान गिरावट आई है,लेकिन आयातों की बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में गिरावट बिक्रियों की लागत में गिरावट से काफी अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों का दमन हो रहा है।

घ. संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी आई है।

ड. यद्यपि उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में क्षित अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि में वित्तीय हानि का सामना किया है। उपरोक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर अधिरोपण विश्लेषण

95. धारा 9क(5) के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटन और क्षति की संभावना तथा शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की जाँच इस तथ्य पर विचार किए बिना करें कि क्या समीक्षा जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात हुआ है अथवा नहीं। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान कर सकते थे।

क. **पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य**

96. अन्य देशों से आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहा है अथवा न्यूनतम हैं अथवा अधिक कीमतों पर हो रहे हैं। यद्यपि सऊदी अरब से आयातों की मात्रा नगण्य से अधिक है, लेकिन क्षति अवधि और जाँच की अवधि के दौरान आयातों का पैटर्न यह दर्शाता है कि आयातों में काफी गिरावट आई है और जाँच की अवधि के दौरान आयात केवल एक माह में हुए हैं। इस प्रकार अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती प्रतीत नहीं हो रही।

ख. **मांग में कमी**

97. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि देश में पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को इस संबंध में कोई क्षति नहीं हुई है।

ग. **खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

98. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, खपत के पैटर्न में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ. **प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंध प्रक्रियाएं**

99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंध प्रक्रियाएं घरेलू उद्योग को क्षति के दावे के लिए जिम्मेदार हैं।

ड. **प्रौद्योगिकी में बदलाव**

100. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में पर्याप्त परिवर्तन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो।

च. **उत्पादकता**

101. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। अत: घरेलू उद्योग को इस संबंध में क्षति नहीं हुई है।

छ. **घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

102. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों हेतु डाटा पर विचार किया है। अत: निर्यात निष्पादन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ज. **कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन**

103. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के क्षति का डाटा प्रदान किया हैं और इन्हें प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से स्वीकार कर लिया गया है। अत: उत्पादित अन्य उत्पादों और आवेदक द्वारा बेचे गए उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कोई संभव कारण नहीं है।

ञ. प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां

ञ.1. घरेलू उद्योग के विचार

104. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क. संबद्ध देशों से वार्षिक रूप से और जांच की अवधि के दौरान थाईलैंड से 75,000 मी. टन से 80,000 मी. टन वार्षिक और यू एस ए से 45,000 मी. टन से 50,000 मी. टन वार्षिक कम लागत के, अनपेक्षित, उच्च मात्रा के आयातों का निरंतर आगमन होता है।

ख. संबद्ध देशों से आयात एच ओ सी एल घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर आ रहे हैं जिसके कारण कीमत का ह्रास हुआ है और ऐसे मार्जिन पर भारी क्षति का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण एच ओ सी एल को वास्तविक क्षति हुई है।

ग. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि उसे मै० सीडार डेकोर प्रा० लि०, मै० सेंट प्लाई, मै० डी सी एम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि०, मै० ह्वात्सी केमिकल प्रा० लि०, मै० सुप्रिया लाइफ साइंस लि०, मै० ट्रेडेक्स कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत कानूनी अनुरोध नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग इन अनुरोधों पर टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कर पाया है।

घ . पूर्ववर्ती माह के रूप में 15 माह पर विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

ङ. वर्तमान में कोई मांग – आपूर्ति अंतराल नहीं है। घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध निवल मांग 2.5 से 2.6 लाख के क्षेत्र में है, क्योंकि करीब 80,000 से 1,00,000 मी. टन आयात अग्रिम लाइसेंस के तहत किए जा रहे हैं। घरेलू उद्योग दीपक फिनोलिक्स द्वारा नई व्यापक पैमाने की सुविधा शुरू करने के साथ ही इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

च. घरेलू उद्योग का यह कहना है कि बाजार अंश में वृद्धि नई क्षमताओं में वृद्धि के कारण है।

छ. संशोधित किया गया एन आई पी काफी कम है और जांच शुरू करते समय तथा अनंतिम जांच परिणाम के समय निर्धारित एन आई पी पूरी तरह अलग है। घरेलू उद्योग के लिए विश्वास करने का ऐसा कोई कारण नहीं था कि निदेशालय द्वारा पहले अपनाई गई कार्यप्रणाली गलत है अथवा त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने अनंतिम जांच परिणाम जारी किए थे। घरेलू उद्योग से यह स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा गया था कि क्या एन आई पी की गणना एस आई जी की समग्र बिक्रियों को शामिल करने के बाद की जानी चाहिए। अचानक बदलाव का कारण यू एस ए के लिए एक नकारात्मक क्षति मार्जिन है।

ज . फिनोल की कैप्टिव खपत की मात्रा का उपयोग या तो उत्पादक द्वारा स्वयं की जानी चाहिए या उपभोक्ता द्वारा की जानी चाहिए और इस प्रकार इसे घरेलू खपत के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए था। यदि एस आई जी को एकीकृत नहीं किया गया होता तो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन जो अब कैप्टिव माना जा रहा है, घरेलू बिक्रियों में शामिल होता। यदि एस आई जी ने फिनोल के लिए क्षमता सृजित नहीं की होती तो घरेलू बाजार में फिनोल की जरूरत अन्य उत्पादकों द्वारा पूरी की जा चुकी होती। इसी प्रकार, यदि एस आई जी ने अन्य उत्पादों के लिए सुविधाएं सृजित नहीं की होती तो एस आई जी ने बाजार में फिनोल की बिक्री की होती। वास्तव में, कंपनी, फिनोल की अपनी खरीद अपने स्वयं के उत्पादन और अन्य उत्पादों के लिए आयातों को बदलती रहती है। इस प्रकार से, किसी भी स्थिति में कैप्टिव उत्पादन की मात्रा ''घरेलू उत्पादन'' में शामिल की जाएगी।

झ. कैप्टिव खपत के दो भिन्न उपचार नहीं हो सकते। जब कैप्टिव खपत क्षति जांच के लिए संगत है, तो इसे गैर-क्षतिकारी कीमत के निर्धारण से अलग नहीं किया जा सकता।

ञ. हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हें कि कृपया एन आई पी के निर्धारण के कैप्टिव खपत पर विचार करने के लिए पुनर्विचार करें।

ट. यह अनुरोध किया जाता है कि वर्ष 2018-19 के लिए यूटिलिटी पर सामान्यीकरण के लिए विचार किया गया है, जो पहले ही अप्रैल, 2018 से जून, 2019 की अवधि में शामिल है। वर्ष 2017-18 के लिए यूटिलिटी, जो 20,865 है, सामान्यीकरण के प्रयोजन से शामिल की गई है, न कि 2018-19 के लिए शामिल की गई है।

ठ. यह अनुरोध किया जाता है कि नकारात्मक क्षति मार्जिन का कारण एस आई जी द्वारा, इसके कैप्टिव होने के आधार पर, की गई बिक्री के महत्वपूर्ण अंश को बाहर किए जाने के कारण है। जबकि नियमों के तहत पूरे घरेलू

उद्योग भारित औसत की गणना के लिए ''घरेलू उत्पादन'' के संगत अंश के विचार के लिए प्रावधान है, ''घरेलू बिक्रियों के लिए उत्पादन'' पर गैर-क्षतिकारी कीमत के निर्धारण विचार किया गया है। दूसरे शब्दों में, ''घरेलू बिक्रियों के लिए उत्पादन'' को ''घरेलू उत्पादन'' के रूप में माना गया है।

ड. डी पी एल के लिए एन आई पी की गणना करते समय, सामान्यीकरण के लिए, वर्ष 2018-19 के लिए कच्ची सामग्री के उपयोग पर विचार किया गया है, जो पहले ही अप्रैल 2018 से जून 2019 की अवधि में शामिल है। अप्रैल, 2018 से जून, 2019 के लिए कच्ची सामग्री का उपयोग जो कि 52458 रू. प्रति मी. टन है, सामान्यीकरण के लिए शामिल किए जाने की जरूरत है, न कि वर्ष 2018-19 के लिए ।

ढ . कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय गैर-क्षतिकारी आयात सौदों के बाहर किया जाना चाहिए।

ण. प्रकटीकरण विवरण, कच्ची सामग्री की कीमतों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा उठाए गए मामले का समाधान नहीं करता। चीन के प्राधिकारी ने इस संबंध में एक विशिष्ट जांच परिणाम प्रदान किया है और प्रतिवादी निर्यातक के दावों को अस्वीकार किया है।

त. यह अनुरोध किया जाता है कि न केवल निर्यातक के पास संगत कच्ची सामग्री का सप्लायर है बल्कि संगत यूटिलिटी सप्लायर भी है। अत: कच्ची सामग्री और यूटिलिटी की कीमतें, जैसा कि निर्यातक द्वारा दावा किया गया है, अस्वीकार किए जाने की जरूरत है क्योंकि वे अधिक नहीं हैं।

थ. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि यह विचार किया जाना चाहिए कि वर्तमान में कोई मांग आपूर्ति अंतराल नहीं है। यहां तक कि देश में क्षमता सकल खपत से कम है, यह विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम लाइसेंस के तहत करीब 80000 से 100000 मी. टन के बीच आयात किए जा रहे हैं।

द. पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को एक संरक्षण नहीं है बल्कि एक प्रकार का कीमत सुधार भी है।

ञ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

105. प्रकटीकरण विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार इस प्रकार हैं :-

क. कथित पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहा है और आयातों को भारत में क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप बाजार से काफी मात्रा में वापस लिया जा रहा है। ऐसे परिदृश्य में कोई भी पाटनरोधी शुल्क आवश्यक नहीं है।

ख. भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आयात आवश्यक हैं और वर्तमान परिदृश्य में कोई भी पाटनरोधी शुल्क, व्यापार संतुलन पर प्रभाव डालेगा और घरेलू उद्योग लाभ के लिए स्थिति का उपयोग करेगा।

ग. संबद्ध आयातों में सापेक्ष दृष्टि में गिरावट आई है और साथ ही, भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी गिरावट आई है। यह केवल यही दर्शाता है कि वर्तमान मामले में आगे ऐसे गिरते आयातों को रोकने के लिए कोई शुल्क आवश्यक नहीं है।

घ. जब उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में गिरावट आ रही है तो कोई भी पाटनरोधी शुल्क आवश्यक नहीं है और ऐसे आयात से कोई क्षति उत्पन्न नहीं हुई प्रतीत होती है।

ङ. यू एस ए से क्षति मार्जिन, कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक रही है और यह नहीं कहा जा सकता कि थाईलैंड से आयात की मात्रा घरेलू उद्योग के लिए क्षति प्रभावकारी थी, जो यू एस ए और थाईलैंड से कीमत भारत में प्रदान किए गए स्तर के तुलनात्मक थी।

च. यह तर्क कि थाईलैंड से एक अल्प सकारात्मक क्षति मार्जिन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, जो दावा की गई कीमत तक पूरी तरह से निराधार है।

छ. प्राधिकारी ने इस मामले में क्षति के संचित आकलन को अपनाया है और प्रकटीकरण में, थाईलैंड के लिए अलग से आयातों के तथ्यों पर विचार करके तथ्यों की कोई जांच शामिल नहीं है अर्थात कथित क्षति केवल थाईलैंड से

आयातों के कारण थी। यू एस ए के खिलाफ ही जांच की समाप्ति पर्याप्त नहीं है और यह मामला दोनों देशों के खिलाफ समाप्त किया जाना चाहिए

ज. जब यू एस ए से कीमत नकारात्मक क्षति मार्जिन स्तर पर पाई गई थी, तो थाईलैंड से एक तुलनात्मक कीमत भी पाई जानी चाहिए, जिसका घरेलू उद्योग पर वास्तव में कोई क्षतिकारी प्रभाव नहीं पाया गया और ऐसे तथ्यों को देखते हुए दोनों देशों के खिलाफ मामला समाप्त किया जाना चाहिए।

झ. संबद्ध देशों से पहुंच कीमत में अंतर पर्याप्त नहीं रहा है।

ञ. यहां तक कि थाईलैंड के मामले में क्षति मार्जिन, प्रकटीकरण विवरण के अनुसार जांच की अवधि में मामूली सकारात्मक रहा है, लेकिन जांच की अवधि के बाद की अवधि में कीमतों में और भी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के निष्पादनों में भी वृद्धि हुई है। आवेदकों द्वारा उत्पादित फिनोल वर्तमान में आयातों से किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर रहा है और अगले 5 वर्षों के लिए अथवा आगे के लिए कोई भी शुल्क ऐसी स्थिति में पूरी तरह से अन्यायोचित है।

ट. वर्तमान मामले में समग्र तथ्य आयातों में गिरावट और घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार को दर्शाते हैं तथा विगत में आयातों के कारण ही मांग आपूर्ति अंतराल था, जो कि अब काफी नकारात्मक है।

ठ. आयातों की कीमत में जांच की अवधि के बाद काफी वृद्धि हुई है और मामले पर निर्णय लेते समय इस कारण पर विचार किया जाना चाहिए।

ड. घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही कोई कथित क्षति की समस्या संबद्ध आयातों या घरेलू बिक्रियों के कारण से नहीं है, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई उच्च लागतों के कारण से है।

ढ. प्राधिकारी ने कोई भी कारण बताने में विफल रहे हैं कि क्यों वे पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों के संबंध में संतुष्ट थे, विशेषकर ऐसी स्थिति में, जब दावे लागू कानून और व्यापार नोटिस के उल्लंघन में हो।

त. प्रकटीकरण विवरण निर्यातकों की यह पहचान करने में विफल रहा है कि जांच शुरूआत अधिसूचना के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत/कानूनी अनुरोध दाखिल किया गया है।

थ. प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि एक सुझाव के रूप में दिनांक 18 जून, 2019 के का. ज्ञा. को नजरअंदाज करें कि अधिक कीमत स्थिरता की स्थिति में शुल्क के रूप में संदर्भ कीमत की सिफारिश की जानी चाहिए।

द. हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि मूल्यानुसार शुल्कों की सिफारिश करें। यदि प्राधिकारी मूल्यानुसार शुल्कों की सिफारिश करने में असमर्थ हैं तो हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे शुल्क के निर्धारित रूप की सिफारिश करें। यदि प्राधिकारी इनमें से किसी की भी सिफारिश न करने का चयन करते हैं तो हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे एक ऐसी सक्रिय कीमत व्यवस्था के साथ शुल्क की एक संदर्भ कीमत के रूप पर विचार करें, जहां पर कि यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत सक्रिय कीमत से कम है तो एक निर्धारित अथवा मूल्यानुसार शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

ध. जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण से पी टी टी फेनोल कंपनी, मित्सुई एंड कं० लि० और मित्सुई एंड कं० (एशिया पैसिफिक प्रा० लि०) की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है।

न. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पाई गई और यहां तक कि यदि यह स्वीकार किया जाता है (य़द्यपि स्वीकार नहीं किया) कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। ऐसी क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हो सकती।

xx. एस आई ग्रुप को वर्तमान जांच से बाहर किया जाना चाहिए।

प. प्राधिकारी एच ओ सी एल को किए गए समझ से बाहर के समायोजनों और घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में पी टी टी फेनोल कंपनी, मित्सुई एंड कं० लि० और मित्सुई एंड कं० (एशिया पैसिफिक प्रा० लि०) के अनुरोधों पर विचार करने में विफल रहे हैं।

फ. इस स्थिति में कि प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों के जारी किए जाने से पूर्व जांच को समाप्त नहीं करते हैं तो जहां तक यू एस ए का संबंध है, किसी भी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक है।

ब. आवेदकों ने जांच की अवधि में अप्रैल, 2019 से जून, 2019 की अवधि को शामिल नहीं किया था क्योंकि इसको शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप अधिक भारित औसत निर्यात कीमत होगी और इसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तुओं का कम पाटन मार्जिन होगा। क्षति विश्लेषण की अवधि इच्छानुसार चुनी नहीं जा सकती और जब तक उसके लिए आपवादिक परिस्थितियां आवश्यक न हों, यह समान होनी चाहिए।

भ. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के इस प्रयोजन के लिए और थाईलैंड के मामले में तथ्य प्रकट करने चाहिए ताकि हितबद्ध पक्षकार इस पर टिप्पणी करने में समर्थ हो सके।

म. हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि यू एस ए के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय आई सी आई एस रिपोर्ट को निकालने का अनुरोध करते हैं।

य. प्राधिकारी को समुद्री मालभाड़े, समुद्री बीमा, मशीन, स्वदेशी मालभाड़े, और बंदरगाह व्यय तथा वास्तविक निर्यात कीमत के संबंध में समायोजनों की मात्रा प्रकट करनी चाहिए।

प्राधिकारी को यू एस ए और थाईलैंड के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन को प्रकट करना चाहिए।

कक. चूंकि प्राधिकारी ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में यह पाया है कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका ग्रुप से पाटन को वर्तमान जांच से अलग किया जाना चाहिए।

खख. प्रकटीकरण विवरण में, यू एस ए से आयातों द्वारा कम कीमत पर बिक्री को नकारात्मक के रूप में प्रकट किया गया है। अत: क्षति विश्लेषण के भीतर यू एस ए से आयातों को शामिल करना उपयुक्त नहीं है।

गग. कीमत ह्रास अथवा कीमत दमन का दावा निराधार है और संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई कीमत प्रभाव नहीं हो सकता।

घघ. यह अनुरोध किया जाता है कि यदि क्षमता का वर्धन करने पर इसके कारण उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होती है, तो यह नोट किया जाए कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है जबकि भारी मात्रा में क्षमता में वृद्धि हुई है, जो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इससे घरेलू बाजार में प्रभावी रूप से आयात हो सकेंगे और यह आयातों पर घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिए प्रयोक्ताओं की वारीयता को दर्शाता है। अत: इस संबंध में स्पष्ट रूप से कोई क्षति नहीं हुई है।

ङङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में सुधार पर यह निर्धारण करने में विचार किया जाना चाहिए कि क्या भारत में समान वस्तु के घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण सामना कर रहे हैं।

चच. घरेलू उद्योग द्वारा व्यय की गई अधिक मूल्यह्रास और ब्याज की लागतों का प्रभाव तथा कीमत ह्रास और कीमत दमन, यदि कोई हो, जो अन्य देशों से कम कीमत के आयातों के कारण से है, उसे अलग किया जाना चाहिए और संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं है।

छछ. यह अनुरोध किया जाता है कि जब क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई तो निरपेक्ष दृष्टि की बजाय उत्पादन और बिक्रियों के दिनों की संख्या के रूप में इन्वेंट्री पर एक प्रतिकूल प्रभाव निर्धारित करने वाले संगत मापदंड इन इन्वेंट्री पर विचार करने के लिए है जब उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो यह स्पष्ट है कि इन्वेंट्री में उत्पादन और बिक्रियों के दिनों, दोनों की संख्या के संदर्भ में वास्तव में गिरावट आई है और निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे इस पर विचार करें।

जज. यह अनुरोध किया जाता है कि जब मात्रात्मक मापदंडों में विकास को सही पाया गया है, तो लाभप्रदता में कथित गिरावट की, जांच की अवधि सहित वर्ष 2019-20 की संगत तिमाहियों के लिए कंपनी द्वारा प्रकाशित वित्तीय रिपोर्ट के साथ उसका मिलान करके अधिक गहन रूप से जांच की जानी चाहिए।

झझ. आगे निवेशों के लिए पूंजी जुटाने की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि वे बहुउत्पाद कंपनियां हैं, जैसा कि आवेदकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

ञञ. हम प्राधिकारी से, अन्य देशों से कम कीमतों के कारण हुई क्षति को अलग करने का अनुरोध करते हैं ताकि संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई क्षति की सीमा के संबंध में एक उद्देश्यपरक निर्धारण किया जा सके।

टट. यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग की एन आई पी की गणना भारतीय रूपए और यू एस डी में की जानी चाहिए।

ठठ. यह अनुरोध किया जाता है कि निर्यात के देश में सामान्य मूल्य, उत्पादक/निर्यातक और उस देश से संबद्ध है, जो निर्यातक के गृह बाजार में कीमत के कारण है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान डाटा की तुलना के प्रयोजन के लिए निर्यातक के गृह बाजार में कीमत को परिवर्तित करे।

डड. चूंकि सामान्य मूल्य पर भी शुल्क की संदर्भ कीमत के तहत एक बेंचमार्क के रूप में विचार किया जा सकता है, इसे संबद्ध देशों के लिए प्रकट किए जाने की जरूरत है, क्योंकि यह आयातकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण के लिए संगत होगा।

ढढ. प्राधिकारी यह नोट करें कि आयातों की कीमत में जांच की अवधि के बाद की अवधि में काफी वृद्धि हुई है और मामले पर निर्णय लेते समय इस कारक पर विचार किया जाना चाहिए। आई एल एम ए ने प्रारंभिक जांच परिणाम में सिफारिश किए गए शुल्क के संदर्भ रूप के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। तथापि, इस समय तक, कीमतों में और भी वृद्धि हो गई है और शुल्क का कोई भी निर्धारित रूप उपभोक्ताओं के लिए और भी आवधिक क्षतिकारी होगा। प्राधिकारी को इस मामले में अंतिम विचार करते समय इन पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

106. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों तथा पुनरावृत्तियों की जांच की है, जिनकी पहले ही उपयुक्त जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों / हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मामलों और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए मामलों की जांच की गई है, जो इस प्रकार है :-

क. जाँच शुरूआत और प्रारंभिक निष्कर्षों से एनआईपी के संशोधन के संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि जाँच शुरूआत के स्तर पर एनआईपी की गणना प्रथम दृष्टया आधार पर की जाती है, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद इसका निर्धारण किया गया है, और डेस्क सत्यापन के बाद प्राधिकरण द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया। यह भी ध्यान दिया जाता है कि प्राधिकरण ने एनआईपी को एडी नियमों के अनुबंध III के अनुसार निर्धारित किया है।

ख. आवेदकों ने कहा है कि भारित औसत एनआईपी के निर्धारण / गणना के उद्देश्य से घरेलू बिक्री का निर्धारण करने के लिए कैप्टिव का उपभोग किया जाना है। इस मुद्दे की जांच की गई है, और यह नोट किया गया है कि कैप्टिव खपत एक यूनिट से एक ही आवेदक की दूसरी इकाई में पीयूसी का स्थानांतरण है। चूंकि कैप्टिव खपत का मूल्य खुले बाजार में मांग और आपूर्ति से निर्धारित नहीं होता है, और यह आवेदकों द्वारा उनके लिए उपयुक्त के रूप में निर्धारित किया जाता है, इसलिए, कैप्टिव खपत के कारण क्षति आत्म-शोषित है, और डंपिंग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ग. मूल्य-निर्धारण और क्षति के मार्जिन का निर्धारण करते समय गैर-हानिकारक आयात लेनदेन के बारे में उठाए गए मुद्दों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि प्राधिकरण ने प्राधिकरण के स्थापित अभ्यास के अनुसार सभी लेनदेन को ध्यान में रखा है।

घ. सामान्यीकरण के लिए कार्यप्रणाली के संबंध में तर्क के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर विचार किया है और अनुबंध-III के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन किए हैं।

ङ. कुछ निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में कि उनके कानूनी अनुरोधों को मान्य नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि उसे सही तरीके से स्वीकार किया गया है और अंतिम जांच परिणामों में जांच की गई है।

च. घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में कि उन्हें कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के कानूनी अनुरोध प्राप्त नहीं हुए थे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के ई-मेल के तहत प्राधिकारी को सभी हितबद्ध पक्षकारों के कानूनी अनुरोध प्राप्त नहीं हुए थे, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के ई-मेल के तहत प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के ई-मेल पते साझा किए हैं और सभी हितबद्ध पक्षकारों से अन्य सभी पक्षकारों के साथ उनके अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को साझा करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, सभी हितबद्ध पक्षकारों के ई-मेल पते डी जी टी आर की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

छ. जहां तक मै० सेडार डेकोर प्रा० लि०, मै० सेंट प्लाई, मै० डी सी एम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि०, मै० ह्वात्सी केमिकल प्रा० लि०, मै० सुप्रिया लाइफ साइंस लि०, मै० ट्रेडेक्स कारपोरेशन के कानूनी अनुरोधों का संबंध है, जो प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट अनुदेश के बावजूद घरेलू उद्योग सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किए गए हैं, यह नोट किया जाता है कि उन्हें सभी हितबद्ध पक्षकारों को आगे परिचालित किया गया है।

ज. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति दीपक फेनोलिक्स लि० की स्टार्ट-अप समस्या के कारण है, यह नोट किया जाता है कि मै० दीपक फेनोलिक्स लि० ने नवम्बर, 2018 में अपने वाणिज्यिक उत्पादन को शुरू किया था और पहले ही 96 प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल कर लिया गया है और इसीलिए इसने भारत में संबद्ध वस्तुओं के एक अग्रणी उत्पादक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है।

झ. जहाँ तक 4(के) में गुमनाम निर्यातकों का संबंध है, उसे संगत पैरा में शामिल किया गया है।

ञ. जहाँ तक यू एस ए के क्षति मार्जिन का संबंध है, यह घरेलू उद्योग के एन आई पी में किए गए संशोधनों को देखते हुए नकारात्मक है।

ट. जहाँ तक नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के संदर्भ में संचित आकलन के मामले का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात, अनुबंध-II के पैरा (iii) के मापदंड को पूरी तरह संतुष्ट करते हैं। इसके अलावा, एक संबद्ध देश की क्षति मार्जिन अनुबंध-II के पैरा (iii) के तहत संचित आकलन की आवश्यकता है, और इसीलिए क्षति मार्जिन के साथ संचित आकलन को जोड़ने वाले हितबद्ध पक्षकारों के तर्क स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

ठ. जहाँ तक क्षति के संबंध में तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अनुरोधों में तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की उद्देश्यपरक जाँच की है। क्षति के सभी मापदंड गिरावट नहीं दर्शाते। यद्यपि कुछ मापदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, लेकिन कुछ सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी क्षति मापदंडों पर विचार किया है और उसके बाद यह निष्कर्ष दिया है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं। घरेलू उद्योग को समग्र क्षति का मूल्यांकन ऐसे संगत कारकों को देखते हुए किया गया है, जिसका कि उस उद्योग की स्थिति से कोई संबंध हो।

ड. जहाँ तक सामान्य मूल्य के लिए आई सी आई एस रिपोर्ट की उपयुक्तता का संबंध है, यह नोट किया जाता है, कि प्राधिकारी की ऐसे जर्नल में सूचित कीमतों पर विचार करने के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है, जिन्हें आवधिक रूप से जारी किया जाता है और उपयुक्त समझा गया है। डाई स्टफ मैन्युफक्चर्स एसोसिएशन मामले का संदर्भ गलत दिया गया है, क्योंकि उस मामले के तथ्य और परिस्थितियां भिन्न थी क्योंकि उस मामले में अपनाई गई कीमतें गैर-विचाराधीन उत्पाद की थी।

ण. जहाँ तक चीन मामले के प्रभाव का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार और चीन द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव पर विचार किए बिना निर्धारण किया है।

त. जहाँ तक जाँच की अवधि के बाद की अवधि में आयात कीमत में वृद्धि का संबंध है, प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि जाँच की अवधि के बाद के डेटा पर वर्तमान मामले में निर्धारण नहीं किया जा सकता और जाँच की अवधि के बाद के मापदंडों पर प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा रूप से विचार नहीं किया जा सकता। जांच की अवधि के बाद के डेटा पर विचार करने में सभी संगत सूचना का वास्तविक अद्यतन शामिल है और उसके बाद सत्यापन सहित पूर्व

जांच शामिल है। अत: प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जाँच की अवधि के बाद के डेटा पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा।

थ. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि संदर्भ कीमत शुल्क वर्तमान मामले में उपयुक्त नहीं है, कुछ ने यह तर्क दिया है कि शुल्क का निर्धारित रूप उपभोक्ताओं के लिए क्षतिकारी होगा। हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिकूल तर्कों के बावजूद, प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में तथ्य और परिस्थितियों में शुल्क की संदर्भ कीमत की सिफारिश करना उपयुक्त समझा है।

द. जहाँ तक निर्यात कीमत के निर्धारण में कीमत समायोजनों का संबंध है, उसे सहयोगी उत्पादक और ऐसे निर्यातक को यथा आवश्यक प्रकट करना उपयुक्त समझा है, जिसने प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर सूचना की आपूर्ति की है।

ध. जहाँ तक पात्र घरेलू उद्योग बनने के लिए घरेलू उद्योग की पात्रता का संबंध है, उसकी उपयुक्त जांच की गई है और वर्तमान जांच परिणाम में विचार किया गया है।

जहाँ तक घरेलू उद्योग की मूल्यह्रास लागत का संबंध है, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-III के प्रावधानों के अनुसार उसे अपनाया है।

न. यह स्पष्ट किया जाता है कि दीपक फिनोलिक्स द्वारा व्यय की गई लागत, नई क्षमताओं की स्थापना करते समय प्राधिकारी की मानक प्रक्रिया के अनुसार और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित की गई है।

प. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में मांग आपूर्ति अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से समाधान चाहने से प्रतिबंधित नहीं करता।

फ. जाँच की अवधि, गोपनीयता, सामान्य मूल्य, भारतीय रूपए (आई एन आर) में आई एन आर की गणना, क्षति, कीमत प्रभाव, किए गए समायोजन, शुल्क का रूप और घरेलू उद्योग के अधिकार से एस आई ग्रुप को निकालने के संबंध में उठाए गए मामले को पहले ही उपरोक्त संगत पैरा में शामिल किया गया है।

ब. चूंकि पी ओ आई 12 महीनों की नहीं है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक/सूचीबद्ध आंकड़े पूर्ववर्ती वर्षों से सीधे तुलनीय हों, वास्तविक/सूचीबद्ध आंकड़ों को ''वार्षिकीकृत'' किया गया है और ये इन अंतिम जाँच परणिाम में उल्लिखित हैं। चूंकि वर्तमान मामले में पी ओ आई 6 महीने की है इसलिए आंकड़ों को पूर्ववर्ती वर्षों से तुलनीय बनाने के लिए 2 से गुणा किया गया है। इस कारण से पी ओ आई के लिए सूचीबद्ध और वास्तविक आंकड़े तथा वार्षिकीकृत आंकड़े इन जाँच परिणामों में समान आंकड़ों को दर्शाते हैं।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्यत: पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की एक स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित नहीं किया है कि शुल्कों को लगाने से सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

108. यह स्वीकार किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित उत्पादों के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा से पाटनरोधी उपायों के द्वारा कटौती नहीं होगी, विशेषकर, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक राशि सीमित होती है। इसके प्रतिकूल पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

109. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मामलों की जांच करने के बाद और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-

क. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारत को अपने सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ग. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा वास्तविक क्षति हुई है।

घ. चूंकि यू एस ए के संबंध में क्षति मार्जिन नकारात्मक है, अत: यू एस ए के खिलाफ कोई पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की गई है।

ड. सिफारिशें

110. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध में जाँच की गई है, अत: प्राधिकारी का यह विचार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन और क्षति को दूर किया जा सकता है।

111. नियमावली के नियम 4(घ) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, प्राधिकारी पाटन के कमतर मार्जिन और क्षति पाटन के समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। चूंकि यू एस ए के संबंध में क्षति मार्जिन नकारात्मक है, अत: यू एस ए के खिलाफ किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती। मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए और प्रदान की गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, पाटनरोधी शुल्क के बेंचमार्क/संदर्भ रूप की सिफारिश करना उपयुक्त समझा गया है। प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लगाने की सिफारिश करते हैं, जो संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित संदर्भ कीमत के बीच का अंतर है, बशर्ते कि पहुंच मूल्य कॉलम 7 में उल्लिखित मूल्य से कम हो।

112. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	290711	फेनोल	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	पीटीटी फेनोल कं० लि०	990.83	मी. टन	यू एस डॉलर
2	290711	फेनोल	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	क्र. संख्या 1 के अलावा कोई उत्पादक	990.83	मी. टन	यू एस डॉलर
3	290711	फेनोल	उन देशों से अतिरिक्त कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है।	थाईलैंड	कोई	990.83	मी. टन	यू एस डॉलर

113. उपरोक्त के अध्यधीन, दिनांक 20 अगस्त, 2020 को अधिसूचित प्रारंभिक जाँच परिणामों की एतदद्वारा पुष्टि की जाती है।

ढ. आगे की प्रक्रिया

114. केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इन जाँच परिणामों के खिलाफ कोई अपील वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th January, 2021

Case No: ADD-(OI) 02/2020

Subject: Final Findings of Anti-dumping Investigation concerning imports of "Phenol" into India originating in or exported from Thailand and United States of America.

F.No. 6/3/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s. Deepak Phenolics Ltd., M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. and M/s. SI Group India Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the "Applicants") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as "the Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the "Rules") for imposition of anti-dumping duty (ADD) on imports of "Phenol" (hereinafter also referred to as the "Product under Consideration" or "PUC" or "subject goods") from Thailand and United States of America (USA) (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide notification No. 6/3/2020-DGTR dated 25th February, 2020, published in the Gazette of India, initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of ADD, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

3. The Authority having regard to the Act and the Rules, considered it appropriate to recommend interim duties and issued preliminary findings vide Notification No. 6/3/2020- DGTR dated 20th August, 2020, recommending the imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR. However, vide Office Memorandum No. 354/121/2020-TRU dated 21st October, 2020, the Central Government decided not to impose the provisional ADD.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

b. The Authority issued a public notice dated 25th February, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries.

c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 25th February, 2020, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations, the Domestic Industry, and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicants. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their response as well as submissions. Vide communication dated 4th April, 2020, the time was extended up to 24th April, 2020. Vide communication dated 23rd April, 2020, the time was extended up to 10th May, 2020 and vide communication dated 11th May, 2020, the time was further extended up to 20th May, 2020. Any submission made by interested parties even after the due date had been taken into account to the extent considered relevant and appropriate for the purpose of preliminary determination. Further, the Authority has considered all submissions made by interested parties during the course of present investigation for the purpose of final determination.

g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. M/s. AdvanSix, USA;

ii. M/s. Deckota Gasification Company, USA;

iii. M/s. Dow Chemical Co., USA;

iv. M/s. Georgia Gulf, USA;

v. M/s. INEOS Phenol, USA;

vi. M/s. PTT Phenol Company Limited, Thailand;

vii. M/s. Shell Chemicals, USA.

h. In response to the above notification, the following producers/exporters have responded and submitted exporter's questionnaire responses and/or legal submissions:

i. M/s. Kempar Energy Pte. Ltd. (Kempar), Singapore;

ii. M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP), Singapore;

iii. M/s. Mitsui & Co. Ltd. (MBK), Japan;

iv. M/s. PTT Phenol Company Limited (PPCL), Thailand.

i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. M/s. Acron Enterprises;

ii. M/s. Bleach Marketing Pvt. Ltd.;

iii. M/s. Centrum Metalics Pvt. Ltd.;

iv. M/s. C.J.Shah and Company;

v. M/s. Farmson Pharmaceutical Gujarat Ltd.;

vi. M/s. Haresh Kumar & Co.;

vii. M/s. High Polymer Labs Ltd.;

viii. M/s. India Glycols Ltd.;

ix. M/s. Kailash Polymers;

x. M/s. KantilalManilal& Co. Pvt. Ltd.;

xi. M/s. Karmen International (P) Ltd.;

xii. M/s. Khetan Brothers;

xiii. M/s. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.;

xiv. M/s. Kundan Rice Mills Ltd.;

xv. M/s. Meghdev Enterprises;

xvi. M/s. Naiknavare Chemicals Limited;

xvii. M/s. National Plywood Industries Ltd.;

xviii. M/s. NGP Industries Ltd.;

xix. M/s. Paras Dyes & Chemicals;

xx. M/s. PCL Oil & Industries;

xxi. M/s. Rainbow Colours & Chemicals;

xxii. M/s. Resins & Plastic Ltd.;

xxiii. M/s. Satguru International;

xxiv. M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited;

xxv. M/s. Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.;

xxvi. M/s. Sonkamal Enterprises;

xxvii. M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited;

xxviii. M/s. United Phosphorus Ltd.;

xxix. M/s. Wonder Laminates Pvt. Ltd.

j. In response to the above notification, following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses:

i. M/s. Aica Laminates India Private Limited;

ii. M/s. Akin Chemicals Pvt. Ltd.;

iii. M/s. Atul Ltd.;

iv. M/s. Clean Science & Tech Pvt. Ltd.;

v. M/s. Greenlam Industries Limited;

vi. M/s. Meghmani Organics Ltd.;

vii. M/s. Virgo Laminates Ltd.

k. The following importers/users have filed legal submissions/registered as interested parties in response to the initiation notification:

i. M/s. Agrow Allied Ventures Pvt. Ltd.;

ii. M/s. Akin Chemicals Pvt. Ltd.;

iii. M/s. Atul Ltd.;

iv. M/s. Cedar Décor Pvt Ltd;

v. M/s. Cent Ply;

vi. M/s. Clean Science & Tech Pvt. Ltd.;

vii. M/s. DCM Shriram Industries Ltd;

viii. M/s. Gitanjali Chemicals Pvt. Ltd.;

ix. M/s. Haresh Petrochem Pvt. Ltd.;

x. M/s. Hwatsi Chemical Pvt. Ltd.;

xi. M/s. Meghmani Organics Ltd;

xii. M/s. Supriya Lifescience Ltd;

xiii. M/s. Tradex Corporation.

l. The Authority sent a copy of the initiation notification to the following known Associations of the subject goods in India:

i. Indian Laminate Manufacturers Association (ILMA);

ii. The Institute of Indian Foundrymen (IIF).

m. In response, the following user Associations have filed submissions:

i. Indian Laminate Manufacturers Association;

ii. The Institute of Indian Foundrymen;

iii. Federation of Indian Plywood and Panel Industry.

n. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

o. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st July, 2019 to 31st December, 2019 (6 months). The injury examination period has been considered as the period from 1st April, 2016-31st March, 2017; 1st April, 2017- 31stMarch, 2018, 1st April, 2018-30th June, 2019 and the period of investigation.

p. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems & Data Management (DGS) for subject goods for the injury period, including the POI, and analysed the data after due examination of the transactions.

q. The non-injurious price (hereinafter referred to as "NIP") based on the cost of production and reasonable profits to sell the subject goods in India, having regard to the information furnished by the Domestic Industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

r. Additional/supplementary information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. The information provided by the Applicant was examined by the Authority by way of a table study, to the extent deemed necessary. Only such information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.

s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of facts available.

u. Provisional ADD on the import of the subject goods from the subject countries were recommended vide the Preliminary Findings issued on 20th August, 2020. However, the provisional ADD was not imposed.

v. As recorded in the Preliminary Findings, the Authority invited comments on the same and the views of the interested parties on the preliminary determination has been considered and addressed to the extent possible for the purpose of Final Findings.

w. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 9th October, 2020. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.

x. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, including in response to the Preliminary Findings, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these Final Findings.

y. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported by evidence and considered relevant to the present investigation.

z. In accordance with Rule l6 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 7th January, 2021 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these Final Findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.

aa. '***' in these Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

bb. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US$1 = ₹71.67.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

"The product under consideration in the present investigation is "Phenol". The product is marketed in two forms i.e. bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed sales can be of much smaller container loads and are generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc.

This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation."

6. The Authority provisionally had held in the Preliminary Findings that the subject goods produced by the Domestic Industry are like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules.

C.1 Submissions of the Domestic Industry

7. The submissions made by the Domestic Industry with regard to the PUC and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

a. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc.

b. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11.

c. The goods produced by the Applicants are like article to the PUC imported from subject countries as they are comparable in terms of chemical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods, and are technically and commercially substitutable. There is no known significant difference in the technology employed by the Domestic Industry and the producers in subject country. The Applicants have produced like article to the imported products.

C.2. Submissions of other interested parties

8. No submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties regarding PUC.

C.3. Examination by the Authority

9. The PUC in the present investigation is "Phenol".

10. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms - bulk (in loose) and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc.

11. The product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

12. It has been noted from the information available on record that the product produced by the Domestic Industry is like article to the PUC imported from subject countries. The product produced by the Domestic Industry, and subject goods imported from subject countries is comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially

substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The contention of the Applicant has not been disputed by the other interested parties. Therefore, the Authority holds that the subject goods produced by the Domestic Industry are like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions of the Domestic Industry

13. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the scope of Domestic Industry and standing:

    a. The Applicants, namely, Deepak Phenolics Ltd., Hindustan Organics Chemicals Ltd. and SI Group India Pvt. Ltd., constitute 100% of the domestic production for the subject goods in India.

    b. The Applicants have not imported the subject goods in the POI from the subject countries.

    c. The Applicants are not related to any exporters in the subject countries or importers of the subject goods in India.

    d. In response to the argument of the Respondents that SI Group imported from South Africa and hence cannot be considered as eligible domestic industry, the Applicants submitted that the imports made by the Domestic Industry from South Africa is not relevant in the present case. Even so, the imports by SI Group from South Africa was made under advance license, in low volumes, for its export products and is not significant so as to disentitle it from being treated as eligible domestic industry. In previous findings of acetone and phenol, the Authority has considered SI Group as eligible domestic industry when they had imported the PUC under advance license.

D.2 Submissions of other interested parties

14. Other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of Domestic Industry and standing:

    a. SI Group must not be considered as a constituent of the Domestic Industry as they are an importer of the PUC from South Africa which is a subject country in an ongoing sunset review investigation. SI group omitted to provide the proportion of imports made in relation to total imports from South Africa to India. If imports of the PUC made by SI Group from South Africa are significant in relation to the total imports from it into India, then it must be excluded from the scope of the Domestic Industry. Unless allegation of dumping exists against a country and domestic producer has imported from the country is admitted or proved, they cannot be part of the Domestic Industry and must be excluded from scope.

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines Domestic Industry as under:

    "(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

16. The application has been jointly filed by Deepak Phenolics Ltd., Hindustan Organics Chemicals Ltd. and SI Group India Pvt. Ltd. The Applicants account for 100% of Indian production, as there is no other producer of the subject goods in India, apart from the Applicants. The Applicants have claimed that neither they have imported the PUC from the subject countries in the POI nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.

17. The Authority considered the arguments of the interested parties regarding imports of product by SI Group from South Africa, one of the applicant companies. The Authority notes that the same is not relevant in the present investigation as the imports have not been made from the present subject countries. The volume of imports by SI Group is negligible. Imports have been made under advance license for which there is an obligation to export those products manufactured using the imports made under advance license. The products so produced were not intended for consumption within the country. Being under advance licence, these imports were exempted from payment of ADD. The Authority considers that such imports made under advance licence should not disentitle a domestic producer from being treated eligible Domestic Industry under Rule 2(b). Therefore, the Authority holds that it would not be appropriate to exclude SI Group from the scope of the Domestic Industry solely for this reason.

18. Accordingly, the Authority holds that the Applicants constitute Domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the Domestic Industry

19. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to confidentiality:

a. The Applicants have submitted that information otherwise available in the public domain has been claimed as confidential by PPCL and MBK in the exporters' questionnaire responses. Further, the exporters have claimed excessive confidentiality in excess of the provisions of the Authority's Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018. MBK has not submitted Part IV of the exporters' questionnaire response.

b. The users/importers have also disregarded the Authority's Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018 in their claims of confidentiality.

c. Only an information can be claimed confidential by the interested parties, while claims/submissions/arguments of the interested parties cannot be claimed as confidential. However, it would be seen from the responses filed by the responding exporter, even the claims have been claimed as confidential.

d. None of the claims of the normal value have been provided by the exporters in the non-confidential version of the exporter questionnaire response, and therefore such claims are required to be rejected.

e. PPCL, MAP and MBK in their exporter questionnaire responses have claimed information regarding details of shareholders, company structure, list of products sold, production facilities and process, related party information, Annual Reports, contractual links and joint ventures, etc. as excessively confidential.

f. The Authority has rightfully not considered submissions of ILMA and IIF in the Preliminary Findings as they have failed to comply with the directions of the Authority in the initiation notification and specific directions given to them through the mail dated 13th May, 2020 and the same was admitted through an e-mail dated 6th September, 2020 which was suppressed in the writ petition filed in the Hon'ble High Court. ILMA and IIF had failed to serve all their submissions to the Domestic Industry thereby violating the rights of the Domestic Industry to defend its interests.

g. The Applicants have submitted that the users/importers in their user/importer questionnaires have claimed excessive confidentiality without due consideration of the requirements of the Trade Notice 10/2018

h. The non-confidential version of responses filed by exporters, and users do not provide a meaningful understanding of information claimed confidential.

i. The responses should be disregarded and the exporters must be declared as non-cooperative by denial of individual treatment since the Domestic Industry is handicapped from offering comments and defending its interests in the absence of even indexed information, thereby violating principles of natural justice.

j. In response to the contention that arguments of excessive confidentiality by the Domestic Industry have not been addressed, the Applicants have submitted that the same has been analysed by the Authority in Paragraphs 20 and 21 of the Preliminary Findings.

E.2. Submissions of other interested parties

20. Other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:

a. The exporters, importers, users and other interested parties have submitted that the Applicants have claimed excessive confidentiality and have not fulfilled the guidelines prescribed in the Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018.

b. If the Applicants have made arguments on retrospective imposition in the confidential version of the application, it is a clear violation of confidentiality provisions, since the same has not been provided in the non-confidential version. The inability of the Applicants to provide the arguments in non-confidential version hinders the ability of the interested parties to provide meaningful comments on the same and defend their interests on this crucial issue.

c. The non-confidential version of the application does not allow for a reasonable understanding of the allegations contained therein. The non-confidential version of the application clearly violates the requirements specified in Rule 7 of the Rules.

d. In the Preliminary Findings, the Authority has summarily dismissed the arguments of the exporters in terms of excessive confidentiality claimed by the Applicants, without providing any reasons for the same. The Authority must assess claims of confidentiality on a case-by-case basis and provide reasons as to why a particular party's objection regarding confidentiality has been denied. A decision of a quasi-judicial body like the Authority, must be in accordance with the principles of natural justice, and therefore, reasons for arriving at its decision must be disclosed by the Authority.

e. The Authority failed to provide reasoned order and dismissed the exporter's claims of excessive confidentiality by Domestic Industry which is in contravention of Trade Notice 10/2018.

f. Exporters have provided sufficient reasons for claiming information as confidential in questionnaire responses and addressed claims of petitioners in Exhibit 3 of comments to Preliminary Findings.

g. The Authority has to disclose the facts and basis on which normal value and export price has been determined and the actual normal value and export price as normal value can also be considered as a benchmark under reference form of duty and since the normal value and export price for all other non-cooperating producers/ exporters cannot be considered confidential. Further, the Applicants themselves have disclosed the normal value and export price for subject countries in their petition based on facts available. The same should also be disclosed to customs authorities so that ADD can be determined on a real time consignment to consignment basis.

h. Information on installed capacity, production, capacity utilization, sales quantity, sales value, employees, productivity per day, inventory, PBIT, NIP, etc. has not been provided as required by Trade Notice, neither has good cause been shown for claims of confidentiality.

i. The non-confidential version violates requirements under Rule 7 of the Rules and the Trade Notice 1/2013 dated 9th December, 2013. The rights of defence of interested parties could not be fully exercised. Significant data in non-confidential version of the Application has not been properly indexed. Part-VI has not been provided and therefore, the Application is incomplete. Formats A-L have been kept confidential for which no reasonable justification has been provided. The Authority should direct the Domestic Industry to provide the summary of the documents and indexed data in non-confidential version for comments.

j. Computation of NIP, normal value, dumping margin and other data should be disclosed.

k. Information disclosed and filed with other authorities or accessible to an ordinary shareholder in public cannot be held confidential.

l. The Authority has not clarified what the form of duty will be and the reasons for selecting the same.

E.3. Examination by Authority

21. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

22. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by

parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

23. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

24. As regards the arguments of retrospective imposition of duties not in the non-confidential version of the application, it is noted that Applicants requested for imposition of retrospective form of duties through letters filed after the filing of application. The non-confidential versions of the letters have been circulated by the Applicants to all interested parties.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the Domestic Industry

25. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to various issues:

a. The parameters laid down under the law for retrospective imposition of duty are fully met in the present case. There is a long history of dumping in the country evident from investigations being conducted since 2002. Further, the dumping margin is significant throughout the POI and such a level of dumping has caused adverse effects on the Domestic Industry as inventories have piled up, and there is significant decline in profits, PBIT, cash profits and return on investment. Therefore, it is vital to consider (a) imposition of ADD on a retrospective basis; and (b) import assessments are made provisional pending outcome of the investigation.

b. Since there is significant intensified injury within POI, which intensified further post-POI, the Domestic Industry has requested the Authority to consider the imposition of benchmark form of duty in order to address the intensified injury. During the POI, it can be seen that there is a presence of dumped and un-dumped imports. In such a situation, benchmark form of duty is most appropriate. There are imports into the country that are injurious and non-injurious during the POI. The import prices have significantly declined over the injury period and the POI. There is a high volatility in the prices of imports from subject countries over the injury period, within the POI, and within same time. The Authority's Office Memorandum dated 18th June, 2019 states that the reference price system may be recommended in situations of high price volatility.

c. There is no bar as per WTO Agreement or Rules against recommending different forms of duties for the same product against different countries. The quantum and form of ADD will depend on facts of a particular case and this does not tantamount to differential treatment.

d. In response to the argument that the Authority failed to provide reasons for the form of duty, the Applicants have submitted that there is no such legal requirement. There is no violation of principles of natural justice since the opposing parties are given opportunity to comment on the Preliminary Findings.

e. In blatant abuse of trade notices issued by the Authority and global practices applied, a lot of parties participated in the Oral Hearing without filing any factual submissions within the prescribed time limit, and even without being registered as an interested party; and, in any case, without filing questionnaire response. Principles of natural justice also demand that a party exercises its rights well within time limits. The Domestic Industry requests the Authority to record a reasoned determination on this.

f. While Rule 2(c) does not provide for participation of users, Rule 6(5) says that users can participate when the PUC is sold at retail level Therefore, User Associations such as ILMA and FIPPI cannot participate and further, they have submitted no information. Submissions cannot be considered as information.

g. The law does not allow for associations of users to be considered as interested parties. The user associations in this case should be considered as non-cooperative as they have not provided their Registration Certification, by-laws & Memorandum of Association, lists of members, details of the executive body/Managing Structure, copies of the minutes of the meeting in which it was resolved by the Association to oppose an anti-dumping application on behalf of some/all of its members and lists of members who supported, opposed of remained neutral with regard to the application.

h. Prior to the issuance of Preliminary Findings on 20th August, 2020, ILMA deliberately did not comply with DGTR's direction dated 13th May, 2020, for serving their submissions onto all the interested parties and the investigation team. Instead, as late as on 6th September, 2020, the legal representative of ILMA replied to DGTR's e-mail dated 13th May, 2020, stating that the submissions of ILMA and IIF

were inadvertently not enclosed in his earlier e-mail dated 13th May, 2020, whereby he had circulated the submissions of three other interested parties.

i. It would be seen that not only PPCL has related raw material supplier but also related utility suppliers. Therefore, the prices of raw material and utility, as claimed by the exporters are required to be rejected as they are not at arm's length.

j. The exporters have intentionally refrained from providing adequate information sought by the Authority as to whether the raw materials for production have been purchased from a related supplier or captively produced. The information as to whether the procured raw material prices are reflective and representative of a fair market price have also been kept confidential.

k. While the trend of import price decline continues, the raw material prices did not show a corresponding decline and that due to the continued price pressures faced due to imports, the Domestic Industry was forced to reduce their prices.

l. The parties other than those listed in the Preliminary Findings should not be considered as interested party since only they filed information within time limits. These parties are PTT Phenol Company, Thailand, MAP, MBK, Kempar Energy Pte. Ltd., Aica Laminates India Private Limited, Greenlam Industries Limited, Clean Science & Tech Pvt. Ltd., Meghmani Organics Ltd, Akin Chemicals Ltd., Atul ltd., and Virgo Laminates Ltd.

m. The users have failed to provide relevant information in the form of questionnaires and therefore, the authenticity of mere statements cannot be established. Any arguments made without filing responses are liable to be rejected.

n. Parties who are not specified as interested parties under Rule 2(c) have to seek liberty from Authority to be treated as one and the same cannot be assumed.

o. Century Ply, Haresh Petrochem and Gitanjali Chemicals Pvt. Ltd. cannot be considered interested parties as they have not filed responses or submissions.

p. Exim Corp cannot be considered as interested party as it did not register itself nor has it filed any information, submissions or questionnaire responses.

q. Trade Notice No. 11/2018 and the Manual of Operating Practices state that if the parties have neither registered themselves nor filed any questionnaire responses, they cannot be allowed to participate further in the investigation.

r. Increase or decline in raw material prices is not a consideration of form of duty. Further, the weighted average import price over the injury period i.e. April 2016 to June 20 is 1068 (CIF), which is in fact higher than the reference price in the Preliminary Findings. Further, there is a fluctuation in export price and no significant fluctuations in the domestic price.

s. In response to the argument that the Office Memorandum does not constitute Trade Notice, the disclaimer in the Manual clearly stated that it is not intended to replace any Trade Notice/Circulars/Instructions and the Office Memorandum is an instruction. In case the argument of the respondents is accepted, the Office Memorandum also forms part of the Manual and hence forms established practice.

t. Rule 12 of the Rules and Article 7 of the Anti-Dumping Agreement provide that Preliminary Findings can be issued in appropriate cases and that countries like US and EU issue the same as a matter of rule.

u. In response to the argument of the Respondents that the case of Digital Offset Printing Plates was unusual with regard to a short POI, it has not been established as to how the same is not applicable in the present case.

v. With regard to the argument that importers had no knowledge of dumping by exporters, the legal requirement under Section 9A(3) is to prove either history of dumping or knowledge of importer that exporter practices dumping and not both. Imposition of duty against the subject country in itself establishes history of dumping. Further, whenever ADD is imposed on one set of countries, the dumping shifts to other sources. This shows that importer is well aware.

w. In response to the argument that rare and extraordinary situations must exist, the argument is legally incorrect and the parties are trying to impose additional conditions not required by law.

x. It is the established practice of the Authority to calculate NIP in INR. However, when comparing the same with the landed price of the PUC, it is required to be converted into US$.

y. The purpose of ADD is to eliminate injury and re-establish a situation of open and fair competition. It would not restrict imports from subject countries in any way or the availability of products to consumers.

z. In response to the argument that the Authority has not recommended retrospective levy previously even on the request of the Domestic Industry, the Applicants have submitted that non-imposition in other cases is not a ground to reject claims of DI.

aa. ADD is not a form of protection and instead addresses unfair pricing. Extensions have been sought only due to continued dumping and the Authority in all previous investigations has conducted elaborate investigations before imposition as has also been done in the instant case before initiation. Further, the exporters are habitually dumping and even though the Domestic Industry can cater to the existing demand, it is prevented from doing so. The opposing interested parties have not provided any instances as to how the domestic industry is not fulfilling the legal requirement.

bb. In response to the argument that the Authority has actively disallowed 6 month POI in previous investigations, the Applicants have submitted that in a number of cases such as Acrylic Fibre, Dry Batteries, viscose staple Fibre, penicillin G Potassium 6 APA, lead batteries from Japan, Korea, China and Bangladesh, etc., the Authority has allowed a 6 month POI.

cc. In response to the argument of the Respondents that Post-POI data is to be considered, it is submitted that in a fresh investigation, the same cannot be considered. In this regard, the Domestic Industry has referred to the Findings issued in SBR wherein the Authority refused to terminate the investigation despite finding that the sole domestic producer had suspended production after the POI, stating that the same fell outside the investigation period. The price trends of imports during the POI are relevant for quantum of duty determination and not beyond the POI. Further, the impact of COVID- 19 has no relevance.

dd. In response to the argument that IIF and ILMA have adhered to the prescribed formats it is submitted that the public file does not contain such information of the association or its members.

ee. In response to the argument that the landed price of imports declined due to raw material decline, the Applicants have submitted that the argument cannot be accepted as the landed price of imports is below the cost of the Domestic Industry.

ff. With regard to the argument of the Respondent regarding inconsistencies, the Applicant has submitted that information of both the consolidated period (April 18-June 19) as well as bifurcated period (2018-19 and Apr-June, 2019).

gg. With respect to the argument of the Respondents referring to the trigger price of Acetone, the Applicants have submitted that the same is an SSR case wherein post-POI data was examined for likelihood. The same is not relevant in the present case.

F.2. Submissions of other interested parties

26. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to various issues:

a. The Applicants have not made any arguments requesting for the imposition of retrospective ADD in the application. No documents in the public file show such arguments either.

b. There is no requirement to levy ADD retrospectively. The basic principle of taxation law is certainty and predictability for the tax-payer and, therefore, taxes and duties are prospective in nature. Retrospective imposition is against the norm in ADD as well. It causes prejudice to the bona-fide importer and the user. Section 9A(3) of the Act merely carves out an exception for rare and extraordinary situations with conditions, (a) history of dumping and (b) massive dumping in short period of time. No evidence has been provided by Applicants to substantiate the claim. The 'history of dumping' should be specific to the countries against whom the investigation in ongoing. Retrospective duty has been requested by the DI in multiple investigations, however, no such duty was imposed by the Authority, showcasing clear that it is a provision which mandates extraordinary conditions to exist and must be used. The Domestic Industry has not established the extraordinary circumstances. The Authority has to ascertain the fulfilment of the requisite conditions prior to the recommendation of a retrospective levy of duty. The onus to prove that the conditions are met lies upon the Applicants and the non-confidential petition does not provide any averments.

c. The Domestic Industry has failed to substantiate whether importers had any knowledge regarding alleged practices of dumping by exporters. Reference has been made to submissions by importers/users dated 30th May, 2020 where they contested awareness of exporters of alleged dumping.

d. The Authority has not provided any reasons for adopting such a short POI, and the initiation notice is, therefore, in clear violation of the Rules. The Authority has consistently rejected shorter POI in multiple investigations previously and initiated investigations on POI longer than the POI proposed by the Applicants. A POI of 6 months for a commodity product like Phenol is highly erratic and that has prejudiced the Preliminary Findings by causing distortion of facts

e. M/s. Deepak Phenolics Ltd. must be facing start up difficulties and technical problems. The plant was also shut due to internal reasons.

f. The Domestic Industry has been consistently availing unfair advantage in way of extreme protection through various trade remedies available in India. There is no further requirement to conduct one more anti-dumping investigation to assess dumped imports of Phenol and material injury or threat of material injury to the Domestic Industry. The Authority has conducted 14 anti-dumping investigations/ sunset reviews on Phenol and Acetone in the last 17 years. In 2019, M/s. Deepak Phenolics Ltd. had approached the Authority for imposing a Safeguard duty on Phenol which was later withdrawn by them. M/s. Deepak Phenolics Ltd. had filed an application for inclusion of product phenol in the Restrictive list of Imports. However, the same was dismissed by the Ministry of Chemicals.

g. The user industry is dependent on imports as there is a demand-supply gap.

h. The Applicants have failed to provide any compelling reasons for the Authority to conduct a monthly analysis. The DGTR Manual prescribes scenarios where such an analysis may be undertaken where there are wide variations in cost of production due to raw material price fluctuations. As acknowledged, there is insignificant decline in raw material prices. For a monthly dumping assessment, monthly cost data has to be called, which is an expansive exercise. The Authority may kindly issue an official notification and thereafter provide time for such information.

i. If ADD is levied on imports of Phenol, then the import price will increase from US$ 550-600 per ton up to US$ 950 per kg, creating a huge price difference and an increase of prices of Phenol in the domestic market and also in the price of exports which use Phenol as a raw material.

j. The Preliminary Findings have recommended unwarranted and unreasonable quantum of ADD. The reference form of ADD recommended by the Authority in the Preliminary Findings shall lead to irreparable damages to the users of Phenol in India. The imposition of ADD will kill the users, viz. domestic MSMEs, which are currently providing revenue and employment, despite the pandemic situation.

k. A duty in the form of reference price is excessively punitive towards importers and users in India. The recommendation of provisional ADD in the Preliminary Findings, based on reference price, is totally against the legitimate interest of the users for the primary reason that the landed price of imports have substantially comedown during the current period on account of reduction in key raw material price which is a crude based product. Raw material prices of the PUC, i.e. Benzene and Propylene, have fallen sharply in the last 3 months which has a bearing on the fixation of duty which is not addressed in the Preliminary Findings.

l. Certain parameters have been acknowledged by the Authority to be relevant while determining whether or not ADD ought to be recommended in reference price form. Some of these factors are summarized below:

   i. Reference price is considered more appropriate when the Authority is convinced that there is a need to protect the interests of the downstream industry;

   ii. Reference price may also be appropriate when the user industry imports specific grades of PUC, which is not available in the country or the Domestic Industry is manufacturing only certain price range of goods but the same cannot be distinguished as a separate product;

   iii. Reference price is not desirable where major raw materials are liable to significant price fluctuations - if the price of the principal raw material have declined, then the Domestic Industry gets extra protection and exporters/ importers get unnecessarily penalized even though they may not be indulging in dumping or causing injury; and

   iv. Reference price becomes ineffective in a rising market and overly protective and punitive in a falling market.

   Based on the above parameters, reference price would not be the appropriate form of duty in light of the commercial factors pertaining to the PUC and associated market. This is particularly so because in the present case the prices of the PUC have declined in the post-POI period. Further, the decline in price is also accompanied by decline in raw material costs.

m. Anti-dumping measures against other countries are in form of fixed duties. Inconsistent forms of duty between different sets of subject countries will lead to a difference in the final cost to the importers, practically preventing the present subject countries from selling the PUC to India due to unjustified differential treatment compared to other WTO members. Treating two countries differently to all other sources of imports would be in violation of the axioms underlying the Most Favoured Nation principle.

n. The Authority in the present investigation has failed to provide any reasons or point to any facts or circumstances that justify the application of reference price form of duty, in deviation from its past practice of applying fixed duty in investigations concerning the subject goods. In the absence of any reasoning provided by the Authority for recommending reference price of duty, the Preliminary Findings also violates the principles of natural justice.

o. Where a product faces price volatility and/or is known to experience market fluctuations, recommending reference price form of duty by the Authority. Thus, the Authority is requested to rescind the OM dated 18th June, 2019, as even a suggestion that reference price form of duty must be recommended in situations of high price volatility would be in essence in contravention of the statutory Rules. The idea that reference price as a form of duty is incompatible with products that face price volatility is also recognized by other anti-dumping authorities.

p. Phenol and Acetone are joint products and the cost of these two products is not of any significant difference though the price is a factor of demand and supply.

q. Benchmark price of Acetone shows the Phenol duties are unrealistically high.

r. There is material inconsistency between the injury period considered in the application, especially the updated injury information following initiation, and the Preliminary Findings. The initiation had a fixed injury period and POI as 2016-17, 2017-18, April 2018-June 2019 (Annualized), POI-July to December 2019 (Annualized) and this has been adopted in Preliminary Findings also. However, the updated information of dumping and injury supplied by the Applicants after the initiation contains the period 2016-17, 2017-18, 2018-19, April 2019-June 2019 (Annualized), POI July to December 2019 (Annualized), which is inconsistent with the initiation.

s. The injury analysis period prior to the POI needs to be uniform in order to facilitate an objective analysis. In the present case, a highly unusual timeframe of 15 months has been assumed within the injury analysis period. The Domestic Industry's contention in the Oral Hearing that there was no dumping during the period is to be rejected.

t. A six-month POI will not give a clear picture of the imports and the injury caused to the domestic market. The annualized data will be distorted, and indices can also be misleading. In previous investigations, the Authority has actively disallowed a 6 month POI.

u. The contention that import prices were higher in April – June 2019 and therefore, dumping must have been absent, is fallacious and deserves to be rejected outright as the same is a mere assertion not backed by any evidence.

v. The Preliminary Findings do not show any material injury suffered by the Domestic Industry which warrants interim protection.

w. COVID-19 has created huge damages to the user industry. ADD at this juncture shall force many user units to close down. Duties are against public interest.

x. The Authority did not take cognisance of submissions made by IIF and ILMA and recorded in the Preliminary Findings that no submissions had been received.

y. In the Preliminary Findings, the Authority has not included the name of PPCL as one of the parties which made legal submissions, although some of the issues raised by PPCL in the legal submissions have been included in the Preliminary Findings.

z. The Preliminary Findings have not addressed the following issues raised by PPCL in their legal submissions:

i. Excessive confidentiality;

ii. Erroneous methodology used to calculate dumping;

iii. The Applicants have not suffered any material injury;

iv. Incomprehensible Adjustments made to Injury figures for HOCL;

v. Determination on injury margin excluding non-injurious price imports;

vi. The Applicants have improved with respect to other economic parameters;

vii. The Applicants face no threat of Material Injury.

aa. The Authority has incorrectly indexed the values for POI and the annualized POI for several data points, creating a misleading picture of the injury assessment.

bb. The Authority in its Preliminary Findings must explain the facts or circumstances that it deemed appropriate to issue Preliminary Findings imposing provisional duties. The Rules require circumstances to be exigent. Reference has been made to Article 7.1 of AD Agreement wherein it is provided that provisional duty is to be recommended only if necessary, to prevent injury caused during investigation.

cc. In the Preliminary Findings, the Authority has failed to provide reasons as to why it considers that possible demand-supply gap may not be a reason for depriving a Domestic Industry from seeking redressal against dumped imports causing injury. By failing to provide reasons for its findings the Authority, a quasi-judicial body, failed to comply with the principles of natural justice.

dd. Both price of the PUC and the price of the raw materials suffer from a great degree of price volatility. Unlike what is submitted by the Domestic Industry, the decline in prices of the PUC is also accompanied by decline in raw material costs and in fact, there is a corresponding decline in the price of raw materials.

ee. The objections raised by the Applicants to the participation by certain parties have no legal oral factual substance and the parties here are clearly interested parties. ILMA is an association of laminate manufacturers who are users of Phenol in India and the other companies being represented here are importers/users of the product who are also members of ILMA. Phenol holds about 20-25% share in the cost of the users here who are laminate manufacturers and it is essential for the Authority to consider the views of such users in the course of this investigation.

ff. The Domestic Industry has failed to substantiate whether importers had any knowledge regarding alleged practices of dumping by exporters. Reference has been made to submissions by importers/users dated 30th May, 2020 where they contested awareness of exporters of alleged dumping.

gg. Inconsistent forms of duty between different sets of subject countries will lead to a difference in the final cost to the importers practically preventing the present subject countries from selling the PUC to India due to unjustified differential treatment compared to other WTO members.

hh. The Authority in the present investigation has failed to provide any reasons or point to any facts or circumstances that justify the application of reference price form of duty, in deviation from its past practice of applying fixed duty, and therefore against principles of natural justice.

ii. An Office Memorandum does not constitute Trade Notice. Hence, Office Memorandum dated 18th June, 2019 does not supersede DGTR Manual. Respondents have referred to the disclaimer in the Manual which stated that trade notices and circulars will prevail over Manual. The language of Office Memorandum is not mandatory and is merely recommendatory. It does not bind the Authority to recommend reference form of duty in a situation where there is a heterogeneous product with large number of PCN and high volatility.

jj. Phenol faces high price volatility and may lead to a situation where the duty is above the dumping margin.

kk. The Domestic Industry's claim for retrospective levy is based on erstwhile POI and not actual POI and updated data dated 17th April, 2020 further diminishes the need for the same. Dumping margins are as low as 0-10%. The Authority has rejected retrospective levy in cases where dumping margin was over 40% to 100%.

ll. Section 9A(3) state that rare and extraordinary situations must exist and present factual circumstances do not justify retrospective levy and will not address alleged injury by Domestic Industry.

mm. The NIP for the Domestic Industry is to be calculated in INR as production, sale of like article and bill of entry filed by importers are in Indian Rupee and therefore unaffected by exchange rate fluctuations.

nn. The user industry is mostly MSMEs which constitute only 31% of both India's GDP and employment against 50% and two-thirds respectively at a global level. Increased costs of such inputs will negatively impact the economic recovery and growth of capacities vis-à-vis employment. The falling prices of phenol is due to recession set in since October last year. The impact of COVID-19 will continue on MSMEs for 3 to 5 more years. ADD has achieved its intended purpose and hence imposition is against public interest.

oo. Reference price as per the Preliminary Findings is US $989 to $1,007 per MT. The current import price of Phenol from USA and Thailand ranges between US$ 650 - 750 per MT. Such a price change is market-driven and is based on the fluctuation of prices in the raw materials. Thus, importers would be required to pay approximately USD 250 per MT - USD 350 per MT ADD on imports of Phenol, which is higher than dumping margin and therefore inconsistent with the Section 9A(1) of the Act, Rule 13 of the Rules and Article 9.3 of the AD Agreement.

pp. Post-POI data should be considered in the present case.

qq. If ADD is imposed, the import price will increase, leading to an increase in phenol prices in the domestic market. There would be an increase in the export price of their 2, 4-D series herbicides. Acetone (by product of 2, 4-D series) is not scrape or waste material as pointed out by the Domestic Industry in the Oral Hearing. Acetone has realization value in market. The contention of the Domestic Industry that certain interested parties have no credentials or submissions are not applicable to IIF. Foundry industry contributes to engineering exports. Phenol is a key raw material for Phenolic Resins used to make casting for engineering sector and holds 60-65% share in the cost. ADD will have direct effect on cost of such users. Phenol holds 20-25% share in cost of laminate manufacturers and therefore, views are to be considered.

rr. IIF and ILMA have filed responses to the extent feasible in prescribed formats. The Authority has been accommodative in including views of "interested parties".

ss. The Respondents have requested that the Preliminary Findings be recalled and a new Preliminary Finding be issued as the user is burdened with unreasonable quantum of duties and the duties are against legitimate interests of users since landed price of imports has reduced to $600 MT due to reduction in raw material price triggered by drop in crude price.

tt. The form of duty will kill fair competition and users will be forced to shut down operation as they cannot compete in end product with such high cost.

uu. The difference in 16% in imports at the time of initiation and in the Preliminary Finding should lead to termination of present case.

vv. The Preliminary Findings failed to address that raw material prices have fallen in last 3 months as a result of crude glut due to COVID-19.

ww. The Preliminary Findings/interim duties recommended in the present matter when imports fell from 110,557 MT in the base year to 87,410 MT as annualized in the POI which is a fall of almost 21% but ironically the Authority found the present case as a fit case to recommend Preliminary Findings.

xx. COVID-19 has impacted entire global matrix and an AD measure applied "in the ordinary course of trade" cannot be applied to commodities not traded in ordinary course of trade.

yy. The investigation should be terminated as the applicants have reported sufficient profits to SEBI and public filings in the stock exchange.

zz. The Authority exceeds its rights and permissions at the cost of consumers for the gains of applicants. Trade remedial measures are being grossly abused by the Authority to promote private vested interests in the guise of fair trade, thereby violating constitutional guarantee of fair share in development.

aaa. The fundamental principle underlying any quasi-judicial proceeding is that all evidences and facts are available to affected parties by way of notice to show cause and opportunity of 'personal hearing'. Reference has been made to Shri Govind Misra alias Misir v. Shri Jyotish Chandra Roy where it was held that the copy of the application must be supplied along with notice. Reference was also made to Baransing Bolwary v. Tura Municipal Board wherein it was held that rights of persons adversely and prejudicially affected is entitled to pre-decisional notice irrespective of the nature of proceeding.

bbb. Import of commodities from several countries on international pricing and freely available to consumers without any discrimination cannot be termed as dumping or unfair trade.

ccc. Indian capacity is not upto the mark and ADD is an effort to kill MSMEs.

F.3 Examination by the Authority

27. The Authority has considered the views of the interested parties, as follows-

a. Regarding the selection of 6 months as POI, the Authority notes that the adoption of 6 months as POI is not inconsistent with the Rules, provided the Applicants substantiate the need for such a time period,

and the same is accepted by the Authority. In this case, the Applicants substantiated the need for considering 6 months as the POI by providing reasons that dumping commenced in this period and the injury to the Domestic Industry intensified during the POI. The Applicants claimed that the six months POI is appropriate in view of the fact that China PR had imposed ADD on subject countries in May, 2019, which has led to a significant drop in import prices from the subject countries to India. The product was exported at a much higher price in the month of April and May, 2019. The inclusion of April and May, 2019 would have implied inclusion of a "period of no dumping". It would not be appropriate to fix a period for which there is no allegation of dumping.

b. The arguments submitted by the Applicants were examined by the Authority. It is noted that the purpose of an AD investigation is to examine whether the product has been dumped and whether such dumping has caused material injury to the Domestic Industry. It is further noted that the Rules have been amended vide Notification No. 9/2020-Customs(N.T.) dated 2nd February, 2020, wherein Rule 2(da) and Explanation to Rule 22 have been inserted incorporating the following provisions:

"the period of investigation shall,-

(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.

(ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months."

c. After examining the arguments of the Applicants, the Authority has considered appropriate for selection of 6 months as POI given the justification provided by the Applicants as mentioned above as it would not be appropriate to fix a period for which there is no allegation of dumping.

d. As regards consideration of fifteen months as the preceding period, the Authority notes that there is no bar in considering 15 months as the preceding period.

e. As regards arguments of M/s. Deepak Phenolics Ltd. facing start-up costs and technical problems, it is noted that M/s. Deepak Phenolics Ltd. has fully capitalized its startup cost and the same have not been included in the injury data. Further, the company achieved good capacity utilization even within 2018-19 and hence the cost of production of the company could not have been higher due to possible underutilization of new production facilities.

f. As regards the argument that the Domestic Industry is approaching various forums and seeking relief, it is noted that it is the prerogative of the industrial enterprise to seek recourse under various statutory or regulatory provisions.

g. With reference to the argument of demand-supply gap, the Authority considers that a possible gap may not be a reason for depriving the Domestic Industry from seeking redressal against dumped imports causing injury.

h. As regards the contention of the parties about the form of duty, the Authority notes that as per the Rules, the mandate of the Authority is to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of ADD, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the Domestic Industry. The Authority notes that the form of duty is determined after evaluating all facts relevant for the present investigation and the form of duty shall depend on such facts. The form of duty is relevant to achieve the intended purpose of any duty and the apprehensions of the users have been examined in this backdrop. The form of duty is fixed in view of facts of each and every case and the form of duty adopted in some other investigation may not be of any relevance to the present investigation. Accordingly, the suitability of the form of the anti-dumping measure is decided by taking into consideration the facts of a case.

i. The injury analysis has been done for the injury period by comparing annualised figures, and not on a monthly basis. The injury margin, dumping margin and price undercutting have been determined for the POI and for the PUC as a whole.

j. Regarding interested parties and the participation of those parties in the Oral Hearing which had not registered within the prescribed time limit and/or had not made submissions, the Authority notes that as per Trade Notice No. 11/2018 dated 10th September, 2018 even if a party has not registered and/or not submitted questionnaire responses or legal submissions within the prescribed time-frame, the Authority reserves the right to include any other entity as an interested party if it is in the larger interest of the investigation impacting the findings in any way.

k. As regards the claim of the Applicants that certain parties participated for the first time in the Oral Hearing, without registering themselves as interested parties, and made significant factual submissions during the course of the Oral Hearing, the Authority notes that submissions of these parties made pursuant to the Oral Hearing have been taken into consideration for the purpose of the present investigation and the Applicants have been given the opportunity to file rejoinders, if any, to these submissions and the same has also been considered by the Authority.

l. The Authority notes that the Preliminary Findings took cognisance of all submissions made in response to the Authority's direction dated 13th May, 2020.

m. As regards non-consideration of submissions made by some interested parties in the Preliminary Findings, the Authority notes that a clear direction was issued to all interested parties for serving their submissions to opposing interested parties. It is noted that despite the directions, the submissions were not circulated by some interested parties before the Preliminary Findings. In any case, the Authority has now considered submissions made by all interested parties in the present determination.

n. As regards the contention of ILMA and IIF about the need to treat them as interested parties, the Authority notes from the submissions of ILMA that ILMA represents the interest of a section of users of Phenol in India and to that extent, the contentions of the Association and its members are considered and addressed.

o. As regards the contention that ADD in the present case is unwarranted and will affect the users at large when there is a demand-supply gap, the Authority notes that ADD is imposed for a limited purpose of removing injury caused by dumping and no way intends to stop imports as such. The facts also show the demand-supply gap has considerably reduced and imports at fair price shall not be restricted.

p. As regards the submission of the interested parties that the present case does not warrant issue of Preliminary Findings, the Authority has issued Preliminary Findings after considering the facts and circumstances of the case.

q. As regards to the argument that post-POI data is to be considered, the Authority notes that there is no legal requirement to consider post-POI data in a fresh investigation. As a matter of practice, the Authority does not consider post-POI data in fresh investigations.

r. The Authority notes that claims made by the user associations have not been substantiated with sufficient concrete evidence so as to quantify the impact of the duties on their members. The Authority notes that the purpose of imposition of ADD is not to prevent imports into to the country, but to address trade distortion caused by unfair practices and remedy the injury caused to the Domestic Industry due to these imports. Therefore, imposition of ADD will in no way prejudice the imports in any manner nor will it affect the availability of the product to consumers. Rather, ADD only re-establishes fair and open competition in the country.

s. As regards the calculation of NIP, the Authority notes that the determination has been made as per the Rules laid down and the prevailing practice of the Authority.

t. The Applicants have requested for retrospective imposition of duties in the present investigation on the ground that the PUC is being dumped by subject countries in the present case have also been dumped by subject countries and there is a long history of dumping of the PUC. Further, it has also been contended that imports from subject countries have gone up significantly and subsequent to the imposition of ADD, the dumping shifts from one source to another. Further, the Applicants have also contended huge dumping within a short period of six months. The Domestic Industry has also alleged that dumping has caused adverse effect on the domestic industry. Taking into consideration the contentions by the Applicants and the Respondents, the Authority notes that there is insufficient evidence and justification to warrant retrospective levy of ADD.

u. As regards the contention that the recommendation of reference price of duty is a deviation from past practice of applying fixed duty on the subject goods, the Authority notes that that the very first recommendation for imposition of ADD on the product was in the form of reference price wherein the Authority had issued final findings No. 14/04/2002-DGAD dated 13th February, 2003 and the Customs Authorities issued notification No.47/2003 dated 24th March, 2003.

v. The Authority has considered phenol and acetone as joint products and has apportioned the joint cost incurred upto the point of separation between the two products on the basis of respective turnover consistent with the practice adopted by the Authority in this regard.

w. As regards the argument that Indian capacities being not upto the mark, and Covid-19 impacting the global matrix, it is noted that the same cannot justify dumping of the product in India.

x. As regards the argument regarding making available evidences and facts to all interested parties, it is noted that during the investigation the Authority had sent an e-mail to all interested parties requesting them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic. E-mail addresses of all interested parties were made available to all. Further, a list of all interested parties, along with their e-mail addresses is available on DGTR's website. As regards personal hearing, the same is granted on request, which was not received from any of the interested parties in the present case. However, in accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 9th October, 2020. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.

y. The fact of dumping has already been established in the relevant paragraphs of these findings after due verification of the information.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of the Domestic Industry

28. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:

a. For determining Normal Value, the Applicants have considered ICIS bulletin for monthly prices in South East Asia for Thailand and US Gulf for USA. Relevant adjustments have been made to CFR prices to determine ex-factory prices.

b. The Applicants have adjusted the CIF price for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and inland freight to determine the export price.

c. The dumping margin is positive and significant for both the subject countries.

d. The responding exporter has not raised any argument in its written submissions regarding "particular market situation" or "any other aspects of normal value.

e. The questionnaire responses filed by PTT Phenol Company is deficient. Mitsui India Pvt. Ltd, a related importer as stated in Preliminary Findings has not filed the non-confidential version of Part IV of the questionnaire response nor has it filed any separate response. Unrelated companies namely, Tradechem International FZE (Tradechem) and Riveredge International Pte. Ltd. (Riveredge) have not filed questionnaire responses. Considering paragraphs 12.17, 12.18, 12.20, 12.20(ii) and (iv) of the Manual of Operating Practices, the response of the exporter must be rejected since the unrelated trading companies have not filed responses. The share of exports of these unrelated exporters is to be examined and if their share is above 30%, the responding exporter is to be considered non-cooperative.

f. There is a significant difference in prices of different export transactions with time period and it would not be appropriate to determine weighted average normal value and compare it with the weighted average export price. There is no consistent pattern in export price, unlike in the case of normal value. Therefore, a comparison of weighted average normal value to weighted average export price will significantly distort the dumping margin. Hence, it would be most appropriate to determine weighted average normal value and compare with individual (transaction/transaction basis) export price.

g. The raw material price of the responding exporter cannot be accepted as it does not reflect the actual price in the market. The exporter has intentionally refrained from providing adequate information as to whether raw materials for production has been purchased from a related supplier or captively produced. The information as to whether the procured raw material prices are reflective and representative of a fair market price have also been kept confidential. The Domestic Industry has relied upon the ruling by Ministry of Commerce of People's Republic of China on anti-dumping investigation of imported phenol from United States, European Union, South Korea, Japan and Thailand involving the same exporter wherein it was found that the company's related purchase price was lower than the market average price, therefore, not credible and South East Asian open market price was considered as related purchase price.

h. Adjustments regarding price comparability have been kept confidential by the exporter in the questionnaire response.

i. The international price of raw material is to be considered for computation of normal value. The Authority may direct the responding exporter to provide adequate information regarding valuation of raw material in the non-confidential version; in the absence of which, the best available information is to be relied upon.

j. None of the exporters from USA responded and therefore, the normal value calculated in the Preliminary Findings is to be confirmed. Normal value for USA to be considered while keeping in mind the findings of the Chinese Authority since exporters in USA had responded to that investigation.

k. Normal value of responding Thai exporter is to be considered based on price prevailing in Thailand.

l. ICIS reports are acceptable material and reliable for normal value. CESTAT case referred to by the interested parties is not relevant in the present case as in the said case, the prices were rejected since it was based on one figure of a related product mentioned in an article. ICIS LOR is a monthly report and the same has been relied upon to prima facie establish the existence of dumping. Further, the Authority has repeatedly relied on prices published in international journals in the past for calculation of normal value.

m. Price adjustments in export price have been made as per experience, conservative estimates and established practice of the Authority. The Domestic Industry has provided best available information.

n. The dumping margin is required to be calculated month-wise and separately for bulk and packed.

o. China has imposed ADD on imports of subject goods from subject countries into China. The producers are not only dumping in India but also in other countries. The dumping margin determined by the Chinese authorities based on exporter responses is significant. In the present case, even though none of the US producers have filed responses, the dumping margin (10-20%) is still lower than that of China.

G.2. Submissions of other interested parties

29. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin:

a. Exports from Thailand to India are only bulk, but domestic sales are in both bulk and packed. The Authority is requested to make necessary adjustments to enable fair comparison.

b. The Applicants have failed to provide any legitimate calculation or rationale with respect to adjustments made when arriving at normal value for Thailand.

c. The Applicants have not specified the adjustments undertaken to determine the ex-factory price for Normal Value from the ICIS Reports. The validity of the ICIS Reports relied upon is unclear. It is not evident whether the ICIS Reports calculates prices in the domestic markets of the subject countries. If ICIS Reports specify local prices domestic prices, then Applicants have wrongly adjusted Ocean Freight for calculation. If the ICIS Reports do not specify local prices, then the Authority cannot rely on such a basis.

d. The adjustments with respect to ocean freight, marine insurance, inland freight have been sought in order to calculate export prices at ex-factory level. However, the Applicants have failed to provide adequate information and rationale regarding adjustments made in the export price and hence dumping shown in frivolous.

e. In the original application, the export price of packed Phenol was wrongly shown as less than export price of bulk Phenol, whereas in the updated application, separate prices have not been mentioned. The accuracy and reliability of the calculations and evidences, therefore, need to be checked by the Authority.

f. Separate dumping margins have been calculated for bulk and packed Phenol. However, no separated normal value has been calculated. Moreover, separate export prices have only been calculated in the original application. It is unclear how such separate dumping margins have been created. The Authority may determine the individual margins of dumping based on the responses filed by the exporters.

g. The prices of South East Asia have been adopted for Thailand which is unsustainable as the normal value is country-specific and general prices purportedly prevailing in the entire region which include a number of other countries cannot be adopted as the normal value of a specific country. Similarly, prices prevailing in the US Gulf cannot be assumed as the normal value specific to USA. The decision in Dye Stuff Manufacturers Association of India vs. Government of India is relied upon wherein it was held that acceptable facts for normal value determination have to be authentic and relevant to the subject country and the POI.

h. Prices in publications cannot form the basis for constructing normal value as they are always based on certain assumptions and presumptions and cannot be considered to correctly reflect the actual prices of producers and exporters in the subject countries.

i. Exporters did not at any point request the Authority to disregard their domestic price for the normal value calculation.

j. On the issue of the related importer in India, PPCL has submitted that the sales made to Mitsui India account for only ***% of the sales made to India during the POI. Further, it is also crucial to bear in mind that the price at which the goods were sold to the related importer is within a ***% range of the price at which goods were sold to various unrelated importers, whereby it cannot be said that this price is unreliable. In any event, the Authority has considered the channel through the related importer to be non-cooperative and the lowest representative export price has been considered for calculating the dumping margin of the non-cooperative channel. In light of the above, the Domestic Industry's allegations ought to be rejected since the non-participation of Mitsui India has had no beneficial impact for the exporters, and the appropriate adverse effects of non-cooperation from Mitsui India have already been incorporated into the dumping margin calculation.

k. As regards the unrelated exporters, it is submitted that a majority of PPCL's unrelated exporters have participated.

l. The responding producer PPCL has provided all the relevant details with respect to raw material prices to the Authority in the confidential version of the questionnaire response and has also cooperated with the Authority with respect to any follow up queries on the questionnaire response.

m. The Domestic Industry has failed to meet the dual criteria set out under Annexure I of the Rules and Article 2.4.2 of the Antidumping Agreement that allows normal value established on a weighted average basis may be compared to the prices of the individual export transactions. The Domestic Industry's suggestion of determining weighted average normal value and comparing with individual export price can be adopted only when:

1. The Authority finds that the pattern of export prices differs significantly among different purchasers, regions or time periods; and

2. An explanation is provided as to why such differences cannot be taken into account appropriately by the use of weighted-average -to-weighted average or transaction-to-transaction comparison.

n. Dumping margin to be calculated month-wise and separately for bulk and packed if it has been done so for price undercutting.

o. There is no import restriction or unfair trade restriction in Thailand. The license restriction is only for occupational health and safety.

p. Arguments of interested parties regarding methodology used to calculated dumping has not been taken into consideration.

q. Normal value should be published in currency of the exporter as it is specific to the exporter and specific to country of home market of the exporter.

r. Notification of recommendation without incorporation of 'dumping margin established' during POI is violation of obligations to restrict collection of duty to limit of established dumping margin.

G.3. Examination by the Authority

30. Under section 9A (1) (c) of the Act, "normal value" in relation to an article, means:

i. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article

is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

    i. PTT Phenol Company Limited (PPCL), Thailand;

    ii. M/s. Mitsui & Co (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP), Singapore;

    iii. M/s. Mitsui & Co. Ltd. (MBK), Japan;

    iv. M/s. Kempar Energy Pte. Ltd. (Kempar), Singapore.

32. It is noted that PPCL is a producer and exporter, based in Thailand. During the POI, PPCL sold its products directly to customers in India and also to all the other three parties, who are trading companies which have sold the products to customers in India. MAP, MBK and Kempar were not involved in the domestic sales of the PUC in the Thailand market. The Authority notes that PPCL and the Domestic Industry have requested for due adjustments to be made due to the differences in the bulk and packed forms of Phenol. For the purpose of Preliminary Findings, the Authority had considered all domestic sales of PPCL as bulk/loose, pending further examination during the course of the investigation. Subsequently, in view of the averments made, and desk verification, the margin comparison for the final determination has been conducted on a bulk-to-bulk basis for both injury and dumping margins, as all exports to India had been made on bulk basis.

33. There is no questionnaire response from any producer in USA. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from the subject countries have been determined as below.

34. With regard to the argument about normal value being exporter specific, the Authority notes that the details of the normal value, as calculated in the Preliminary Findings, were shared with the exporters concerned, and the comments received thereafter have been incorporated in the disclosure statement.

G.4 Determination of normal value

Thailand

Normal value for PPCL, Thailand

35. From the data filed by the cooperating producer and exporter from Thailand i.e., PPCL, it is noted that during the POI, domestic sales have been made to unaffiliated customers. The questionnaire response has been examined and it is noted that the respondent has provided domestic sales price details of the subject goods in respective Appendices with proper costing data for mandatory tests. As regards normal value, the Authority notes that ***MT was sold in the domestic market at a price of US$ ***/MT. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with volume of exports to India. Therefore, domestic sales have been considered for the purpose of determining the normal value. The Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit-making transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, profitable domestic sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80% by volume. Further, PPCL has claimed Inland Freight, Storage Cost, Credit Cost, Surveyor Cost and other related adjustments as post factory expenses. Claims made by PPCL have been examined, and after desk verification, the response filed has been accepted. It is noted that PPCL had also claimed an adjustment in its normal value on account of the differences between bulk and packed, which was provisionally accepted in the preliminary finding. However, since the dumping margin and injury margin comparison has now been made only for bulk products, the Authority has removed this adjustment from the Normal Value calculation. With regard to the claims made against PPCL regarding raw material procurement price from related parties, the Authority notes that PPCL has disclosed all the relevant information, including related party purchases of raw material and utilities specified in Appendices 6 and 11 of the questionnaire response.

36. Normal Value of PPCL so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for Non-Cooperative exporters in Thailand

37. The Authority notes that no other exporter/producer from Thailand has responded to the Authority in the present investigation. It is also noted from a perusal of import information received from DGCI&S that all

imports of subject goods are in bulk/loose form only, and hence no separate Normal Value determination has been made for packed/drum Phenol. For all the non-cooperative exporters/producers in Thailand, the Authority determines the normal value on the basis of facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all producers and exporters in USA

38. The Authority notes that no exporter/producer from USA has filed questionnaire response in the present investigation. It may be noted that the Applicant had determined the normal value in USA on the basis of ICIS reports. None of the interested parties have provided any other information with regard to normal value in USA, nor have provided any evidence to show that this evidence is not appropriate. It is also noted from a perusal of import information received from DGCI&S that all imports of subject goods are in bulk/loose form only, and hence no separate Normal Value determination has been made for packed/drum Phenol. The normal value in US has, therefore, been determined on the basis of facts available i.e. prices reported in ICIS reports. The Normal Value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.5. Determination of export price

Export Price for PPCL, Thailand

39. In their questionnaire response, PPCL has declared that the company has exported the product to India directly as well as through unrelated foreign traders namely Mitsui & Co., Ltd ("MBK"), Mitsui & Co (Asia Pacific) Pte Ltd. ("MAP"), Kempar Energy Pte. Ltd. ("Kempar"), Tradechem International FZE ("Tradechem") and Riveredge International PTE Ltd (Riveredge). The Authority notes that some of the exports were made by MAP through a related importer namely Mitsui & Co. India Private Limited, who has not filed a separate questionnaire response. The export price at which subject goods have been sold by PPCL to MAP, MBK and Kempar; and the price at which MAP, MBK and Kempar have exported to India have been examined, after taking into account the associated expenses incurred by MAP, MBK and Kempar. The Authority notes that PPCL has exported ***MT of the PUC to India during the POI, and out of ***MT, ***MT has been exported to India through the cooperating channel of trade.

40. It is noted that MAP, MBK and Kempar have exported the product at a price above costs, after taking into account the expenses incurred by them. There is no evidence of any compensatory arrangement, nor any other reason to justify rejection of producer's price and adoption of trader's price. All the trade channels of exports to India are found to be profitable, therefore, the Authority has considered the prices of PPCL, the producer, to determine the ex-factory export price. Further, the producer has claimed Shipping Cost, Surveyor Cost, Handling Charges, Storage Cost, Commission, Credit Cost and Bank Charges as post factory expenses for making exports to India. The claims made by PPCL have been accepted after examining the information submitted, and after desk verification.

41. The Authority notes that two traders, namely, Tradechem International FZE, and Riveredge have not submitted the exporters questionnaire response containing the requisite information for the said *** MT quantity exported to India during the POI. In accordance with provisions of Explanation (b) to sub-section (1) and sub-section (6A) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, and Rule 6(8) of the Rules, the export price for ***MT for which the complete chain of responses containing the requisite necessary information has not been submitted to the Authority, has been determined based on facts available. The Net Export Price for PPCL has been determined on a weighted average basis after taking into account all exporting channels as mentioned above (cooperating as well as non-cooperating) and weighted average Net Export Price, as shown in the dumping margin table below.

Non-cooperative Exporters from Thailand

42. The export price for the non-responding producers/exporters from Thailand has been determined on the basis of facts available taking into account the export transactions of the responding exporter.

Export Price for USA

43. None of the exporters/producers from USA have filed questionnaire response. Due to this non-cooperation, the Authority has determined the export price for all the exporters from USA based on the imports reported in the DGCI&S, and adjustments as per facts available under 6(8) of the Rules.

G.6 Determination of dumping margin

44. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined as follows:

Producer	Normal Value/ CNV	Export Price	Dumping Margin		
	(US$/MT)	(US$/MT)	((US$/MT)	(%)	(Range)

PPCL, Thailand	***	***	***	***	10-20
Other exporters from Thailand	***	***	***	***	20-30
All producers/ exporters from USA	***	***	***	***	10-20

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of the Domestic Industry

45. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the injury and causal link:

a. Due to the imposition of ADD by China, countries have shifted their exports to India.

b. In view of the fact that prices of Phenol declined very substantially over the proposed POI despite no or insignificant decline in cost on account of raw material, month-wise analysis during the POI is requested.

c. Demand for the PUC has increased over the injury period.

d. The imports from the subject countries, in absolute terms as well as in relation to production and consumption, first declined and thereafter, increased in the POI.

e. Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry and are depressing the prices of the Domestic Industry.

f. Production, capacity, and capacity utilization of the Domestic Industry have increased with commencement of production by M/s. Deepak Phenolics Ltd.

g. The inventories of the Domestic Industry are piling up.

h. The profitability declined severely over the injury period and the Domestic Industry was in losses during the POI.

i. The PBIT and ROCE were negligible during the POI.

j. Imports are impacting the ability of Domestic Industry to raise capital investment.

k. Imports from subject countries pose a threat of material injury to the Domestic Industry.

l. Exporters in the subject countries have excess and freely disposable capacities and also maintain high export orientation and the producers are dependent on exports to maintain revenues and turnover of their companies. There is a global surplus of capacities with capacity expansions in South Africa, China PR and Thailand.

m. Thailand has imposed restrictions on import of the PUC, thereby closing the market for global exporters, making India a lucrative market.

n. Factors other than dumping are not causing injury to the Domestic Industry.

o. Price undercutting being caused by the dumped imports has led to the decline in selling prices of the Domestic Industry.

p. Despite existence of sufficient demand, the Applicants have to undertake exports at losses.

q. The Applicant submitted that it should be considered that there is no demand supply gap at present as Deepak Phenolics has started production, thereby making available significant material in the domestic market. Imports of about 80,000-100,000 MT is being made under advance license, which will be continued by consumers. Imports under advance licence is exempted from ADD and basic customs duties. The net demand is 2.5-2.6 lacs which the Domestic Industry is well equipped to meet.

r. The Applicants submitted that the decline in raw material prices is not corresponding to the trend of import price decline. The injury was so significant that one of the Applicants were forced to export even below the variable cost. The decline in prices has gone even below raw material costs. The Domestic Industry was forced to reduce its prices due to continued price pressures by imports.

s. Since HOCL suffered injury in 2016-17 and 2017-18 due to other factors than dumped imports, in view of the rules which provide for segregation of such injury, the Applicants considered the unit cost of production, profit/loss, cash flow and return on investment of HOCL in 2016-17 and 2017-18 by considering capacity utilization at 80%. However, for the sake of completeness, the Domestic Industry has provided information with regard to actual profit/loss suffered by the domestic industry during the relevant period. The method of treatment of expenses of HOCL during the two year partial plant shutdown period also is to be considered.

t. The Applicants submitted that price undercutting and injury margin should be determined only considering those import transactions whose landed price of imports is below selling price and NIP of the Domestic Industry. The concern is against injurious imports and not against non-injurious imports. The WTO Report in European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast iron Tube or Pipe Fittings from Brazil has been relied upon by the Applicants for the same. Reference has also been made to Kothari Sugars & Chemicals Limited v. Designated Authority wherein transactions above NIP was allowed for calculation of injury margin.

u. In response to the argument of the Respondents that the Authority must rely on unadjusted data of the Domestic Industry to determine injury, the Applicants submitted that they have objection in relying on unadjusted data to determine injury and segregating injury caused due to HOCL to refute the claims of other interested parties.

v. In response to the argument that separate injury margin is to be determined for bulk and packed phenol and therefore, the Domestic Industry is to provide necessary cost information to determine NIP separately, the Applicants have submitted that separate information including costing information for bulk and packed phenol have been provided.

w. In response to the argument that the data in the Preliminary Findings have been incorrectly indexed, the Applicants have submitted that the indexation has been done as per the established practice of the Authority. Further, the Applicants also submitted that they have not claimed injury with respect to employment, wages and productivity.

x. In response to the argument that there is no volume injury to the Domestic Industry and that its capacity, production and sales increased, the Applicants submitted that since Deepak Phenolics commenced production during the POI, these parameters have improved compared to previous years. The Domestic Industry is selling the product at sub-optimal prices in order to maintain its volumes and sustain in the market.

y. In response to the argument that imports in relation to production and demand declined, the Applicants submitted that since the establishment of a new large scale facility by Deepak Phenolics, significant material have been made available on the market thereby resulting in some fall in imports which is its natural consequence, while previously imports were necessitated due to demand-supply gap in the country. However, imports from subject countries has increased in relation to total imports.

z. In response to the argument that the import prices from subject countries increased and domestic prices decreased more than the cost of sales, the Applicants submitted that the landed price of the imports was below the cost of production in 2016-17 and 2017-18 while the same was much above cost of production in April, 2018 - June 2019. However, the landed price of imports declined below cost of production in the POI. The landed price of imports was below the cost of Domestic Industry which forced it to reduce its prices more than cost decline leading to price depression.

aa. In response to the argument that factors other than dumping is causing injury and that the Authority overlooked non-attributive factors, the Applicants have submitted that the legal requirement is for "a" causal relationship and not "the" causal link between dumped imports and injury.

bb. In response to the argument that Deepak Phenolics suffered injury due to a 14-day plant shutdown, the Applicants have submitted that the planned shutdown was part of the business activity and since the customers preferred dumped imports, DPL was forced to shutdown earlier due to the presence of dumped imports. Further, a 14-day plant shut down cannot refute the claim of material injury to the Domestic Industry for the entire POI.

cc. In response to the arguments regarding injury to HOCL caused due to other factors than dumped imports, the Applicants have submitted that the injury claimed is for the POI while the reports referred to by the interested parties is that of 2018-19. The findings are based on 2016-17 data.

dd. As regards the argument of feed stock prices higher in India, the Applicants have relied upon M/s. Nippon Zeon Co. Ltd., Japan & Others v. Designated Authority, wherein Hon'ble CESTAT has taken the view that while imposing anti-dumping duty the position that has to be considered is not in the context of ideal conditions but in the specific circumstances of the domestic industry.

ee. As regards plant shut downs and consequent decline in production, it was submitted that no injury was claimed injury due to decline in production. Further, the company is not facing any such issues in the period of investigation as is evident from annual report for the POI. In response to the argument of the Respondents that downturn of automotive sector in POI led to decline in demand for foundry resin and that the injury caused by demand-supply fluctuations is not attributable to imports, the Applicants have submitted that decline in demand during POI, has made the Domestic Industry vulnerable. Imports from subject country at dumped prices have aggravated the injury to the already vulnerable domestic industry.

ff. In response to the argument that the petitioner companies' performance has improved in 2018-19 and POI, the Applicants have submitted that the statements in the annual report do not provide any guidance with regard to deterioration in performance over the injury period of an anti-dumping case since the same is being used by interested parties to show injury due to other factors and that there is no injury at the same time. Public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the Domestic Industry.

gg. In response to the arguments of the Respondents that non-injurious transactions cannot be excluded, the Applicants have submitted that opposing parties have not objected the interpretation of the Domestic Industry and rather conceded that it was one of the methods to assess effect of price undercutting.

hh. In response to the argument that 22% ROCE cannot be accepted, the Applicants have submitted that the Authority has a practice to allow 22% return in all situations and, therefore, principles of equity demand that the same is applied to all situations.

ii. In response to the argument that import prices from subject countries is higher than other countries, the Applicants have submitted that imports from other countries are either attracting ADD or at de-minimus levels or are at higher prices. As regards imports from Saudi Arabia, while the imports are more than de-minimus levels, the pattern of imports over the injury period and proposed POI shows that (a) there is significant decline in imports, (b) during POI, imports occurred only in one month. It cannot, therefore, be said that the imports from other countries have also caused injury to the Domestic Industry.

jj. The imports from subject countries are entering the Indian market below cost, which has resulted in price depression and as regards the profitability, the Domestic Industry is suffering losses in the POI due to price depression caused by the dumped imports. While interest and depreciation has increased due to the newly set up DPL plant, the Domestic Industry is unable to earn reasonable return on investment when DPL is excluded.

kk. Volume of imports in relation to total imports have been examined by the Authority consistently in all its findings.

ll. In response to the argument that the safeguard application previously filed by the Domestic Industry is contradictory on parameters of profitability, the Applicants have submitted that the POI is different and in the instant case 2018-19 is not included due to absence of dumped imports. In the safeguard investigation, the Applicant claimed increase in imports from all sources which was causing injury to the Domestic Industry. Dumped imports from US and Thailand and increase in imports from all sources may impact the domestic industry differently.

mm. In response to the argument that there is no causal link between increase in imports and profitability of the Domestic Industry, the Applicants have submitted that injury is due to low priced imports causing price depression and resulting in losses and low return on investments.

nn. In response to the argument on profitability, the Applicants submitted that profits declined in 2017-18 because the landed price of imports were below cost. The profits increased because in the entire injury period, the landed price of imports were above cost only in the period Apr 18-June 19. The landed price of imports again declined below the cost in the POI and resultantly, the Domestic Industry suffered losses.

H.2. Submissions of other interested parties

46. The following submissions have been made by the producer/ exporter/ other interested parties with regard to Injury and causal link are as follows:

a. No reliable evidence has been provided for claim of 12,009 MT of the goods imported in April-May 2019, which were lying in stock in the POI.

b. Domestic Industry had made obscure and inaccurate submissions regarding the import volume in the Safeguard investigation against imports of Phenol into India.

c. The facts available on record reveal that the Applicants have exaggerated the increased import of the subject goods and deliberately invented injury to the Domestic Industry. Any injury allegedly suffered by the Domestic Industry has been caused by factors other than imports from subject countries. During the Oral Hearing, the Domestic Industry had admitted to the fact that HOCL was facing operational constraints during the injury analysis period which was not attributable to dumping and it was requested that such injury was to be adjusted while examining injury to the Domestic Industry in India.

d. The consistent practice of the Authority is to take all import transactions from a country into account for determination of price undercutting, not merely the positive transactions only. As per the submission of Domestic Industry, even if there is one single positive undercutting transaction, the determination should be positive based on the transaction. The Domestic Industry has relied on the WTO Panel Report dated

14th November, 2001 in the case of European Communities – ADD on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil. The claim of the Domestic Industry is incorrect. The European Union did not rely only on undercutting import transactions for determining price undercutting. They calculated the consequence of disregarding non-undercutting sales as well. The difference between the two calculations was marginal and did not affect the determination materially. The same might not be the case in the current investigation and will lead to highly distorted results.

e. The Domestic Industry has also stated that the injury margin should also be determined by taking into account only the injurious transactions, i.e. where the landed value is lower than the NIP. The Domestic Industry has submitted that EU, which also follows the principle of lesser duty rule, determines injury margin after excluding non-injurious export transactions. Since the practice has not been challenged in the WTO, the Authority should also consider only those transactions that are below NIP. The Domestic Industry has made reference to the Hon'ble Tribunal's order in the matter of Kothari Sugars & Chemicals Ltd. Vs. Designated Authority. Just because the practice has not been challenged in the WTO yet, does not automatically make the practice valid. ADD can be levied based on the injury margin if injury margin is lower than the dumping margin. If the Domestic Industry's argument is accepted, there would not be any cases where injury margin would be negative resulting in nil duty for the exporter. Any unwarranted exclusions of transactions from injury margin will directly have an impact on the quantum of ADD. The EU had clarified that the undercutting margin determined by excluding non-injurious imports was also 'one of the methodologies' to assess the effect of price undercutting. The Domestic Industry has incorrectly relied on the decision of Hon'ble Tribunal in Kothari Sugars & Chemicals Ltd. vs. Designated Authority to substantiate its claim. The Hon'ble Tribunal in this case did not lay down any blanket legal proposition or rule that import transactions that are above NIP should be excluded for the purpose of injury margin calculation.

f. There is no increase in imports from subject countries in absolute terms or relative to consumption or production in India. In the face of the huge increase in production by the Domestic Industry, the subject imports are insignificant in nature. The Domestic Industry has claimed that the USA, EU, Korea RP, Japan and Thailand diverted their exports from China PR to India after the imposition of a provisional ADD by China PR in May 2019. However, data indicates that imports have reduced after May 2019. The imposition of a provisional ADD by China PR has clearly not affected the imports coming into India. Further, the determination made by the Chinese investigating authority pertains to a different POI and therefore, the same cannot be relied upon for making any determination in the present investigation.

g. Price undercutting from the subject imports was negative for April, 2018-June 19(A) and POI(A) in the case of imports from the USA, which negates any claim made on price effect. Further, the import price has moved in consonance with the cost of sales of the Domestic Industry.

h. The domestic selling price has moved commensurately with the shift in cost of sales. No claim of price suppression or depression can be made by the Domestic Industry on this count.

i. An analysis of relevant economic parameters shows that the Domestic Industry has shown improvement in the performance in almost all relevant economic parameters including capacity, production, sales and market share as seen from the updated application, Annual Reports and Preliminary Findings.

j. The Domestic Industry has rapidly been increasing its market share over the injury period, despite the rise in demand.

k. Deepak Phenolics Ltd. alone holds around 55% of the share in a market. It is obvious that the share of subject imports in the market would be insignificant in nature.

l. The Domestic Industry has faced no injury in terms of employees, wages and productivity per day.

m. The profitability of the Domestic Industry in the POI is not affected by the domestic sales, but by the high interest and depreciation costs incurred by it.

n. Injury, if any, caused to Deepak Phenolics Ltd. is due to start-up difficulties resulting from delay in commencement of commercial production and unfair pricing policy.

o. There is no mention of 'dumped imports' in the report presented by Deepak Phenolics Ltd. in its investor communication.

p. The absence of co-relation between import volume and profit parameter of the Domestic Industry shows that there is no causal link between imports and injury to the Domestic Industry.

q. There are strong prima facie reasons to believe that the data furnished by the Applicants is not validated with the actuals on the published final accounts in the terms of the Balance Sheet in order to validate the claim on NIP, injury and alleged dumping.

r. One of the producers in India is known to have been exporting its Phenol at price below US$ 750 in recent times and yet claims injury from imports into India on a comparable or similar price added with the protection of Basic Customs Duty.

s. There must be a transparent determination of NIP based on at least one key raw-material pricing, i.e. Benzene. The present methodology employed by the Applicants skews the NIP in favour of the domestic producers and destructs the consumer industries. International prices of Benzene and Polypropylene are volatile and are falling at all time low levels.

t. The methodology employed by the Authority by way of a reference price converted in US$ or fixed ADD are both inappropriate distortions of Rule 17(1)(b).

u. The Applicant has not provided supporting evidence with regard to the free disposable capacities in exporting countries.

v. The Annual Report of M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. indicates high interest, depreciation and employee wages cost as cause of injury. The Report has acknowledged that the company achieved record production for Phenol and that feed stock prices are higher in India compared to other exporting countries and the Indian producers are at competitive disadvantages due to higher overhead costs.

w. The consistent practice of the Authority is to analyse the Post-POI data for threat of material injury claims. However, latest information of M/s. Deepak Phenolics Ltd. shows no threat of material injury. The results for the last quarter of 2019-20 as per the Audited Financial Report for M/s. Deepak Nitrite Ltd. show 33% rise in PBIT from 40.5 Crores to 63.60 Crores. Year on year comparison shows PBIT and Revenue have become almost double in 2019-20 as compared to 2018-19. For M/s. Deepak Phenolics Ltd., the overall sales revenue of the company increased by 23% from Q2 to Q3 and overall profit has increased significantly from Q2 to Q4 showing no threat of Material injury. Recent import data also shows a declining trend in the import volumes for 2018-19 compared to annualized figures for April, 2019 to January, 2020. It is mandatory for the Authority to consider existence of all the factors enumerated for the purposes of concluding threat of material injury/likelihood.

x. The method of adjustment with regard to injury considering Hindustan Organics Chemicals Ltd.'s capacity utilization at 80%, provided by the Applicants is non-transparent and appears to be deliberately obfuscated to prevent the interested parties from commenting meaningfully.

y. The Authority has also noted the problem faced by Hindustan Organics Chemicals Ltd. on account of availability of raw material in an anti-dumping investigation on imports of Acetone from Japan and Thailand.

z. If the only remaining Domestic Industry member is Deepak Phenolics Ltd., then it should have made an allegation on material retardation rather than material injury.

aa. No reason has been provided for adjusting the data for only 2016-17 and 2017-18 as opposed to the entire injury period. To show inflated injury, the Applicants have tried to present combined figures and taken a base year of 2016-17 even though they have readily acknowledged that the injury suffered by other Domestic Industry members is on account of extraneous factors.

bb. While the volume of imports from Thailand has decreased, the profitability of the Domestic Industry has also decreased. The volume of imports from Thailand has not adversely affected the profitability of the Applicants.

cc. Owing to the strong sales and profitability performance, the claims with regards to inventories are unsubstantiated.

dd. A mandatory BIS certification requirement, as notified by the Government, will act as a deterrence with respect to increased imports in the foreseeable future.

ee. The Applicants experienced their largest decline in profitability in April–June, 2019, a period in which the price undercutting for Thailand was negative. Thus, no evidence that price undercutting from Thailand can be linked to the Applicants' significant drop in profits.

ff. The Authority should scrutinize the poor performance of M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. and find that any alleged injury suffered by M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. is a consequence of their own continued inefficiencies and not attributable to the subject imports.

gg. There is a break in causal link between alleged undercutting and performance of the Domestic Industry. Also, the Applicants have failed to provide any reasoning beyond mere conjecture that the import restrictions from Thailand will lead to more imports being directed to India.

hh. Continued injury of the Indian industry despite the presence of duties, indicates that any injury suffered by the Domestic Industry must be due to extraneous factors.

ii. The reason for the increase of imports from subject countries from 2016 to 2019 is not dumping, but the growth of the Indian market demands following development of downstream industry.

jj. The facts of the case as emerged in the Preliminary Findings show that the case warranted no duty as the gap between NIP and Landed price is very negligible and any material injury has been totally absent. But the Authority opted benchmark duty so that the price of Phenol at the time of import is fixed at a very high level which is highly arbitrary and has gone against the fair market principles of demand and supply. The Authority is requested to review the form of duty adopted in the Preliminary Findings. The users are still compelled to import the PUC as the capacity in India falls significantly short of demand and bench mark duty is highly inappropriate in such a scenario.

kk. DPL is the key producer of Phenol in India now and though the company started production of Phenol in the last year, it has already reached high levels of profits. HOCL had historically been suffering losses for its inherent issues and been added to the present case to show some inferior financial situation, which is not the real situation of Phenol industry in India. Thus, none of the injury parameters shows any material having been suffered by the DI on account of imports of subject goods from subject countries.

ll. NIP of the Domestic Industry must be considered in INR and NIP, Normal Value and Export Price must be disclosed if ADD is recommended on reference price basis. If the NIP of the Domestic Industry is assumed in USD, then it would result in a situation where the ADD payable by the Indian importer today would be higher than the NIP calculated on the basis of exchange rate which was assumed at INR 71.67 per USD for the POI. NIP in Indian currency should be published in order to enable customs officer to make proper assessment of appropriate ADD.

mm. NIP has been determined without proper verification or validation of costs actually incurred by the Applicants as required by law.

nn. Causal link is bogus as domestic producers are able to sell its entire product easily at remunerative prices.

oo. While assessing the volume effect of dumped imports, the Authority is supposed to consider whether there has been a 'significant' increase in the volume of dumped imports, either in absolute terms or in relation to production and consumption in India. A mere increase in the volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India is not sufficient to arrive at a finding that volume effect of dumped imports exist. Similarly, with respect to the price parameters also, the price undercutting needs to be significant or in the alternative, it must be shown that the prices of imports have had a suppressing or depressing effects on the selling prices of the Domestic Industry.

pp. The Domestic Industry has claimed that after China imposed ADD on inter-alia USA and Thailand, these countries have diverted their exports to India. However, there is a decline in imports from the subject countries rather than an increase.

qq. Neither the Authority in its Preliminary Findings, nor the Domestic Industry in their application has explained why or how prices were suppressed and depressed due to imports from the subject countries and not to imports from other countries when the latter was entering the country at prices which were considerably lower than from the subject countries.

rr. In the Preliminary Findings, the Authority concluded about the Domestic Industry's material injury that the volume of imports from subject countries has increased in relation to total imports. However, an increase in volume of imports in relation to total imports is not a relevant economic factor pertaining to the condition of the Domestic Industry and there is no correlation between the two whatsoever.

ss. The Authority has not explained how imports from other countries which were at lower prices than the subject imports were not the cause of the alleged price suppression and depression and neither has injury caused by such other imports been segregated from the impact of the subject imports.

tt. The method of 'adjustment' adopted by the Domestic Industry for calculation of imports is unclear, non-transparent and has led to double counting. As per the methodology, imports should have decreased for POI, but instead increased substantially. The consistent practice of the Authority is to rely on DGCI&S and DGS data in trade remedy investigations. If the argument of adjustment is accepted, the problem would arise in every investigation.

uu. The Authority is required to examine factors other than the dumped imports, which at the same time are injuring the Domestic Industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. However, in the present case, the Authority instead of excluding such injury to HOCL

from being attributed to the subject imports has sought to modify the performance parameters of HOCL by considering the capacity utilization achieved in the POI, in respect of profits, cash profits and return on investments. This is not what is prescribed under the law. The Authority cannot arbitrarily choose to evaluate the performance of HOCL considering the capacity utilization level achieved in the POI. There are no reasons justifying such an adjustment other than the fact that it helps the Domestic Industry demonstrate a steeper decline in injury parameters.

vv. The Authority has failed to also explain its reasons for making any adjustment to the data of the Domestic Industry and has failed to explain the methodology adopted with respect to adjustment for HOCL. The Authority is requested to firstly rely upon the unadjusted data of the Domestic Industry for the determination of injury. Either unadjusted data is to be relied upon or exact methodology has to be clarified. The Respondents have referred to Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority and Ors. wherein it was held that absence of reasoning by the Designated Authority affects the right to appeal.

ww. The Authority has considered all domestic sales of PPCL as bulk/loose form of phenol as specified in the Preliminary Findings. It is submitted that the domestic sales of the PUC made by PPCL are in both bulk and packed form. In this regard, the PPCL would like to clarify that transaction reflected as "truck" under column Form of Sales in Appendix 4A are in fact "packed" phenol sales, whereas transactions referred to as "pipeline" are in fact, "bulk/loose" phenol sales. In view of the difference in prices between bulk and packed phenol, the Authority is requested to make necessary adjustments to enable a fair comparison of domestic prices of subject countries with export prices to India. The exporters have already provided an appropriate adjustment, which appears to have been taken into consideration by the Authority.

xx. The exporters submit that a separate injury and dumping margin is determined for bulk and packed sales in line with the previous practice of the Authority. Based on the data placed on record, it appears that the Applicants have not furnished their cost information separately for bulk and packed despite acknowledging differences in the prices. The Authority is requested to direct the Domestic Industry to provide the relevant information to determine NIP separately for bulk and packed sales of the PUC and calculate separate NIPs for bulk and packed sales.

yy. There is no volume injury to the Domestic Industry on account of imports from subject countries. The increase in the domestic sales of the Domestic Industry has clearly outpaced the demand of the subject goods in the country demonstrating a lack of volume injury to the Domestic Industry. There is no injury suffered by the Domestic Industry on account of the volume of imports from the subject countries. The Net Sales Realization of the Domestic Industry is largely in line with the import prices indicating the lack of price undercutting by the imports from the subject countries. Prices are neither suppressed nor depressed on account of imports from the subject countries.

zz. The Preliminary Findings issued by the Authority concluded that Domestic Industry is facing injury without comprehensively considering factors other than dumped imports that may have contributed to the alleged injury, if any, caused to the Domestic Industry. It appears that non-attributive factors put forth by Exporters in its Preliminary Submissions have been overlooked by the Authority.

aaa. HOCL has acknowledged in its annual report for FY 2018-19 that feed stock prices are higher in India compared to other exporting countries and the Indian producers are at competitive disadvantages due to such higher overhead costs. With higher raw material prices, there is bound to be an adverse impact on price suppression / depression as well as the non-injurious price calculation. The above extract is therefore an inadvertent admission by HOCL that price injury is not on account of imports but on account of inherent problems such as availability of raw materials at competitive price and their inability to control the overheads costs.

bbb. The Authority is requested to scrutinize the poor performance of HOCL and find that any alleged injury suffered by HOCL is a consequence of their own continued inefficiencies and not attributable to the subject imports.

ccc. An assessment of SI Group's financial statements revealed that during the injury period revenue of Phenol increased.

ddd. There is no adverse price effect caused by the subject imports.

eee. Exclusion of non-injurious transactions is contradictory to the past practices of the Authority. The Respondents have referred to Anti-Dumping Investigation concerning imports of Caustic Soda originating in and exported from Japan and Qatar wherein the argument was rejected on the ground that undercutting is to be calculated considering DGCI&S data and not selected transactions. Further, zeroing is unreasonable and violation of AD Agreement as has been held by the WTO Body in EC – Bed Linen.

fff. The data provided in the Preliminary Findings in terms of injury analysis do not correspond to the adjusted or the unadjusted data provided in the updated petition filed by the Applicants on 17th April, 2020. This is evident because the Authority has admittedly considered the capacity utilization achieved in the POI as stated in paragraph 51 of the Preliminary Findings.

ggg. The Authority has not taken into consideration arguments relating to exclusion of non-injurious price imports to determine injury margin, improvement in economic parameters of the DI and threat of material injury.

hhh. Data for POI and POI (A) in the Preliminary Findings have been incorrectly indexed. The indexed values for POI and POI (A) are the same for employment, wages and productivity. Profitability, cash profits and ROCE have also been incorrectly indexed.

iii. There is no volume injury to the Domestic Industry. The sales of the Domestic Industry has increased by 472% in POI (A) while demand for PUC has increased only by 14%. The imports from subject countries declined by 21 indexed points and 27 indexed points when compared to previous year of Apr'18-Jun-19(A). Capacity, production and domestic sales of DI has increased significantly.

jjj. Imports in relation to production and demand declined by 220% and 12% respectively.

kkk. Net Sales Realization of Domestic Industry is in line with import prices. Negative price undercutting for USA with landed price of 72,085 MT and positive for Thailand with landed price 69,574 MT and price difference is a mere 3.5%, the price undercutting to the Domestic Industry can be deduced to be insignificant for imports from Thailand.

lll. Import prices from subject countries has increased by 8 indexed points and Domestic Industry prices have decreased by 13 points while cost of sales decreased only by 4 points. There is no price suppression or depression to the domestic industry due to imports but due to some other reasons perhaps its own policies and pricing mechanism.

mmm. Deepak Phenolics suffered injury due to temporary 14-day plant shutdown as mentioned in the Investor Communication for second quarter of FY 2020 due to which there was a decline in revenue and EBITDA.

nnn. Price injury to HOCL is due to inherent problems such as availability of raw materials at competitive price, inability to control overhead costs and lack of modernization of facilities. Annual Reports of HOCL state that the company has shortage of working capital due to continuous loss and non-availability of working capital finance. Further, the Annual Report for FY 2019-20 state that there was a decrease in production due to 48 day shutdown and 8 days due to shortage of benzene and a 7 day lockdown. The Domestic Industry should demonstrate how the issues in the Reports have been accounted for in the POI.

ooo. HOCL declared a sick unit and Rashyani Unit shut down since 2013. The production at Cochi unit suspended since Mid-2015 due to working capital problems.

ppp. There was improvement in performance during 2018-19 and the POI in reference to HOCL and DPL Annual report 2018-19. SI group's financial statements show increase in revenue of Phenol during the injury period by 6 points in 2018-19.

qqq. There is no threat of material injury as the imports from subject countries have decreased and there is no likelihood of increase, the Domestic Industry did not provide any verifiable evidence of capacities and inventories in subject countries, there is a break in causal link between undercutting and performance of domestic industry and no reasoning by the Domestic Industry as to import restrictions from Thailand will increase imports into India.

rrr. The assumption of 22% as reasonable ROCE is not justified.

sss. The 22% ROCE was adopted at a time when the bank rate of interest (PLR) was 18% but it is substantially lower now (7-10%). The 22% predetermined and fixed rate is no more "reasonable" as per the Anti-Dumping Agreement. In present case, funds are borrowed overseas at 2.5% LIBOR, bank borrowing in India are at 7% to 10%. Currency fluctuation is capitalized and depreciation is claimed. It should be decided on a case to case basis taking into consideration the real costs of finance and investment in any business.

ttt. The Authority must assess whether the 15 economic factors show an actual or potential decline. Furthermore, mere decline of the economic parameters in Para (iv) without the conditions of Para (ii) being present cannot result in a finding of injury.

uuu. Unlike as stated in the Preliminary Findings, the capacity of the Domestic Industry is not a requirement under law for the volume effect analysis. Volume of subject imports in total imports cannot show volume effect as it has no impact on Domestic Industry.

vvv. The Applicants have not provided any evidence for their claim on warehousing of imports. If at all true, then even imports in POI would be warehoused and not consumed. The methodology should hence be rejected.

www. The import price of the subject countries is higher than imports from other countries, whether attracting ADD or not. Imports from other countries which constitute 31.48% of total imports into India are coming in at prices which are considerably lower than the subject countries. No explanation provided as to why price depression or suppression is due to subject imports and not other imports.

xxx. Even if transaction-by-transaction import prices are to be considered in making a price undercutting analysis, the Domestic Industry's selling prices must also be considered on a transaction-to-transaction basis which are similar in point of time to the imports being compared. Fair comparison has to be ensured.

yyy. In the instant case, the DI has not provided any facts on how individual transactions of price undercutting in proximate time had the potential of affecting the prices of the subject goods in the market as a whole. CESTAT decision in Kothari Sugars & Chemicals Limited versus Designated Authority is unreliable since Korea- Pneumatic Valves was not taken into consideration.

zzz. The profitability in the POI was affected by the depreciation costs incurred rather than price suppressing or depressing effects of imports from the subject countries. Any adverse effect on profitability may be attributed to other lower priced imports.

aaaa. Increase in volume of imports in relation to total imports is not a relevant economic factor pertaining to the condition of the Domestic Industry and there is no correlation between the two whatsoever.

bbbb. The Authority is requested to examine the effect of crack spread on the pricing of the subject goods in India.

cccc. The safeguard application filed by the same Applicants on 27th August, 2019 contradicts with the AD application on parameters related to profitability.

dddd. There is no causal link between imports and performance of domestic industry in terms of profits as volume of imports in 2018-19 was highest at 123,727 MT and DI made highest profits in 2018-19. Import volume was also lower in POI (A) than in 2018-19 and DI's PBIT had fallen. There is no coincidence between increase in imports and profitability of DI. Reference has been made to safeguard Investigation concerning Uncoated Copy Paper.

eeee. Recovery in profits in not on account of anti-dumping duties and a fall during 6 months is not a reasonable ground to invoke anti-dumping duties.

ffff. The gap between NIP and landed price is negligible and material injury is absent.

gggg. The Preliminary Findings show that profitability of DI moved from 100 to 567 in the previous year and declined to -61 in the POI, while the petitions shows profitability has moved from 100 to 245 in previous year and declined to -61 in the POI, showing significant fluctuation.

hhhh. Injury margin for Thailand is insignificant (0-10%).

iiii. The Authority should call for import data made under Advanced License and the duty for such imports not to be payable by the users.

H.3. Examination by the Authority

47. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

H.3.1 <u>Cumulative assessment</u>

48. Annexure-II para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and

b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

49. The Authority notes that:

    a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

    b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

    c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the Domestic Industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst the subject countries.

50. As regards the issue of cumulative assessment in terms of para (iii) of the Annexure-II of the Rules, it is noted that the imports from subject countries fully satisfy the criteria of para (iii) of the Annexure-II. Therefore, the contention of the other interested parties about cumulative assessment are not correct.

51. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the Domestic Industry.

52. Rule 11 of the Rules, read with Annexure II, provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, "… taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

53. With regard to import volumes and prices, the Authority has relied upon the import information of DGCI&S and information provided by the cooperating producers and exporters from Thailand.

54. As per the consistent practice of the Authority, all import transactions have been taken into account for determination of price undercutting and for determining injury margin.

55. The Authority notes that M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. had very low production in 2016-17 and 2017-18. The company admitted that this was due to working capital problems faced by the company. The Authority considers that the reasons for low production by the company during this period were not attributable to dumping in the country and were due to "other factors". The Authority has, therefore, evaluated the performance of Hindustan Organics Chemicals Ltd. in respect of profits, cash profits and return on investments, considering the capacity utilization achieved in the POI.

56. With respect to the issue raised that the data furnished by the Applicants is not validated with the actuals on the published final accounts in the terms of the Balance Sheet, and the same should not validate the claim on NIP, injury and alleged dumping, it is noted that the Authority has examined the information furnished by the domestic Iindustry which has been verified and accepted, and the information submitted by the producers and exporters for normal values and export price have also been verified and accepted. It may be added that desk verifications of information submitted by interested parties have been made due to the present COVID-19 situation.

57. As regards the argument that NIP is required to be calculated in INR, it is noted that it is a consistent practice of the Authority to calculate the NIP in INR. However, while comparing the same with the landed price, NIP is converted in USD. This is consistent with the Hon'ble CESTAT order in the matter of Pig Iron Mfrs. Asscn. Versus Designated Authority, Min. of Commerce, wherein CESTAT held that anti-dumping duty should be fixed in dollar terms so that erosion of the quantum of protection does not take place on account of changes in the exchange rate

58. With respect to the argument that the method of 'adjustment' adopted by the Domestic Industry for calculation of imports is unclear, non-transparent and has led to double counting, it is noted that volume of import of subject goods and its prices have been determined from DGCI&S data, and information furnished by the producer and exporters from subject countries.

59. As regards the submission that alleged injury to the Domestic Industry is due to other reasons and there is no injury as per statements in annual reports of the constituents of the Domestic Industry, the Authority notes

that the injury analysis carried out hereunder is self-explanatory to establish that the dumping from subject countries has caused injury to the Domestic Industry.

60. As regards the submission of the interested parties that 22% returns on capital employed is not acceptable, the Authority notes that such is the consistent practice of the Authority in all previous investigations conducted.

61. All other submissions of all interested parties with regard to injury analysis have been addressed in the following paragraphs.

H.3.2 Volume effect of dumped imports on Domestic Industry

a) **Assessment of demand**

62. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand for the product in India as the sum of domestic sales of Indian Producers and imports from all sources.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Sales of Domestic Industry	MT	42,604	53,129	193,675	154,940	121,821	243,642
Trend	Indexed	100	125	364	364	572	572
Subject imports	MT	110,557	108,800	146,446	117,157	43,705	87,410
Trend	Indexed	100	98	106	106	79	79
Imports attracting ADD	MT	98,657	105,275	68,332	54,665	17,283	34,566
Trend	Indexed	100	107	55	55	35	35
Other Countries imports	MT	72,660	74,011	57,028	45,623	2,825	5,650
Trend	Indexed	100	102	63	63	8	8
Total Demand	MT	324,477	341,215	465,481	372,385	185,634	371,268
Trend	Indexed	100	105	115	115	114	114

63. It is seen that the demand for the subject good has consistently increased during the injury period, with a marginal decline in the POI. The overall demand of subject goods has increased during the POI.

b) **Import Volumes from the subject countries**

64. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been an increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Subject Countries	MT	1,10,557	1,08,800	1,46,446	1,17,157	43,705	87,410
Trend	Indexed	100	98	106	106	79	79
Thailand	MT	57,688	87,568	96,022	76,818	30,749	61,498
Trend	Indexed	100	152	133	133	107	107
U S A	MT	52,869	21,232	50,424	40,339	12,956	25,912
Trend	Indexed	100	40	76	76	49	49
Countries attracting ADD	MT	98,657	1,05,275	68,332	54,665	17,283	34,566
Trend	Indexed	100	107	55	55	35	35

Others	MT	72,660	74,011	57,028	45,623	2,825	5,650
Trend	Indexed	100	102	63	63	8	8
Total Imports	MT	2,81,874	2,88,087	2,71,806	2,17,445	63,813	1,27,626
Trend	Indexed	100	102	77	77	45	45
Subject Imports in relation to							
Total imports	%	39	38	54	54	68	68
Trend	Indexed	100	96	137	137	175	175
Indian Production	%	254	203	72	72	34	34
Trend	Indexed	100	80	28	28	13	13
Indian Demand	MT	34	32	31	31	24	24
Trend	Indexed	100	94	92	92	69	69

65. The following is observed:

a. Compared to the base year, overall volume of subject imports has declined in absolute terms and in relation to production and consumption in the country in the POI. The Domestic Industry submitted that this decline in imports was a natural consequence of addition of capacity to the extent of 54% of Indian demand. The Authority considers that the decline in overall imports was a natural consequence of such an increase in capacities in the country in a situation where there was a demand-supply gap in the country. As against the established demand of 3.71 lacs MT during the present POI, the installed capacity for the product in the country before commencement of production by Deepak Phenolics Ltd. was only 76,750 MT.

b. The volume of subject imports has increased in relation to total imports in India. Whereas the subject imports constituted below 40% of total imports in India in 2016-17 and 2017-18, its share increased to 54% in April, 2018-June, 2019 period and further to 68% in the present POI. Imports from subject countries, thus, constitute the majority of the imports in India.

c. However, the volume of imports of subject goods from subject countries declined in relation to production and consumption in the country.

H.3.2 <u>Price effect of the dumped imports</u>

66. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the NIP of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a) **Price undercutting**

67. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries.

Particulars	**Unit**	**2016-17**	**2017-18**	**April, 2018-June, 2019**		**POI**	
Subject Countries				**Actual**	**Annualised**	**Actual**	**Annualised**
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87
Landed Price	Rs./MT	65,223	72,599	99,262	99,262	70,318	70,318
Trend	Indexed	100	111	152	152	108	108
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	***	***	***	***	***	***

Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-30	20-30	(10)-0	(10)-0	0-10	0-10
Thailand							
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87
Landed Price	Rs./MT	69,264	73,139	1,01,345	1,01,345	69,574	69,574
Trend	Indexed	100	106	146	146	100	100
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	20-30	(10)-0	(10)-10	0-10	0-10
USA							
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87
Landed Price	Rs./MT	60,813	70,371	95,295	95,295	72,085	72,085
Trend	Indexed	100	116	157	157	119	119
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	30-40	20-30	(10)-0	(10)-0	(10)-0	(10)-0

68. It is seen that the imports from subject countries are entering at a price below the domestic selling price of the Domestic Industry, resulting in positive price undercutting.

b) **Price suppression and depression**

69. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period. The table below shows factual position:

Particulars	**Unit**	**2016-17**	**2017-18**	**April, 2018-June, 2019**		**POI**	
				Actual	**Annualised**	**Actual**	**Annualised**
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	113	113	96	96
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87
Landed price	Rs./MT	65,223	72,599	99,262	99,262	70,318	70,318
Trend	Indexed	100	111	152	152	108	108

70. It is seen that whereas the cost of sales & selling price of the Domestic Industry and landed price of imports increased till April, 2018-June, 2019, the same declined thereafter. However, the decline in selling price and landed price of imports was far more than the decline in cost of sales resulting in price suppression. It is also noted while the landed price of the imports were below the cost of production in 2016-17 and 2017-18, the same were much above cost of production in April, 2018-June, 2019. However, the landed price of imports declined below cost of production in the POI. It is thus noted that subject imports are depressing the prices of the Domestic Industry in the market.

c) **Price Underselling**

71. The Authority has also examined price underselling suffered by the Domestic Industry on account of dumped imports from the subject country. For this purpose, the NIP determined based on average NIP for the Domestic Industry has been compared with the landed price of imports as obtained from the DGCI&S import data.

72. It is noted that the landed price of imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry. The Authority notes that the Domestic Industry has suffered price underselling during POI due to dumped imports of the subject goods from the subject country.

Particulars	**Thailand**		**USA**	
	Rs./MT	USD/MT	Rs./MT	USD/MT
Landed Value	69,577.95	970.81	72,089.27	1,005.85
NIP	***	***	***	***
Price Underselling Margin	***	***	***	***
Price Underselling (%)	***		***	
Price Underselling (Range in %)	0-10		(10)-0	

H.3.3 <u>Economic parameters of the Domestic Industry</u>

73. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed below

74. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

i. **Production, capacity, capacity utilization and sales**

75. The capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**Unit**	**2016-17**	**2017-18**	**April, 2018-June, 2019**		**POI**	
				Actual	**Annualised**	**Actual**	**Annualised**
Capacity	MT	76,750	76,750	3,45,938	2,76,750	2,76,750	2,76,750
Trend	Indexed	100	100	361	361	361	361
Production	MT	43,524	53,490	2,02,461	1,61,969	1,29,280	2,58,560
Trend	Indexed	100	123	372	372	594	594
Capacity Utilization	%	57	70	88	88	93	93
Trend	Indexed	100	123	156	156	165	165
Domestic Sales	MT	42,604	53,129	193,675	154,940	121,821	243,642
Trend	Indexed	100	125	364	364	572	572

76. The installed capacity with the Domestic Industry increased over the injury period. This is due to the setting up of a new plant with an installed capacity of 2,00,000 MT for phenol and 1,20,000 MT for Acetone by Deepak Phenolics at a gross investment of Rs. 1,200 crores. The plant commenced commercial production in November, 2018. The installed capacity in the Country were 76,750 MT against demand of more than 3 lacs. The Domestic Industry submitted that this investment was justified considering the demand-supply gap for the product in the Country.

77. As a result of setting up of fresh capacity, production and sales of the Domestic Industry has increased over the injury period.

ii. **Market share in Demand**

78. Market share of the Domestic Industry is shown in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Domestic Industry	%	13.13	15.57	41.61	41.61	65.62	65.62
Trend	Indexed	100	119	317	317	500	500
Subject Countries	%	34.07	31.89	31.46	31.46	23.54	23.54
Trend	Indexed	100	94	92	92	69	69
Countries attracting ADD	%	30.40	30.85	14.68	14.68	9.31	9.31
Trend	Indexed	100	101	48	48	31	31
Other countries	%	22.39	21.69	12.25	12.25	1.52	1.52
Trend	Indexed	100	97	55	55	7	7
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

79. The following is noted:

a. The Domestic Industry had a meagre market share earlier. The same was due to the absence of production capacities in the country and curtailment of production by Hindustan Organics Chemicals Ltd. due to working capital shortage.

b. With Hindustan Organics Chemicals Ltd.'s production resuming to reasonable levels and Deepak Phenolics Ltd. commencing production in its new plant, the sales of the Domestic Industry increased. Consequently, the market share of the Domestic Industry increased over the injury period.

c. Whereas market share of imports from various sources declined over the injury period, as far as subject countries are concerned, the market share declined in April-June, 2019 and increased thereafter in the POI.

d. The Domestic Industry has contended that the increase in the market share should also be seen along with the fact of addition of new capacities, and the price at which the Domestic Industry is selling the product.

iii. **Inventories**

80. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Opening	MT	***	***	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	340	340	556	556
Inventory as no of days production	Days	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	91	91	94	94
Inventory as no of days sales	Days	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	93	93	91	91

81. It is seen that the average inventories with the Domestic Industry have increased over the period.

iv. **Profitability, cash profits and return on capital employed**

82. Profitability, cash profits and return on investment of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	113	113	96	96
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87
Profit per unit	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	120	120	(8)	(8)
Total Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	567	567	(61)	(61)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	776	621	127	127
Profit before Interest	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	450	360	159	159
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	25	25	13	13

83. It is seen that:

a. The Domestic Industry was earning profits up to April, 2018-June, 2019. While profit per unit increased in April, 2018-June, 2019, the same declined thereafter to such an extent that the Domestic Industry suffered financial losses in POI.

b. Cash profit, Profit before interest and return on capital employed followed the same trend as that of profits. Cash profits, PBIT and return on investment increased in April, 2018-June, 2019 and declined thereafter till the POI.

c. The Domestic Industry contended that the deterioration in performance of the Domestic Industry was continuous throughout the investigation period. It is noted that profits, cash profits and return on investments have declined during the injury period.

v. **Employment, wages and productivity**

84. Employment, wages and productivity of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	173	173	183	183
Salaries & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	188	188	223	223
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	372	372	594	594

85. It is seen that performance of the Domestic Industry has improved in respect of employment, wages and productivity. The Domestic Industry submitted that these parameters are not relevant to show the impact of dumping on the Domestic Industry.

vi. **Growth**

86. The growth of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as given in the table below:

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**April, 2018-June, 2019 (A)**	**POI**
Production	Y/Y	23	203	60
Domestic Sales	Y/Y	25	192	57
Capacity Utilisation	Y/Y	23	27	6
Average Inventory	Y/Y	10	210	64
Market share of Domestic Industry	Y/Y	19	167	58
Profit/Loss	Y/Y	(10)	526	(111)
Cash Profit	Y/Y	(12)	606	(79)
PBIT	Y/Y	(3)	273	(56)
Return on Capital Employed	Y/Y	(20)	(68)	(51)

87. It is seen that the growth of the Domestic Industry was positive in respect of volume parameters (production and sales) and negative in respect of price parameters (cost of sales, selling price, profits, and return on investment).

vii. **Magnitude of Dumping Margin**

88. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive in the investigation period.

viii. **Ability to raise capital investment**

89. Significant investment was recently made in the PUC. The Domestic Industry is suffering financial losses in the POI. With the competition being faced by the Domestic Industry because of dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment. The Domestic Industry is a multi-product company and, therefore, the ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the product alone.

ix. **Factors affecting domestic prices**

90. Import prices are directly affecting the prices of the Domestic Industry in the market. It is noted that the landed value of the subject goods from subject countries is not only below its net selling price but also below the NIP of the Domestic Industry. Further, the landed prices of subject imports have depressed the prices of the Domestic Industry leading to financial losses. The imports of subject goods from third countries are either attracting ADD or are de-minimis or are at higher prices. Dumped imports are impacting the prices of the product in the market. Thus, it is concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

H.3.4. Injury Margin

91. The Authority has determined the NIP for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the Domestic Industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the Domestic Industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

92. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

93. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Country	Name of Producers/ Exporters	Non-Injurious Price (US$/MT)	Landed Value (US$/MT)	Injury Margin US$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
Thailand	PTT Phenol Company Limited	***	***	***	***	0-10
Thailand	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	0-10
USA	All Producers and Exporters	***	1,005.85	***	***	(10)-0

H.3.5 Conclusion on Injury

94. The examination of the imports of the subject product and performance of Domestic Industry shows that:

a. The volume of imports from subject countries has increased in relation to total imports.

b. The imports from subject countries are undercutting the prices of the Domestic Industry and the price underselling is also positive.

c. Though both the selling price and cost of sales have declined during the injury period, the decline in selling price and landed price of imports was far more than the decline in cost of sales resulting in price suppression.

d. The imports from subject countries have depressed the prices of the Domestic Industry.

e. Though the production, sales and capacity utilization has increased over the injury period, the performance of the Domestic Industry has deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The Domestic Industry has suffered financial losses in the period of investigation. On the basis of above, it is concluded that the domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports from subject countries.

I. **Causal Link & Non Attribution Analysis**

95. Under Section 9A (5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the PUC during the review investigation period or not. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry:

a. **Volume and value of Imports not sold at dumped prices**

96. The imports from other countries are either attracting ADD or are de-minimus or are at higher prices. While volume of imports from Saudi Arabia are more than negligible, the pattern of imports over the injury period, and POI show that there is a decline in imports, and during POI, imports occurred only in one month. Thus, imports from other countries do not appear to have caused injury to the Domestic Industry.

b. **Contraction in demand**

97. The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand of the subject goods in the country has consistently grown throughout the injury period. Thus, the Domestic Industry has not suffered any injury on this account.

c. **Changes in Pattern of consumption**

98. There have been no material changes in the pattern of consumption of the PUC. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the Domestic Industry.

d. **Conditions of Competition and Trade Restrictive Practices**

99. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the Domestic Industry.

e. **Developments in Technology**

100. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

f. **Productivity**

101. The Authority notes that the productivity of the Domestic Industry has increased over the injury period. Therefore, the Domestic Industry has not suffered injury on this account.

g. **Export Performance of the Domestic Industry**

102. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the Domestic Industry.

h. **Performance of Other Products of the Company**

103. The Domestic Industry has provided the injury data of PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the Domestic Industry.

J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

J.1. Views of the Domestic Industry

104. The following submissions have been made by the Domestic Industry on the Disclosure Statement:

a. There are continuous arrivals of low cost, unwarranted, high volumes of imports from the subject countries to the tune of 75,000 MT – 80,000 MT annually from Thailand and 45,000 MT – 50,000 MT from USA annually as well as during the POI.

b. The imports from subject countries are entering at a price far below the domestic selling price of HOCL which resulted in price suppression and had to suffer heavily on margins which caused material injury to HOCL.

c. The Domestic Industry submits it has not received the legal submissions submitted by M/s. Cedar Décor Pvt. Ltd., M/s Cent Ply, M/s. DCM Shriram Industries Ltd., M/s. Hwatsi Chemical Pvt. Ltd., M/s. Supriya Lifescience Ltd., M/s Tradex Corporation and as a result, the Domestic Industry has not been able to offer comments on these submissions.

d. There is no bar in considering 15 months as preceding period.

e. There is no demand-supply gap at present. The net demand available to the Domestic Industry is in the region of 2.5 -2.6 lacs since imports of about 80,000-1,00,000 MT are being made under advance licence. The Domestic Industry is well equipped to meet this demand, with the commencement of a new large scale facility by Deepak Phenolics.

f. The Domestic Industry submits that the increase in market share is due to the addition of new capacities.

g. The NIP revised is significantly low and is in stark difference to the NIP determined at the stage of initiation and Provisional Findings. There was no reason for the domestic industry to believe that the methodology adopted by the Directorate earlier is incorrect or inapt. In the present investigation, the Authority had issued provisional findings. The domestic industry has not been asked to justify why the NIP should be computed after including entire sales of SIG. This sudden change has led to a negative injury margin for USA.

h. The volume of captive consumption of Phenol would have either been used by the producer itself or by the consumer and thus had to be included in determining the domestic consumption. Had SIG not been integrated, the production of subject goods now being featured as captive would have been featured in domestic sales. If SIG had not created capacity for Phenol, the requirement of Phenol in the domestic market would have been met by other producers. Similarly, had SIG not created facilities for other products, SIG would have sold phenol in the market. In fact, company keeps switching its purchase of phenol both from its own production and imports for the other products. Thus, in either situation, the volume of captive production would have been included in the "domestic production".

i. There cannot be two different treatment of captive consumption. When captive consumption is relevant for injury examination, it cannot be excluded from the determination of non-injurious price.

j. We request the Authority to kindly reconsider considering the captive consumption in NIP determination.

k. It is submitted that for normation, utilities for the year 2018-19 is considered which is already included in the year Apr18-Jun19. The utility for the year 2017-18, which is Rs 20,865 needs to be taken for normation purposes and not 2018-19.

l. It is submitted that the negative injury margin is because of exclusion of a significant portion of sale made by SIG on the grounds of its being captive. Whereas the rules provide for consideration of respective share of "domestic production" for computation of weighted average for the domestic industry as a whole, the "production for domestic sales" has been considered for determination of non-injurious price. In other words, "production for domestic sales" has been treated as "domestic production"

m. While calculating NIP for DPL, for normation, raw material utilization for the year 2018-19 is considered which is already included in the year Apr18-Jun19. The raw material utilization for the year Apr18-Jun19, which is Rs 52458 per Mt, needs to be taken for normation purposes and not 2018-19.

n. Non-injurious import transactions to be excluded while determining price undercutting and injury margin.

o. The disclosure statement does not address the issue raised by the Authority regarding raw material prices not in arm's length. The Chinese Authority provided a specific finding in this regard and rejected the claims of the responding exporter.

p. It is submitted that not only the exporter has related raw material supplier but also related utility supplier. Therefore, the prices of raw material and utility, as claimed by the exporters are required to be rejected as they are not at arm's length.

q. The Domestic Industry submits that it should be considered that there is no demand supply gap at present. Even though the capacity in the country is below the gross consumption, it must be considered that imports to the tune of about 80000-100000 MT are being made under advance license.

r. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a means of price correction.

J.2. Views of Other Interested Parties

105. The submissions of other interested parties on the Disclosure Statement are as follows:

a. Alleged dumped imports have been of no adverse consequences on the DI and imports have been largely withdrawing from the market as a result of increase in capacity in India. No ADD is essential in such a scenario.

b. Some imports shall be necessary to ensure fair competition in the Indian market and any ADD in the present scenario will impact the trade balance and the DI will use the situation for profiteering.

c. Subject imports have declined in absolute terms and also in relation to production and consumption in India. This alone shows the present case warrants no duties to further obliterate such declining imports.

d. No ADD is warranted when the imports have been declining in relation to production and consumption and such import evidently did not create any injury.

e. Injury margin, price undercutting, suppression and underselling from USA have been negative and it cannot be said that the import volumes from Thailand was of injurious effects to the DI either as the price from USA and Thailand were comparable at delivered level in India.

f. The argument that a minor positive injury margin from Thailand caused material injury to the DI to the extent claimed is totally ungrounded.

g. The Authority has adopted cumulative assessment of injury in this matter and the Disclosure contains no examination of facts considering facts of imports separately for Thailand to say that the alleged injury was on account of imports from Thailand alone. Termination of the investigation against USA alone is not sufficient and the case should be terminated against both the subject countries.

h. When the price from USA is found to be at negative injury margin level, a comparable price from Thailand also should be found as of not having any injurious effect on the DI in reality and case should be terminated against both the countries in view of such facts.

i. The difference in landed price from the subject countries has not been significant.

j. Even though the injury margin in case of Thailand is slightly positive in the POI as per Disclosure, the prices have further increased in the post POI period and the performance of the DI also has sky rocketed. Phenol produced by the Applicants currently is not facing any unfair competition from imports and any duty for another 5 years or so is totally unjustified in such an event.

k. Overall facts of the present case show decline in imports and improvements in the performance of the DI and the cause of very imports itself in the past was demand supply gap which is negated much now.

l. The price of imports has gone up substantially in the post POI period and this factor should be considered while deciding the matter.

m. Any alleged injury being suffered by the domestic industry is not due to the subject imports or the domestic sales at all, but due to high costs incurred by the domestic industry.

n. The Authority has failed to provide any reasons as to why it was satisfied with respect to the claims of confidentiality raised by the parties, particularly in those instances where the claims are in contravention of the applicable law and trade notice.

o. Disclosure Statement fails to identify the Exporters as having filed legal submissions/registered as interested parties in response to the initiation notification.

p. The Authority is requested to rescind OM dated 18 June 2019, as an even suggestion that reference price form of duty must be recommended in situations of high price volatility.

q. We request the Authority to recommend duties in ad valorem. In case, the Authority is unable to recommend ad valorem duties, we request the Authority to recommend a fixed form of duty. In case the Authority choose not to recommend any of these, then we request the Authority to consider a reference price form of duty with a trigger price mechanism, where a fixed or ad valorem duty will be liable to be paid if the import price of the subject goods from the subject countries is below the trigger price.

r. The Disclosure Statement issued has breached the confidentiality of PTT Phenol Company, Mistsui & Co. Ltd. and Mitsui & Co. (Asia Pacific Pte. Ltd.).

s. There exists no injury to the Domestic Industry and even if it is accepted (though not conceded) that there is injury to the Domestic Industry, such injury cannot be attributed to the imports from the subject countries.

t. SI Group is liable to be excluded from the present investigation.

u. The Authority has failed to take into consideration the submissions of PTT Phenol Company, Mistsui & Co. Ltd. and Mitsui & Co. (Asia Pacific Pte. Ltd.), regarding the incomprehensible adjustments made to HOCL and injury to the DI.

v. In the event that the Authority does not terminate the investigation before issuance of the Final Findings, no anti-dumping duty must be recommended insofar as USA is concerned as the price underselling from it is negative.

w. The Applicants had not included the April 2019 to June 2019 within the POI since addition of the same would have resulted in a higher weighted average export price and consequently, lower dumping margin of the subject goods. The injury analysis period cannot be cherry picked and the same must be uniform unless exceptional circumstances warrant departure from the same.

x. The Authority must disclose the facts considered for this purpose of determining normal value and in the case of Thailand so as to enable the interested parties to comment on the same.

y. We request the Authority to discard ICIS reports from consideration while determining the normal value for USA.

z. The Authority must disclose the quantum of adjustments made with respect to ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, and port expenses as well as the actual export price.

aa. The Authority must disclose dumping margin determined for USA and Thailand.

bb. Since the Authority has found pursuant to the said sunset review that dumping continued from South Africa, SI Group is liable to be excluded from the present investigation.

cc. In the Disclosure Statement, the price underselling by imports from USA have been disclosed as negative. Therefore, It is inappropriate to include the imports from USA within injury analysis.

dd. The claim of price suppression or depression is unfounded, and no price effect can be attributed to the imports from the subject countries.

ee. It is submitted that while addition of capacity may usually result in increased production and sales, it may be noted that capacity utilization of the Domestic Industry has also increased despite addition of massive capacity which clearly evinces the fact that it could replace imports effectively in the domestic market and indicates the preference of users for domestically produced goods over imports. Therefore, there is clearly no injury on this front.

ff. Improvement in employment, wages and productivity should be taken into consideration while determining whether the Domestic Industry of the like article in India is suffering as a result of dumped imports.

gg. The impact of high depreciation and interest costs incurred by the Domestic Industry along with price suppression and depression, if any, caused by lower priced imports from other countries must be segregated and not attributed to imports from the subject countries.

hh. It is submitted that the relevant parameter to gauge an adverse impact on inventories when capacity, production, and capacity utilisation has increased is to consider inventories as number of days of production and sales rather than in absolute terms. When viewed in that perspective, it is evident that inventories have actually decreased in terms of both number of days of production and sales and the DA is requested to consider the same.

ii. It is submitted that while the growth in volume parameters has been rightly observed, the purported deterioration in the profitability must be examined more closely by reconciling the same with the financial reports published by the company for the relevant quarters of 2019-20 comprising the POI.

jj. Ability to raise capital for further investments has not been affected as they are multiproduct companies as admitted by the Applicants.

kk. We request the Authority to segregate the injury caused by lower prices from other countries in order to make an objective determination regarding the extent of injury caused by imports from the subject countries.

ll. It is submitted that the NIP of the Domestic Industry must be calculated in INR and not in USD.

mm. It is submitted that the normal value in the country of export is specific to the producer/exporter and the country being the price in the home market of the exporter. We request the Authority to convert the price in the home market of the exporter for the purpose of comparison of data during the period of investigation.

nn. Since normal value can also be considered as a benchmark under reference price form of duty, the same is required to be disclosed for the subject countries as the same would be relevant for determining the ADD payable by importers.

oo. The Authority may note that the price of imports has gone up substantially in the post POI period and this factor should be considered while deciding the matter. ILMA has raised serious concern about the reference form of duty recommended in the PF. However, by this time the prices have gone up further and any fixed form of duty shall even more disastrous for the users. The Authority may consider these aspects as well while taking a final view in the matter.

J.3. Examination by the Authority

106. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

a. With regard to the modification of NIP from initiation, and Preliminary Findings, it is noted that NIP at the stage of initiation is computed on prima facie basis, and the same has been determined after Preliminary Findings based on documents submitted by the Domestic Industry, and duly verified by the Authority after desk verification. It is also noted that the Authority has determined the NIP in accordance with Annexure III of the AD rules.

b. The Applicants have stated that captive consumption is to be taken for determining the domestic sales for the purpose of determination/computation of weighted average NIP. The issue has been examined, and it is noted that the captive consumption is the transfer of PUC from one unit to another unit of the same applicant. Since the price of captive consumption is not determined by the demand and supply in the open market, and it is determined by the Applicants as suitable to them, therefore, the injury due to captive consumption is self-inflicted, and cannot be attributed to dumping.

c. With regard to issues raised about non-injurious import transactions to be excluded while determining price undercutting and injury margin, the Authority notes that the Authority has taken into account all transactions as per the Authority's established practice.

d. As regards argument on methodology for normation is considered, the Authority has considered the submissions of the domestic industry and made the appropriate changes as per principles laid down under Annexure III.

e. With regard to submissions by some of the exporters that their legal submissions have not been acknowledged, it is noted that the same has been correctly acknowledged, and examined in the final findings.

f. With regard to the Domestic Industry's submission that they had not received the legal submissions of some of the other interested parties, the Authority notes that vide e-mail dated 9th October, 2020, the Authority had shared the e-mail addresses of all interested parties and requested all the interested parties to share the non-confidential versions of their submissions with all other parties. Further, the e-mail addresses of all interested parties are available on the website of DGTR.

g. As regards legal submissions of M/s. Cedar Décor Pvt. Ltd., M/s Cent Ply, M/s. DCM Shriram Industries Ltd., M/s. Hwatsi Chemical Pvt. Ltd., M/s. Supriya Lifescience Ltd., M/s Tradex Corporation, not circulated to the other interested parties including domestic industry despite clear instructions by the Authority, it is noted these have been circulated subsequently to all interested parties.

h. As regards argument that injury to the domestic industry is due to start up difficulty of Deepak Phenolics Ltd, it is noted that M/s. Deepak Phenolics Ltd. had commenced its commercial production in November, 2018 and has already achieved 96% capacity utilisation and, therefore, established itself as a leading producer of subject goods in India.

i. As regards the names of the exporters missing in 4(k), the same has been added in the relevant paras.

j. As regards injury margin of USA, the same is negative in view of the modifications made in the NIP of the domestic industry.

k. As regards the issue of cumulative assessment in terms of para (iii) of the Annexure-II of the Rules, it is noted that the imports from subject countries fully satisfy the criteria of para (iii) of the Annexure-II. Further injury margin of a subject country is not a requirement for cumulative assessment under para (iii) of the Annexure-II and therefore the argument of the interested parties linking cumulative assessment with injury margin is not accepted.

l. As regards arguments on injury it is noted that the Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions. All parameters of injury need not show deterioration. While some parameter may show deterioration, some may show improvement. The Designated Authority has considered all injury parameters and thereafter concluded whether the domestic industry has suffered injury or not. The overall position of the domestic industry has been evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

m. As regards appropriateness of ICIS reports for normal value is concerned, it is noted that the Authority has an established practice for considering prices reported in journals which are periodically released and is considered appropriate. Reference to Dye Stuff Manufacturers Association case is misplaced since the facts and circumstances of that case was different since prices adopted in that case was of non PUC.

n. As regards impact of China case, it is clarified that the Authority has made determination in accordance with the rules and without considering the impact of ADD imposed by China.

o. As regards increase in import price in post-POI period, the Authority considers that post-POI data cannot be considered for determination in the present case and post-POI parameters cannot be selectively considered by the Authority. Consideration of post-POI data implies de-facto updation of all relevant information and thereafter full examination thereof, including verification. Therefore, the Authority considers that it would not be appropriate to consider post POI data in the facts and circumstances of the present case.

p. The authority notes that while some interested parties have contended that reference price duty is not appropriate in the present case, some have contended that fixed form of duty would be disastrous to users. Notwithstanding contrary arguments of the interested parties, the authority has considered it appropriate to recommend reference price form of duty in the fact and circumstances in the present case.

q. As regards price adjustments in export price determination, the same has been appropriately disclosed to the extent necessary to the cooperating producer and exporter who has supplied the information to the Authority on the confidential basis.

r. As regards eligibility of domestic producers to constitute eligible domestic industry, the same has been appropriately examined and considered in the present finding.

s. As regards depreciation cost of the domestic industry, the Authority has adopted the same consistent with the provisions of Annexure III of the rules.

t. It is clarified that the cost incurred by the Deepak Phenolics while setting up new capacities have been determined as per the standard practice of the Authority, and consistent with the provisions laid in Annexure III of the Rules.

u. The Authority notes that the demand-supply gap in the country does not bar the Domestic Industry from seeking redressal from dumped imports.

v. The issues raised regarding POI, confidentiality, normal value, calculation of NIP in INR, injury, price effect, adjustments made, the form of duty and exclusion of SI Group from the ambit of Domestic Industry have already been addressed in the relevant paragraphs above.

w. Since the POI is not of 12 months, in order to ensure that the actual/indexed figures are directly comparable with preceding years, the actual/indexed data has been “annualised” and mentioned in these Final Findings. Since the POI in the present case is six months, the figures have been multiplied by 2 to

make them comparable to the previous years. For this reason, the indexed figures for the POI actual and annualised show the same figures in these Final Findings.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

107. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Interested parties have not established that imposition of duties is going to adversely impact the public interest.

108. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

L. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

109. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

a. The product under consideration has been exported to India from subject countries below its normal value.

b. The Domestic Industry has suffered material injury.

c. The material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.

d. As injury margin in respect of USA is negative, no ADD is recommended against USA.

M. RECOMMENDATIONS

110. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of Anti-Dumping duty is required to offset dumping and injury.

111. In terms of provision contained in Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of ADD equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. As injury margin in respect of USA is negative, no ADD is recommended against USA. Taking into account the factual matrix of the case, and having regard to information provided, and submissions made by interested parties, it is considered appropriate to recommend benchmark/reference form of anti-dumping duties. The Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties on import of subject goods originating in or exported from Thailand from the date of notification to be issued in this regard by the Central government, as the difference between the landed value of subject goods and the reference price indicated in column 7 of the table below, provided the landed value is less than the value indicated in column 7.

112. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Reference Price	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	290711	Phenol	Thailand	Any country including Thailand	PTT Phenol Company Limited	990.83	MT	US$

2	290711	Phenol	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than Serial Number 1	990.83	MT	US$
3	290711	Phenol	Any country other than country attracting anti-dumping duty	Thailand	Any	990.83	MT	US$

113. Subject to the above, the Preliminary Findings notified on 20th August, 2020 is hereby confirmed.

N. FURTHER PROCEDURE

114. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Exercise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.01.29 11:39:21 +05'30'